खण्ड-326, अंक-3
मंगलवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(30 अगस्त, 1977 ई0)

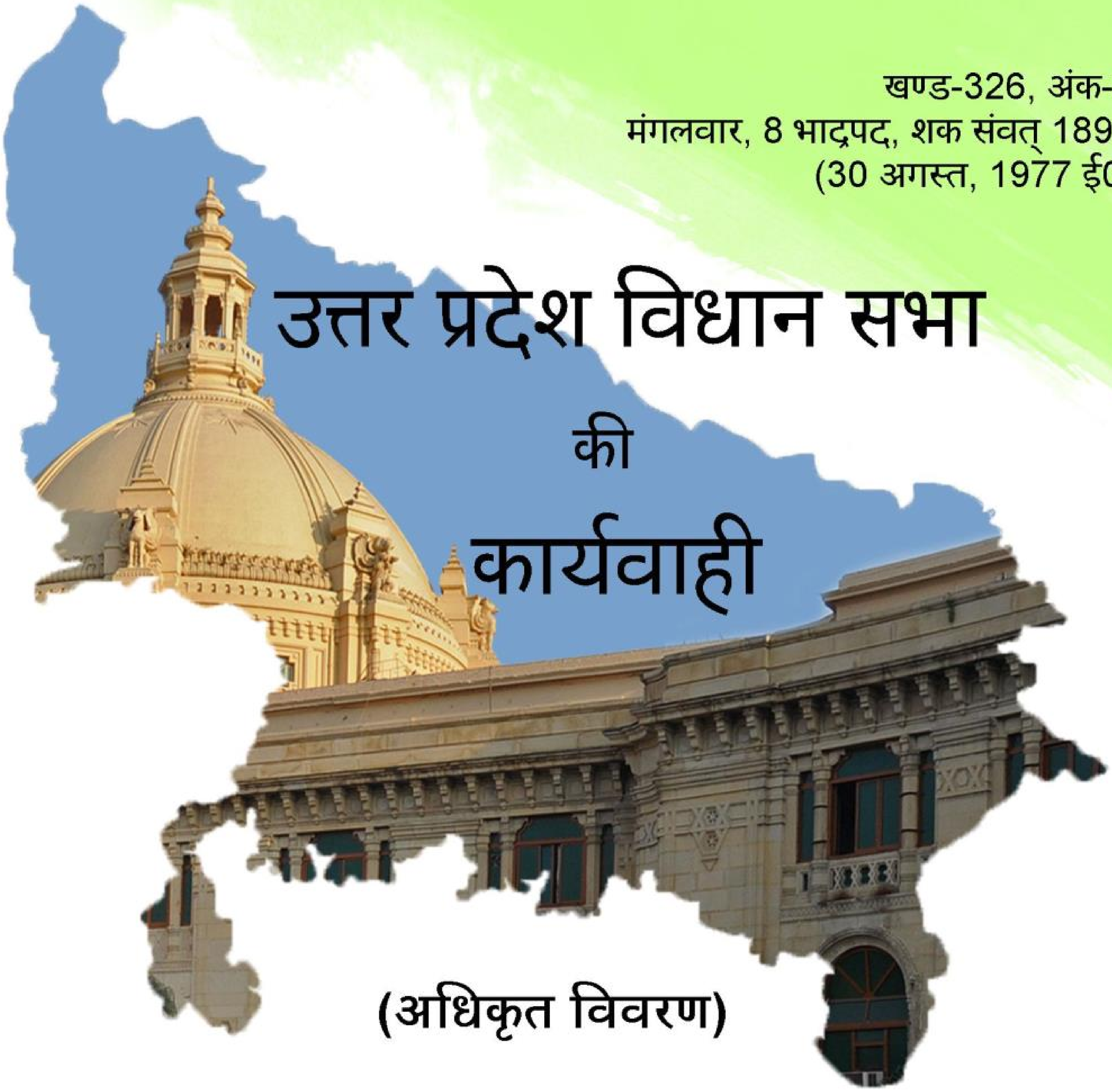

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	183–188
प्रश्नोत्तर	188–212
देवरिया जनपद में पशुओं में बीमारियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	212
राजकीय अन्ध विद्यालय के छात्रों की मांगें तथा उनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	212
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों को कार्य-सूची में न रखने पर आपत्ति ..	213–214
नैनीताल की कालाढूंगी तहसील में दाबका नदी पर बनाया गया काजवे के ध्वस्त होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	214–215
बस्ती जिले के महिला चिकित्सालय तथा जिला अस्पताल में डाक्टरों तथा कम्पाउण्डरों की लापरवाही से 3 महिलाओं की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	215–216
मथुरा जिले में पुलिस की अकर्मण्यता से कानून व्यवस्था के भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	216
सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र न देने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री एवं संसदीय कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	216–218
लोक आयुक्त के पद पर श्री विशम्भर दयाल की नियुक्ति की सूचना ..	218–219
1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के समय विपक्ष को अधिक समय देने की मांग	219–221
1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	221–268
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधयक, 1977 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	268
सरकारी गोदामों में गेहूं खराब होने तथा सड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	268–272
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	272
सरकारी गोदामों में गेहूं के खराब होने तथा सड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	272–275
केन्द्रीय कारागार, बरेली में कैदियों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	276–284
नत्थी	285

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 30 अगस्त, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—381

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणि बहुगुणी, श्री
इसमाइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री

कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
लज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री

नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा, श्री "अरविन्द"
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री

राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा मुख्य मन्त्री भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 30 अगस्त, 1977

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में मारपीट एवं हत्या की घटना

*1—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24 जून, 1977 को बेरीनाग काण्ड (जनपद पिथौरागढ़) में दो व्यक्ति मारे गए और इस घटना के घटित होने से पहले बेरीनाग में माह मई, 1977 में मारपीट की घटना होने के बाद बेरीनाग की जनता के जन प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी को उक्त प्रकार की घटना घटने की आशंका की जानकारी 11 जून, 1977 को दी गयी थी और उचित सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के लिए प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी थी ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24 जून, 1977 को बेरीनाग (जनपद पिथौरागढ़) में हुए झगड़े में दो व्यक्ति मारे गए। उक्त घटना के घटित होने से पहले बेरीनाग में दिनांक 21 मई, 1977 को मारपीट की घटना होने के बाद दिनांक 25 मई, 1977 (न कि दिनांक 11 जून, 1977 को जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) को बेरीनाग क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के एक शिष्ट मण्डल ने जिला मैजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ से मिलकर बेरीनाग क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने की प्रार्थना की थी। उक्त मारपीट की घटना की सूचना पाते ही राजस्व पुलिस के अधिकारीगण कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेरीनाग पहुंच गए। परगना मैजिस्ट्रेट, डीडीहाट एवं जिला मैजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ भी घटनास्थल पर गए तथा वहां की गयी सुरक्षा व्यवस्था का निर्देशन किया। शिष्ट मण्डल के जिलाधिकारी से मिलने के पूर्व ही जिला प्रशासन द्वारा बेरीनाग में दिनांक 23 मई, 1977 से पी0 ए0 सी0 फोर्स की तैनाती कर दी गयी।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा---

क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि जब वहां पर पी0 ए0 सी0 23 मई, 1977 से तैनात की गयी, तो वह कब तक वहां रही ?

श्री राम नरेश यादव---

23 मई, 1977 को पी0 ए0 सी0 तैनात की गयी थी, वह 11 जून, 1977 को हटा ली गयी थी और अब पुनः पी0 ए0 सी0 वहां तैनात कर दी गयी है।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा---

वहां पर 11 जून, 1977 से सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी थी, जिससे वहां पर यह घटना न घटती ?

श्री राम नरेश यादव---

11 जून, 1977 को पी0 ए0 सी0 के हटने पर सरकार की तरफ से वहां पर 24 जून, 1977 से फिर से पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी थी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

11 जून, 1977 से जब से पी0 ए0 सी0 हटी और 24 जून, 1977 को यह घटना हुई तो पी0ए0 सी0 को हटाने के लिए क्या थानेदार ने यह सिफारिश की थी कि यहां किसी बात का खतरा नहीं है, इसलिए उसे हटा लिया जाय या उसे वहां से यों ही हटा लिया गया था ?

श्री राम नरेश यादव---

चुनाव होने वाला था इसलिए उसकी आवश्यकता थी, जिसके कारण पी0ए0सी0 को वहां से हटा लिया गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

23 मई, 1977 को पी0 ए0 सी0 तैनात की गयी थी और 11 जून, 1977 को हटा ली गयी, तो इस दौरान उसने वहां कोई प्रिवेंटिव कार्यवाही की या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव---

पी0 ए0 सी0 हटाने के बाद वहां के अधिकारियों को सजग कर दिया गया था।

*2---श्री राजेन्द्र कुमार---

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली नगर में कुमारी सुशीला की हत्या

*3---श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)---

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 20 जून, 1977 को रायबरेली नगर में किसी 6 वर्षीय लड़की का शव पाया गया जिसके बारे में दिनांक 18 जून, 1977 को ही पुलिस में सूचना दे दी गयी थी कि लड़की को कुछ लोगों ने गायब कर दिया है तथा उसकी हत्या कर दी जायगी ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

डाक्टर भगवानदास, निवासी, प्रीतम सिंह की कोठी, अविनाश मार्ग, जिला रायबरेली ने थाना कोतवाली पर दिनांक 18 जून, 1977 को लिखित सूचना दी थी कि उनके रिश्तेदार, श्री सुन्दर दास, निवासी, लखनऊ की 6 वर्षीय बालिका कुमारी सुशीला जो कि शादी के सिलसिले में उनके यहां आई थी, गायब हो गयी है। इस सूचना की चर्चा थाना कोतवाली के रोजनामचा आम में की गयी और लड़की का पता लगाने का हर सम्भव प्रयास किया गया किन्तु उसका कुछ भी पता न चल सका।

दिनांक 20 जून, 1977 को श्री अशोक कुमार, निवासी, रेलवे स्टेशन, रायबरेली ने रेलवे लाइन के पास एक लड़की की लाश बोरे में बन्धे पड़े होने की सूचना थाने पर दी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भारतीय दण्ड विधान का दर्ज किया गया और विवेचना प्रारम्भ हुई। शिनाख्त से उक्त लाश गुमशुदा लड़की सुशीला की पाई गई। लाश का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया जिससे मामला हत्या का ज्ञात हुआ।

इस समय इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 6 वर्षीय लड़की जिसकी कि हत्या की गयी, उसके पिता ने स्थानीय पुलिस को तफतीश के दौरान जिन सन्देहास्पद व्यक्तियों के नाम बताए थे, उनमें से अब तक कितनों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस सम्बन्ध में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित 18 जून, 1977 को लिखित सूचना दी गयी थी। उत्तर में कहा है कि सूचना दी थी कि उनके रिश्तेदार, श्री सुन्दर दास, निवासी, लखनऊ की 6 वर्षीय बालिका, कुमारी सुशीला, जो कि शादी के सिलसिले में उनके यहां आई थी, गायब हो गई है। इस सूचना की चर्चा थाना कोतवाली के रोजनामचा-आम में की गयी। मैं जानना चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 दर्ज न करने का क्या कारण था ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सूचना यह दी गई थी कि लड़की गायब हो गई है इसलिए वह जनरल रोजनामचे में दर्ज की गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 18 तारीख को जब उसके पिता को यह मालूम हुआ, तो वह भागे भागे गए और उन्होंने साफ-साफ भगवान दास का नाम लिया, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही न करने के लिए पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, अभी मामला अनुसन्धान विभाग को दिया गया है और उस पर कार्यवाही हो रही है। इसलिए जब तक वह विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब लड़की के पिता ने पुलिस को इत्तला दी कि उसकी लड़की की हत्या अमुक-अमुक व्यक्ति द्वारा की गयी है, तो संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना जो दी गयी थी वह लड़की के गायब होने की दी गई थी। उसके पश्चात् यह बात हुई।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, बच्चों को मारने की घटना केवल हरदोई जिले में ही नहीं हो रही है, मेरठ में भी हुई है. . . .

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह जो रेगुलर पुलिस है, वह उनको पकड़ने में नाकाबिल रहती है। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। छोटे बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हें रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किन कारणों से उसकी हत्या की गई है और जो मुलजिम था, जिस पर शक किया गया है, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उसकी हत्या के कारण का प्रश्न है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट लगता है गला दबाकर (स्ट्रंगुलेशन) से हत्या की गयी। जब तक अनुसन्धान विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और तभी कार्यवाही की जाएगी।

*4—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[उरे मंगलवार के लिए स्थगित]

आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा लाही की खरीद हेतु आमंत्रित की गयी निविदा

*5—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कारागार, लखनऊ में गत वर्ष 8 लाख तथा इस वर्ष 15 लाख मूल्य की लगभग 6000 क्विंटल लाही खरीदी गयी ? क्या उसका टेण्डर फरवरी माह में मांगा गया था एवं 34 प्रतिशत के स्थान पर साढ़े तीस प्रतिशत तेल कानपुर के एक्सपर्ट के अनुसार हुआ ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी मास के स्थान पर जुलाई व अगस्त मास में खरीद क्यों की गयी ? इससे विभाग को कितनी हानि हुई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 285 पर)

श्री मोहन सिंह—

हमें अभी तक कोई लिखित नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—

(यह मालूम होने पर कि सूचना नहीं भेजी गई है मन्त्री जी से) आप तुरन्त उत्तर पूरा भेजवाइए और मन्त्री जी जो संलग्न सूची है, उसको आप पढ़ दीजिए ताकि वह अनुपूरक प्रश्न कर सकें ।

श्री मोहन सिंह—

नहीं श्रीमन्, इसको स्थगित कर दिया जाय, दूसरे दिन के लिए रखा जाय, ताकि मैं अध्ययन कर के प्रश्न कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, इसको स्थगित किया जा रहा है ।

मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना की मांग

*6—श्री अजीत सिंह सेठी तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कांग्रेस शासन काल में मेरठ में हाई कोर्ट बेन्च स्थापित करने का निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो उसकी गतिविधि में अब अवरोध के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । इस विषय में एक अध्यादेश का आलेख भारत सरकार की अनुमति हेतु भारत सरकार को भेजा गया था जिसके सम्बन्ध में उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह आदेश कब का है और कब भारत सरकार को पूर्वानुमोदन के लिए भेजा गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

19 दिसम्बर, 1976 को मन्त्रि परिषद् की बैठक में इस पर विचार हुआ और उसी दिन यह भारत सरकार को भेजा गया ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर सेविन्थ शेड्यूल (यूनियन लिस्ट) की लिस्ट सूची 78 "कांस्टीट्यूशन एण्ड आर्गनाइजेशन आफ हाई कोर्ट" के अनुसार यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फिर किस प्राविधान के अन्तर्गत यह आर्डिनेन्स या अध्यादेश केन्द्रीय सरकार को भेजा गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह सेन्ट्रल लिस्ट से है, इसीलिए उनकी स्वीकृति पर निर्भर करता है, वह स्वीकार करेंगे, तभी प्रख्यापित होगा, नहीं करेंगे, तो नहीं प्रख्यापित होगा। यह फाइनल अथारिटी उन्हीं की है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, संविधान के अनुसार सेन्टर का जो सब्जेक्ट है, कोई स्टेट उसके बारे में अध्यादेश नहीं बना सकती है, तो कांस्टीट्यूशन के किस प्राविजन में उन्हें यह अध्यादेश बनाने का अधिकार था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बार-बार यह मांग की गयी थी और. . . . (फाइल में देखने पर)

श्री रियासत हुसैन—

देखिए कितनी देर लगती है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी अनुमति दी है, क्योंकि मन्त्री जी खुद अच्छे वकील हैं। इसमें कोई समय नहीं लगना चाहिए, इसमें तो विधि विशेषज्ञ की राय ली जाती है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सेविन्थ शेड्यूल, लिस्ट दो की प्रविष्टि 3 के अन्तर्गत केवल राज्य सरकार ने इसे रेकमेंड किया है, क्योंकि इसकी काफी मांग थी बहुत क्षेत्रों से। फायनल शक्ति सेन्टर गवर्नमेंट में ही वेस्ट करती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सरकार ने सिद्धान्तः मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च खोलना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या कृपा कर वह दोबारा केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि शीघ्र ही कदम उठाया जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष—

मैं जब तक पुकारूं न, तब तक न कहें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न कि मेरठ में स्थापित की जाय या न की जाय, यह इस सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न जो किया गया वह यह है कि आपकी सरकार ने वहां पर बेन्च स्थापित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

पूर्ववर्ती सरकार ने आर्डिनेन्स भेजा था, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को स्वीकृति के लिए। उस आर्डिनेन्स को हमने अपोज नहीं किया है न वापस लिया है। इस सरकार की नीति के सम्बन्ध में वह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, यू0 पी0 हाई कोर्ट अमलगमेशन आर्डर, 1948 के अनुसार, सेक्शन 14 है, मैं उसको पढ़ रहा हूं—

"The new High Court and the judges and Division Courts thereof shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief Justice may with the approval of the Governor of the United Provinces appoint."

श्री अध्यक्ष—

आपने जो अंग्रेजी में पढ़ा है, हिन्दी में उसका अर्थ बता दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

यू0 पी0 हाई कोर्ट अमलगमेशन आर्डर, 1948 की धारा 14 में यह प्राविधान है कि नयी हाई कोर्ट, और उसके जज तथा डिवीजन कोर्ट इलाहाबाद में बैठेगी या ऐसे स्थानों में, जहां मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की सहमति से निर्णय करें। इस प्राविधान के अन्तर्गत माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या सरकार इस प्राविधान के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश से बात कर के मेरठ में हाई कोर्ट बेन्च निर्माण करने पर विचार करेगी ? उस अध्यादेश की इसमें आवश्यकता नहीं रही।

श्री अध्यक्ष—

अब जो प्रश्न इससे निकलता है, अगर यह पूछें कि क्या मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेशीय सरकार को वहां पर बेन्च स्थापित करने के लिए लिखा है, तब तो प्रश्न उठता है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मेरा कहना यह है कि यह आर्डर है, इसके मातहत सरकार, क्योंकि असलियत यह है कि इससे पहले न्यायाधीश सहमत नहीं थे, और मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना यू0 पी0 सरकार किसी जगह नयी बेन्च स्थापित नहीं कर सकती है, क्या सरकार मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके इस सम्बन्ध में, मेरठ में एक बेन्च स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जिस प्राविजन की अभी चर्चा की उसके अन्तर्गत, उसका इण्टरप्रिटेशन इतना है कि किसी कार्य विशेष के लिए या समय विशेष के लिए चीफ जस्टिस राज्यपाल की अनुमति से इलाहाबाद व लखनऊ के बाहर कहीं बेन्च स्थापति करना चाहते हैं, उसके लिए है। बिना

चीफ जस्टिस की सहमति के स्थायी बेन्च का प्राविजन इसके अन्तर्गत नहीं आता है। इसके बारे में अटार्नी जनरल वगैरह की पहले से रिपोर्ट है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछली सरकार ने मेरठ में हाई कोर्ट बेन्च खोलने का निर्णय ले लिया था, अब आप किन कारणों से पुनर्विचार कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन कारणों को जनहित में बताना उचित नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह जवाब दिया कि भूतपूर्व सरकार ने अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार और उसके विचाराधीन है और साथ ही साथ यह कहा कि हमारी सरकार विचार कर रही है। क्या इन्होंने केन्द्रीय सरकार को कह दिया है कि यहां पर विचार हो रहा है, आप विचार न करें ? क्या इन्होंने राय अभी दी है, भारत सरकार को ?

श्री अध्यक्ष—

तर्क न कीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुछ भी नहीं लिखा है।

श्री श्याम धर मिश्र—

स्वीकृति आ जायगी तो क्या होगा ? यह बता दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहस नहीं है। इनफारमेशन दे दी।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन के पूर्व सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करने के लिए मेरठ में बेन्च खोलने का फैसला लिया था ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

जब इस पर अभी अपनी राय नहीं बनाई है तो केन्द्रीय सरकार को कोई राय क्यों नहीं दी है कि इस पर मेरा कोई निर्णय नहीं है।

ओम प्रकाश सिंह—

उस पर हमारी सरकार ने कोई मत प्रकट नहीं किया है और न लिखकर भेजा है। यह विचाराधीन है। जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेगी, वह शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष—

पूर्व गवर्नमेंट ने जो निश्चय किया था, तो क्या आप ने इसकी सहमति केन्द्रीय सरकार को दी ? पहले आपने उत्तर दिया कि अभी विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आर्डीनेन्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है उस पर हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है, अर्थात् वह जब तक उसके विचाराधीन है और स्वीकृति नहीं दे देती है तब तक जो भी निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जनमत के दबाव को देखते हुए और जनता पार्टी के विकेन्द्रीयकरण की नीति को देखते हुए सरकार मेरठ में बेन्च खोलने का विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इन्हीं सब प्रश्नों के लिए मामला विचाराधीन है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है कि पश्चिमी इलाके के लोगों को इलाहाबाद पहुंचने में बहुत असुविधा होती है। अगर वह सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं तो इस पर कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह मन्त्रि परिषद् के निर्णय का प्रश्न है। जब मंत्रि परिषद् का निर्णय होगा, तो कुछ निर्णय हो सकेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

व्यवस्था का प्रश्न है। सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी आप बैठें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि इस प्रश्न पर मन्त्रि परिषद् ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। जिसका मतलब यह है कि कोई स्पष्ट निर्णय सरकार का नहीं है। यह सूचना आपको मिल गयी। प्रश्नों में सूचना प्राप्त करने का आपको अधिकार है। इस पर मत प्रकट करना या बहस करना इसकी परिधि के बाहर है ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे भी प्रश्न करना है। नियम 49 में आज्ञा दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिए, आपको अनुमति मिलेगी ।

मोदीनगर पुलिस द्वारा गाजियाबाद लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री सुखवीर सिंह आदि की गिरफ्तारी के विरुद्ध जांच

*7—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 जून, 1975 को लाइयर्स एसोसिएशन, गाजियाबाद के अध्यक्ष तथा एक अन्य एडवोकेट को मोदीनगर पुलिस द्वारा गलत ढंग

से गिरफ्तार करके उनके साथ मारपीट करने तथा उन्हें झूठे-झूठे फौजदारी के मुकदमें में फंसाने की घटना की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री घटना का ब्योरा तथा सी0आई0डी0 की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

दिनांक 29 जून, 1975 को मोदीनगर पुलिस द्वारा गाजियाबाद लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री सुखवीर सिंह, एडवोकेट एवं श्री अजय कुमार गोयल, एडवोकेट तथा सर्वश्री सुच्चा सिंह, चरन सिंह और मूला को बन्दी बनाया गया था । इस सम्बन्ध में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच कराई गई तथा सर्वश्री सुखवीर सिंह एवं अजय कुमार गोयल (दोनों एडवोकेट) की गिरफ्तारी अनुचित पाई गई । अतः उक्त दोनों एडवोकेटों के विरुद्ध मुकदमा वापस ले लिया गया । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । शेष तीन अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में अभी अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

चूंकि मामले में अभी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच जारी है, इसलिए जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना सम्भव न होगा ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर ने दिया है, लेकिन दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना का ब्योरा क्या है, किस दफा में चालान हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

मामला अनुसन्धान विभाग को सुपुर्द किया हुआ है । जांच चल रही है ।.....

श्रीं अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि अभियोग क्या है, दूसरे किस मामले में गिरफ्तारी की गयी है । यह तो बतलाया जा सकता है क्योंकि यह सबजुडिस नहीं है ।

श्री राम नरेश यादव—

ये दफाएं 307, 147, 149, 216, 224, 225 एवं 36/43 व दफा 26 हैं, जिनमें मुकदमा कायम हुआ है और गिरफ्तारी हुई है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शाह कमीशन के सम्मुख कोई प्रतिवेदन इन अभियुक्तों ने पेश किया है और शाह कमीशन ने यह कहा है कि चूंकि इस मामले में सी0आई0 डी0 की जांच पूरी हो चुकी है, अतएव उनके विरुद्ध प्रदेशीय सरकार कार्यवाही कर सकती है । तो फिर अब जांच सी0आई0डी0 के द्वारा किस लिए कराई जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री सुखवीर सिंह एवं अजय कुमार गोयल, एडवोकेट, के खिलाफ जब मुकदमा अदालत में भेजा तो इनकी ओर से एक दर्ख्वास्त प ी, जिस पर मामला अनुसन्धान विभाग को तफ-सीश के लिए भेजा गया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो इनके विरुद्ध चलने वाला मुकदमा

वापस ले लिया गया। फिर एक दर्ख्वास्त दूसरे अभियुक्तों की ओर से आई। मामला अभी भी सी0 आई0 डी0 के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना है कि शाह कमीशन ने इस विषय को इसलिए लेने से इन्कार कर दिया है क्योंकि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गई है। तो प्रश्न यह है कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट अन्तिम रूप से मिल गई या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

जिस अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसके विरुद्ध सी0 आई0डी0 की जांच सुपुर्द कर दी गयी है और अभी वह मामला विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट हुई, उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद मुकदमा वापस ले लिया गया। जब वह तय हो गया कि वकील निर्दोष है, तो आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने इस गलत ढंग से उनको गिरफ्तार किया था ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जिन ऐडवोकेट लोगों का मामला अनुसन्धान विभाग को सिपुर्द किया गया था, उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट आने के पश्चात् मुकदमें वापस ले लिए गए, लेकिन चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन था, प्रार्थना-पत्र आने के बाद, तो उनके बारे में जांच अनुसन्धान विभाग को सुपुर्द की गयी है। इसलिए जब रिपोर्ट आ जायगी, उसके बाद ही मुकदमें वापस लेंगे और तभी जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में निलम्बन आदि की कार्यवाही की जायगी।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो सुखबीर सिंह आदि वकील पकड़े गए थे, ये सुच्चा सिंह जो हमारे देश का सबसे बड़ा [× ×] था, उसके साथ पकड़े गए थे या कहीं और पकड़े गए थे ?

श्री राम नरेश यादव—

यह गिरफ्तारी उनके साथ ही हुई थी।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो घटना हुई है, उसकी एफ0 आई0 आर0 पढ़कर सुना दें और यह भी कृपया बतावें कि वह किसने दर्ज करायी थी ?

श्री राम नरेश यादव—

एफ0 आई0 आर0 सुन लीजिए। यह रिपोर्ट पुलिस द्वारा लिखायी गयी। इस सम्बन्ध में पुलिस का कहना है कि श्री सुच्चा सिंह, थाना मोदीनगर से अभियोग संख्या 354

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 114 डी0 आई0 आर0 अभियोग संख्या 355 धारा 307/302 भा0 दं0 वि0 तथा अभियोग संख्या 356 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट में मतलूब थे। सम्बन्धित पुलिस अधिकारी ने दिनांक 29 जून, 1975 को श्री सुच्चा सिंह को श्री सुखबीर सिंह, एडवोकेट तथा अन्य उपरोक्त व्यक्तियों के साथ कार में बैठ कर जाते हुए देखा तथा श्री सुच्चा सिंह की गिरफ्तारी हेतु उक्त कार का पीछा किया और कार रोकने के आदेश दिए। किन्तु कार रोकने के बजाय श्री सुखबीर सिंह एडवोकेट के कहने पर श्री सुच्चा सिंह ने अपनी रिवाल्वर से पुलिस जीप पर कई फायर किए। अत: पुलिस ने उक्त कार के टायर को बर्स्ट कर दिया, जिसके कारण श्री सुखबीर सिंह आदि की कार रुक गई और उसमें बैठे सभी पांचों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए।

अध्यक्ष महोदय, यह मूलत: एफ0 आई0 आर0 नहीं है, उसका सारांश है।

श्री चेतराम गंगवार (जिल बरेली)--

मैं जानना चाहूंगा कि अभी सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आयी नहीं है लेकिन मुकदमें उनसे वापस ले लिए गए। सुच्चा सिंह के बारे में सभी को मालूम है कि वह मेरठ इलाके का सर्टिफाइड [***] है, उसके बावजूद भी जबकि वे उसके साथ पकड़े गए, उनके खिलाफ भी मुकदमें वापस ले लिए गए। तो क्या वजह थी, क्या किसी विशेष पार्टी से वे सम्बन्धित हैं, इस वजह से मुकदमें वापस लिए गए ?

श्री अध्यक्ष--

"तस्कर" और "बदमाश" इन लफ्जों को कार्यवाही से निकालने का आदेश देता हूं। यह विषय अदालत में है . . . .

श्री चेतराम गंगवार--

"तस्कर" और "बदमाश" शब्द क्या असंसदीय हैं ? आप व्यवस्था दें . . . . . मुझे समय दें। इस कुर्सी से अध्यक्ष की जो रूलिंग दी गयी है, खेर साहब और जगदीश शरण अग्रवाल के द्वारा, उनसे स्पष्ट है कि "तस्कर" और "बदमाश" असंसदीय नहीं हैं। आप पुन: विचार करें।

श्री अध्यक्ष--

"बदमाश" और "तस्कर" कोई शब्द असंसदीय नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जब तक कि वह दन्डित न हो और उसके बारें में कोई निर्णय न हो, ये नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। इसलिए यह प्रश्न केवल इतना ही काफी था कि सुच्चा सिंह के बारे में आप प्रश्न पूछते। मन्जूर साहब, एक प्रश्न आप कर चुके हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

जब सी0 आई0 डी0 की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी और केस भी चल नहीं रहा है। तो सही चीज क्या है, क्यों केस वापस ले लिया ?

श्री अध्यक्ष--

आंशिक रूप से रिपोर्ट आयी, उस आधार पर जिन व्यक्तियों के माफिक रिपोर्ट आयी, मुकदमें वापस ले लिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि सुच्चा सिंह के सम्बन्ध में अभी जांच चल रही है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

सी0 आई0 डी0 क्या इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में नत्थूलाल जो वहां एस0पी0 थे और अब एस0एस0पी0, गोरखपुर हैं, उनका भी हाथ था ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

इस केस का सम्बन्ध नत्थूलाल से दिखायी नहीं पड़ता है। उनका हाथ इस अभियोग में रहा या नहीं, अभी यह मामला विचाराधीन है।

वन प्रभाग, गोरखपुर की नीलामी

*8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर वन प्रभाग की नीलामी जो अनुमानत: तीन करोड़ रुपए की थी और 12 अगस्त, 1977 तक होनी थी, उसे उप अरण्यपाल, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या 481/37-6-2, तारीख 29 जुलाई, 1977 द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार की मूल्य निर्धारण उप समिति द्वारा वर्ष 1977-78 में आपूर्ति की जाने वाले रेलवे स्लीपरों के मूल्यों का निर्धारण न किए जाने के फलस्वरूप विभाग के समस्त प्रभागों के वार्षिक नीलाम आगे बढ़ा दिए गए हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग, गोरखपुर की लगभग तीन करोड़ की नीलामी का क्या सम्बन्ध भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय या मूल्य निर्धारण समिति से है ?

श्री श्रीचन्द—

स्लीपरों की कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उसकी एक उपसमिति जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के केन्द्रीय मन्त्री रहते हैं, उसमें विलम्ब हो जाने के कारण स्लीपरों की नीलामी की तिथि को बढ़ा दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वनों की नीलामी का जो तरीका है, उसमें प्राइवेट कन्ट्रैक्टर्स नीलामी बोलते हैं। उसमें भारत सरकार या भारत सरकार का कोई विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं आता है। व्यक्तिगत स्थिति में, जो नीलाम होता है उसके लिए वह तारीख तय की गयी थी। तो मैं फिर मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, कि उसमें भारत सरकार कहां आती है जिसकी वजह से वह टालना पड़ा ?

श्री श्रीचन्द—

स्लीपर्स रेलवे डिपार्टमेन्ट को सप्लाई किए जाते हैं। तो उस समिति में रेलवे विभाग का एक प्रतिनिधि होता है और हर स्टेट के चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स होते हैं और उसमें तय किया जाता है कि स्लीपरों का मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि ठेका तो प्राइवेट कन्ट्रैक्टर्स लेते हैं, गवर्नमेंट तो लेती नहीं है। फिर भारत सरकार क्या तय करती है या मूल्य निर्धारण समिति क्या तय करती है, उसका नीलाम से क्या सम्बन्ध है ? माननीय अध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के किसी विभाग ने बन विभाग से कहा कि नीलामी स्थगित कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि क्योंकि रेलवे स्लीपर्स की मांग रेलवे विभाग को उस समय नहीं थी, इसलिए विभाग ने नीलामी स्थगित कर दिया। इससे सम्बन्धित आप प्रश्न कीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न तो बहुत साफ है। मैं कटेगारिकली इस बात को जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी के द्वारा कि नीलामी की जो तिथि तय की गयी थी क्या उसको स्थगित करने के लिए भारत सरकार के किसी मन्त्रालय ने कोई आग्रह किया था ?

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, पहले स्लीपर्स के रेट्स कम थे। उस स्लीपर्स के रेट्स बढ़ाने के के लिए हमारे विभाग की तरफ से सेन्टर को लिखा गया था कि रेलवे विभाग इन स्लीपर्स की कीमत को बढ़ावे। पिछले दो वर्षों से कीमत नहीं बढ़ रही थी, इसलिए हमारे विभाग ने सोचा था कि कीमत बढ़ाई जाय।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्लीपरों की नीलामी जो आपके मुख्य अरण्यपाल करते हैं, उनका ठेकेदार से सौदा तय नहीं हुआ था, इसलिए नीलामी को स्थगित कर दिया गया था ? क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीचन्द--

अध्यक्ष महोदय, यह बात जो मेरे सम्मानित सदस्य ने कही है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम जांच कराने के लिए तैयार हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कुछ कन्फ्यूज कर रहे हैं। रेलवे जिन स्लीपरों को खरीदता है, उसके बारे में तो रेलवे सरकार की परामर्श की बात है, लेकिन नीलामी क्यों रोक दी गयी ? जो स्लीपर्स आप रेलवे को देते हैं, उसकी कीमत के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से बातचीत हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि खुले आम जो नीलाम होता है, वह नीलाम स्थगित कर दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

श्रीमन्, गलतफहमी यहीं पर ही हो रही है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, किस अधिकारी ने और किस अवधि तक के लिए नीलाम स्थगित किया था और क्या यह सही है कि नीलामी इसलिए स्थगित की गयी थी कि प्राइवेट जो ठेकेदार हैं, उनमें बातचीत नहीं हो सकी थी, जिनसे कि अप्रत्यक्ष रूप से उन अधिकारियों को लाभ होता है ?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर का जो साल का लाट है, वह सिर्फ स्लीपर के लिए तय हुआ था, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेन्ट को स्लीपर दिए जाते हैं। गोरखपुर डिवीजन से तो उनकी तिथि बाकायदा तय हो चुकी है और जो उप समिति की बैठक होने जा रही है, वह पहली सितम्बर से होने जा रही है और इसकी 8-10 तक और 12 से 15 तक की तारीख तय कर दिए हैं, नीलामी के लिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप एक प्रश्न कर चुके हैं। आप बैठिए। आप प्रश्न कर चुके हैं। आप बैठ जायं।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले स्लीपरों के भाव तय कर लिए जाते हैं और बाद में नीलामी होती है ? क्या इसके पूर्व इसी प्रकार से नीलामी हुई है या यह पहली बार हुआ है ?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि पिछले 2 वर्षों की कीमत कम थी। हमारे विभाग द्वारा यह कहा गया है कि स्लीपरों की कीमत कम है, उनकी कीमत बढ़ायी जाय इसलिए यह तय होना था, भारत सरकार के द्वारा। तो सितम्बर की पहली तारीख तय हो चुकी है आशा है बात तय हो जायगी। हमने नीलामी की डेट्स रख दी हैं।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, 12 अगस्त नीलामी के लिये मुकर्रर किया गया था . . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय—

हमारा सवाल है . . . .

श्री विक्रमा राय—

अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल कुछ है और जवाब कुछ आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, 12 अगस्त, 1977 नीलामी के लिए मुकर्रर था इसकी घोषणा की गयी होगी। तो क्या अरण्यपाल यह नहीं जानते थे कि किस चीज को हम नीलाम कर रहे हैं और किस चीज का नहीं कर रहे हैं। तो इतना ब ा कन्फ्यूजन हो गया है और 3 करोड़ रुपया घपले में पड़ गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न साफ है कि आखिर नीलामी की तारीख क्यों लगाई गयी थी ? नीलामी की तारीख लगाने से पहले रेलवे विभाग से आप निश्चित कर लेते। आपसे प्रश्न यह किया गया कि क्या पहले यह परम्परा थी कि पहले रेलवे विभाग से रेट तय हों और बाद में आप नीलामी करें। अगर यह परम्परा थी, तो ठीक था आपको डेट को तय कर लेना चाहिए था। इसका उत्तर साफ-साफ दें।

श्री श्रीचन्द--

अध्यक्ष महोदय, जो तिथि निर्धारित हुई थी, 12 अगस्त, उसकी जानकारी वहां के अरण्यपाल को नहीं थी ?

(श्री मंजूर अहमद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री श्रीचन्द--

जो नीलामी की तिथि अरण्यपाल ने निश्चित कर दी थी उस पर प्रशासन को पता नहीं था कि भारत सरकार को कीमत बढ़ाने के बारे में लिखा जाय। पता चला तो स्थगित कर दी गई। विलम्ब यह हुआ कि भारत सरकार की कोई मीटिंग तय नहीं हुई थी जिसकी वजह से यह देरी हुई।

(अनेक सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें विवाद नहीं है।

(शोर)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। शुरू से अन्त तक प्रोसीडिंग देख लें। सवाल दीगर, जवाब दीगर। मेरा प्रश्न कुछ है और शुरू से जवाब दूसरा मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आधे घंटे की चर्चा नियत कर दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें। आप नोटिस दे दीजिएगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं एक प्रश्न की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल जी आप बैठ जायें। इस पर अब कोई सवाल नहीं होगा।

बस्ती जिले के थाना उस्का बाजार के बड़े दरोगा के विरुद्ध श्रीमती फूलमती, निवासी ग्राम महनी का प्रार्थना-पत्र

*9—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती के थाना इन्चार्ज ने कुछ कांस्टेबुलों के साथ दिनांक 28 जून, 1977 को ग्राम महनी, थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती में जाकर उसी ग्राम की श्रीमती फूलमती को डराया-धमकाया तथा उसका घर जबरदस्ती उजड़वा दिया जिसकी रिपोर्ट श्रीमती फूलमती ने जिलाधीश, बस्ती, पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा शासन को हाल ही में भेज दी है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण तथ्य क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में श्रीमती फूलमती, निवासिनी ग्राम महनी, थाना उस्का बाजार, जिला बस्ती ने जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को दिनांक 29 जून, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि थाना उस्का बाजार के बड़े दरोगा ने कई सिपाहियों के साथ प्रार्थिनी के घर में घुसकर प्रार्थिनी का सारा सामान लूट लिया, घर गिरवा दिया और दबाव देकर सुलहनामा लिखवा लिया।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी नौगढ़/बांसी द्वारा की गयी। जांच से ज्ञात हुआ प्रार्थिनी के चाचाजात ससुर ने अपने हिस्से की आबादी की भूमि का बैनामा गोमती बरई के पक्ष में किया था जब कि प्रार्थिनी इस जमीन का प्रयोग पशुओं को रखने के लिए करती थी। गोमती बरई ने दिनांक 21 जून, 1977 को जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्रार्थना-पत्र दिया था कि प्रार्थिनी तथा उसके समर्थक जानमाल की धमकी दे रहे हैं। इस प्रार्थना-पत्र की जांच के लिए थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दिनांक 28 जून, 1977 को ग्राम महनी गए थे। उस समय दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया और एक सुलहनामा पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्राधिकारी को प्रार्थिनी ने बताया कि उसका कोई भी सामान पुलिस वाले अथवा अन्य लोग लूट कर नहीं ले गए। क्षेत्राधिकारी की जांच से थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थिनी का सामान लूटे जाने तथा जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाए जाने की बात सही नहीं पायी गयी।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो उत्तर दिया गया है, उसमें केवल वहां जमीन थी, जिसका प्रयोग प्रार्थिनी मवेशियों के लिए करती थी। यह बात गलत थी। वहां छप्पर बना था और वह घर का हिस्सा था। दरोगा ने उसको उजड़वा दिया और सुलहनामा लिखवा लिया। जिसको बैनामा किया है,वह वहां का बाशिन्दा नहीं था और दूसरी जगह का वह रहने वाला था। क्या यह बात सही है ? इसका उत्तर मुख्य मन्त्री जी दें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है। आप तो सूचना दे रहे हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फूलमती हरिजन है या किसी दूसरी जाति की है ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूचना का प्रश्न है और जो पत्र मेरे समक्ष हैं, उससे कहीं यह बात स्पष्ट नहीं होती है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो प्रश्न करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच वहां किस अधिकारी ने किया था ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है और जानकारी करने के बाद में वे सदन में पुनः सूचना देंगे।

बदायूं के ग्राम मझरा कुण्डरा निवासी श्री सुखपाल सिंह द्वारा थाना हजरतपुर में लिखाई गई रिपोर्ट

*10--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री मकबूल हसन खां (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि जुलाई, 1977 में बदायूं के थाना हजरतपुर के ग्राम मझरा कुंडरा के श्री सुखपाल सिंह आदि कई ग्रामीणों ने कई डकैत मय 6 विलायती बन्दूकों के पकड़े और उन्होंने अनेक डकैतियों आदि के बारे में भी इकबाल किए ? यदि हां, तो उन बहादुर गांव वालों को क्या पुरस्कार दिया गया और उनकी समुचित सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि श्री सुखपाल सिंह आदि ग्रामीणों ने कई डकैत मय 6 बिलायती बन्दूकों के पकड़े और जिन्होंने अनेक डकैतियों आदि के बारे में इकबाल किए। वास्तव में दिनांक 17 जुलाई, 1977 को आपसी रंजिशवश जब जलेबी नगला मझरा ग्राम कुडंरा के कुंवर आदि 18 व्यक्तियों ने श्री सुखपाल सिंह को जान से मारने की नियत से उनके घर पर सायंकाल साढ़े छः बजे चढ़ाई की तब श्री सुखपाल सिंह तथा उनके गांव वालों द्वारा लाइसेन्सी बन्दूक के साथ ललकारने पर वे लोग भागे। इसी बीच गश्त पर नियुक्त पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर गांव वालों की मदद से आठ व्यक्तियों को धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 5 अभियुक्तों के पास से 2 इंगलिश तथा 3 देशी बन्दूकें बरामद की गईं तथा उन के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के मुकदमें दर्ज किए गए। इस घटना के सम्बन्ध में श्री सुखपाल सिंह द्वारा थाना हजरतपुर, जिला बदायूं पर धारा 147/148/149/452/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत 18 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई। 17 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियुक्तगण डकैत नहीं हैं बल्कि झग । आपसी पार्टीबन्दी तथा पुरानी रंजिस के कारण होना पाया गया। उक्त घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम कुन्डरा मझरा में एक सब इन्सपेक्टर के साथ एक आर्म गार्ड तैनात कर दिया गया है और श्री सुखपाल सिंह तथा उनके तीन सहयोगियों की सुरक्षा हेतु बन्दूक के लायसेन्स दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुहम्मद रफी खां—

चूंकि एक डकती की घटना को गलत तौर पर पेश किया गया है, तो क्या मुख्य मंत्री जी मुनासिब समझकर इसको सी0 आई0 डी0 से चेक अप करा देंगे ? चेक अप की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टीगेशन की नहीं।

श्री राम नरेश यादव—

इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं था कि जांच किसी दूसरे अधिकारी द्वारा करायी जाय, इसलिए उसका प्रश्न नहीं उठता था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा वह डकैती थी और बड़ी संख्या में हथियार लेकर लोग आए, तो उनके खिलाफ डकैती में क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गयी ? दूसरी बात यह कि जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी उसे भी पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

यह आपसी रंजिश और झगड़े की वजह से हुआ था। नीचे आप देखगे, वह डकैती नहीं थी।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मैं उनसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आए, जो, पेशेवर डकैत थे। उनके खिलाफ खाली रिपोर्ट 151 और 107 में ही क्यों दज की गयी अगर गांव वाले न पकड़ लेते तो गम्भीर घटना हो सकती थी। 402 म क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, उसमें कहीं किसी डकैती का कोई एलीगेशन नहीं था। इसलिए उस सन्दर्भ में डकैती का मुकदमा कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री रियासत हुसैन—

मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया कि कुछ रंजिश की वजह से यह हुआ तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि उस रंजिश की वजह क्या थी, जिसमें 18 आदमी हथियारबन्द होकर दूसरों पर हमलावर हुए ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो रिपोर्ट लिखी गयी उसमें यह है कि मेरा नाम सुखपाल सिंह, पिता जी का नाम श्री लखन सिंह है, ग्राम कुंडरा मझ ा का रहने वाला हूं। इस थाने के अन्तर्गत करीब 12, 13 साल पहले की बात है, कुंवर पुत्र दरया व अहर निवासी, जलेबी नगला मझरा ग्राम कुंडरा, के बाप का कत्ल हो गया था, जिसमें मेरे भाई श्री बुधपाल सिंह व मेरे नगला के जोगराज व सूबेदार मृतक पुत्रगण लाखन अहीर वगैरा के खिलाफ उसने मुकदमा कत्ल कायम कराया था, जो अदालत से छूट गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या यह सही है कि जो रिपोर्ट लिखाने गया था, वह सही रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया तो क्या उसको सही मानकर सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई शिकायत न थी और न है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा मेरी जानकारी में है कि श्री सुखपाल सिंह जिसके यहां डकैती या कत्ल करने के इरादे से आए थे उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी ? क्या हजरतपुर के थानेदार ने जिन्होंने डकैतों को पकड़ा, उनकी बन्दूक के लाइसेन्सों की सिफारिश नहीं की और उनको गिरफ्तार बहुत बाद में किया गया ? इसलिए क्या सारे मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायी जायगी ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

सचिवालय के अनुसूचित जाति व जन जाति के वैयक्तिक सहायक

*11—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल कितने वैयक्तिक सहायक हैं तथा इनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ? क्या यह सही है कि तदर्थ रूप से नियुक्त कुछ वैयक्तिक सहायकों को जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस समय कुल 354 वैयक्तिक सहायक हैं। इसमें 6 वैयक्तिक सहायक अनुसूचित जाति के हैं। जनजाति का कोई नहीं है।

सचिवालय में तदर्थ रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायकों को प्रत्यावर्तित करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन इस समय नहीं है।

*12—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[उरे मंगलवार के लिए स्थगित।]

बदायूं जिले के ग्राम खिरिया मधुकर में हत्या की घटना

*13—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 27 जून, 1977 को ग्राम खिरिया मधुकर, थाना उसैत, जिला बदायूं में चार कत्ल दिन दहाड़े हुए जिसकी रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो उक्त घटना में अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए या हाजिर हुए ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

27 जून, 1977 को सायंकाल 5.00 बजे ग्राम खिरिया मधुकर, थाना उसैत, जिला बदायूं में घटना के बारे में श्री भंवर पाल सिंह की रिपोर्ट पर धारा 148/149/307/302/120-बी/396, भा0 दं0 वि0 के अपराध की सूचना थाने पर उसी दिन सायंकाल 10.30 बजे लिखाई गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 13 अभियुक्तों में से 12 अभियुक्त नामजद थे जिनमें से 6 नामजद अभियुक्तों को 19 जुलाई, 1977 को गिरफ्तार किया गया, 3 नामजद अभियुक्त 21 जुलाई, 1977 को गिरफ्तार किए गए और 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 के आदेश प्राप्तकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। एक अन्य अज्ञात अभियुक्त के बारे में छानबीन तथा माल की बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। कोई अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।

थाना कोतवाली, जिला एटा की हिरासत में श्री मुन्ना की मृत्यु

*14—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) तथा श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा शहर में दिनांक 24/25 जुलाई, 1977 को मुन्ना लाल, रिक्शा चालक को कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और मृतक के आश्रितों को क्या सहायता दी गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 जुलाई, 1977 को सुबह साढ़े दस बजे भारतीय खाद्य निगम, एटा का चौकीदार थाना कोतवाली एटा पर एक व्यक्ति मुन्ना पुत्र भोपत, निवासी नगला बौजिया, एटा को पकड़कर लाया तथा इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि जब वह रात को खाद्य निगम के गोदाम पर ड्यूटी पर था तो उक्त व्यक्ति 'बाउन्ड्री' के अन्दर घुस आया और बोरी उठाने की कोशिश की। उसने अपने साथियों की मदद से उसे घेरकर तथा मारपीट कर मौके पर बाउन्ड्री के अन्दर पकड़ लिया। इस सूचना के आधार पर धारा 379/511 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। थाने के अभिलेखानुसार उस समय अभियुक्त के हाथ पैरों पर चोटें थीं तथा वह शरीर में दर्द बताता था। अभियुक्त को उसी दिन मैजिस्ट्रेट के आदेश से जेल भेजा गया। जेल अधिकारियों ने अभियुक्त की गम्भीर दशा को देखते हुए सम्बन्धित कान्सटेबुलों से उसे चिकित्सा हेतु अस्पताल ले जाने को निर्देशित किया। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्ट मार्टम से उसके शरीर पर 20 चोटें पाई गईं तथा मौत का कारण "शाक तथा हैमरेज" पाया गया।

उक्त घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, जिसके बाद वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी तथा तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मृतक के आश्रितों को एक हजार रुपए की धनराशि मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर की गिरफ्तारी

*15—श्री गुलाब सेहरा तथा श्री वीरेन्द्र पति यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जुलाई, 1977 को अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद शर्मा) को स्थानीय पुलिस ने उनके होटल से पकड़ा और मारते हुए थाने ले गए जहां उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई और डाक्टरी जांच कराने के लिए हथकड़ी डालकर ले जाया गया? क्या यह सही है कि इस काण्ड के विरुद्ध उसी समय थाने पर एक भारी भीड़ ने प्रदर्शन किया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराके आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, निवासी अनुपशहर, जिला बुलन्दशहर को दिनांक 6 जुलाई, 1977 को 8.05 बजे रात्रि थाना अनूपशहर की पुलिस द्वारा नशे की हालत में एवं चाकू लिए हुए चौराहा बवस्टरगंज अनूपशहर से धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 व 34 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया, गया। तत्पश्चात् उन्हें हथकड़ी लगाकर डाक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 7 जुलाई, 1977 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने तथा उन्हें थाने पर बलपूर्वक शराब पिलाए जाने की बात सत्य नहीं है। उक्त घटना को लेकर थाने पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम डीह मेंहदी निवासी श्री जगरूप को मारे-पीटे जाने की घटना

*16—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित लालगंज थाने के अन्तर्गत ग्राम बाबूगंज के हरिजनों पर पेड़ों की पत्तियां तोड़ने पर दिनांक 2 अगस्त, 1977 को ग्राम दीह मेंहदी के कुछ लोगों ने मारपीट की और हरिजनों के घर जला दिए? यदि हां, तो इस वाकिए के तथ्य क्या हैं?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। वरन् सत्यता यह है कि ग्राम डीह मेंहदी के कुछ हरिजनों को बाबूगंज के कुछ व्यक्तियों ने दिनांक 2 अगस्त, 1977 को मारा-पीटा। तथ्य इस प्रकार हैं:—

श्री जगरूप, पुत्र रामई कोरी ने दिनांक 2 अगस्त, 1977 को थाना लालगंज में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि ग्राम बाबूगंज के मुहम्मद मुस्तकीम व 9 अन्य व्यक्तियों ने उसी दिन सुबह काम करने के लिए बुलाया। वादी ने यह कहा कि मैं कल से

काम पर आऊंगा। इस बात को लेकर जब वादी बकरियां चराने नदी पर गया तो उसे वहां पर मारा और जब वह घर भाग गया तो अभियुक्तगण एक गोल बनाकर लाठी, बन्दूक तथा भालों से सुसज्जित होकर गांव में आए और जगरूप के घर वालों को मारा।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में धारा 147/148/14/323/436 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा उसी दिन दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि वादी जगरूप जब अपनी बकरियों को चराने के लिए लोनी नदी के किनारे गया था तो श्री इरशाद पुत्र अब्दुल जब्बार के बबूल के प[illegible] की टेहनियां को तोड़ने प[illegible] मार-पीट हो गयी जिसमें इरशाद का सर फूट गया। इस घटना की जानकारी होने पर बाबूगंज के कुछ व्यक्ति उत्तेजित हो गए और बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर गांव डीह मेंहदी में आए और श्री जगरूप के पिता व अन्य व्यक्तियों को मारा पीटा। इस अभियोग में प्रथम सूचना के 10 अभियुक्तों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य दो के बारे में जांच चल रही है।

शाहजहांपुर जिले के मौजा मोजमपुर में डकैती

*17—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले की तिलहर नगरपालिका म दिनांक 11 जुलाई, 1977 को दिन के 12 बजे भीषण डकैती प[illegible]ी? यदि हां, तो उपरोक्त डकैती के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 11 जुलाई, 1977 को दिन के करीब एक बज श्री राममूर्ति वैश्य, निवासी मो0 मौंजमपुर, कस्बा व थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर के घर पर चार बदमाशों द्वारा दरवाजा खुलवा लेने के बाद घर के लोगों को मारपीट करके नकद व जेवर लूट ले जाने की घटना की रिपोर्ट श्री राममूर्ति वैश्य द्वारा थाना तिलहर पर उसी दिन लिखाई गई।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना तिलहर पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 394 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना में नामांकित एक अभियुक्त की तथा विवेचना से प्रकाश में आए तीन अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही किए जाने के उपरान्त उसने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष एक अभियुक्त, जिसका नाम व पता अभी तक तस्दीक नहीं हुआ है, की खोज एवं लूटे गए माल बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

*18—श्री कल्पनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित।]

*19—श्री सोहन वीर सिंह तोमर, श्री बाबू राम शुक्ल, श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री हरप्रताप सिंह, श्री जंगबहादुर सिंह पटेल तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी —

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतरांकित प्रश्न

कारागार विभाग के जेलरों की पदोन्नति

1—श्री मोहन सिंह—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में इस वर्ष जेलरों की पदोन्नति तदर्थ रूप में की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतान की कृपा करेगी कि उन पदोन्नति जेलरों में कितने जेलरों पर चार्ज-शीट है तथा उनमें से कितने औरों से जूनियर हैं ? पदोन्नति का आधार क्या था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। कारागार विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए इस वर्ष कुछ जेलरों की पदोन्नति तदर्थ रूप में की गई है और कुछ अन्य को इसी प्रकार प्रोन्नत करना शासन के विचाराधीन है। चूंकि चयन प्रक्रिया अभी पूरी सम्पन्न नहीं है अत : इस समय कोई विस्तृत सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के कर्मचारियों का स्थायीकरण

2—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला निर्वाचन कार्यालय में कितने जनपदों में ऐसे अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें कार्य करते हुए 20 वर्ष अथवा इससे अधिक हो गए हैं और उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और इसका क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसा कोई कर्मचारी अस्थायी नहीं है जिसे किसी जनपद के जिला निर्वाचन कार्यालय में लगातार कार्य करते हुए 20 वर्ष अथवा उससे अधिक हो गए हैं।

बस्ती जिले के स्वर्णकार ब्रदर्स फर्म के विरुद्ध दर्ज किया गया कथित मुकदमा

3—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत बांसी थाने में 1975-76 में कोई मुकदमा स्वर्णकार ब्रदर्स नामक फर्म के विरुद्ध कायम हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित फर्म स्वर्णकार ब्रदर्स के विरुद्ध जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1975 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने हेतु एक रजिस्टर्ड पत्र थानाध्यक्ष झांसी को भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार थाना बांसी में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। जिला मस्जिट्रेट, बस्ती द्वारा थाने पर मुकदमा न कायम होने के कारणों को ज्ञात करने हेतु जिला पूर्ति कार्यालय, पोस्ट आफिस तथा थाना बांसी के अभिलेखों से जांच करायी जा रही है।

प्रदेश के अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक

4—श्री गुलाब सेहरा तथा श्री प्रेम नारायण (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 1973-74 में क्रमश : 15 और 12 थे और अब कितने हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी एवं जिलों में नियुक्त पुलिस अधीक्षक की संख्या वर्ष 1973-74 में क्रमश : 13 और 8 थी और इस समय क्रमश : 6 तथा 7 हैं।

5—श्री राजेन्द्र कुमार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देवरिया जनपद में पशुओं में बीमारियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में पशुओं में गलाघोंटू तथा खुरपका जैसी भयंकर बीमारी पैदा हो गई है जिससे अब तक 500 से अधिक बैल, गाय, भैंस तथा बकरियां मर चुकी हैं और हजारों की संख्या में रोगग्रस्त हैं। इसका प्रसार ग्रामीण अंचल में बड़ी तेजी से हो रहा है। पशुओं को सुई लगाने और दवा देने में पशुपालन विभाग निष्क्रिय है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है हैं कि देवरिया जनपद पशुविहीन हो जायगा।

अस्तु, आज में आपकी आज्ञा से माननीय पशुपालन मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि पशुओं की बीमारी तत्काल रोकने हेतु विशेष दस्ते के द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था करायें।

राजकीय अन्ध विद्यालय के छात्रों की मांगों तथा उनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

लखनऊ स्थित राजकीय अंध विद्यालय के छात्र लम्बे समय से अपनी मांगों के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए कुछ कमरे, 2 या 3 अध्यापक तथा साफ सुथरा भोजन और पढ़ने तथा रहने की जगह, प्रकाश की व्यवस्था जैसी उनकी साधारण मांगें हैं जिन्हें शासन स्वीकार नहीं कर रहा है। अत : विवश हो कर विद्यालय के अन्धे छात्र कल विधान भवन के सम्मुख प्रदर्शन करने आए थे। लगभग 60 अन्धे छात्रों के जलूस को उससे संख्या में कई गुना अधिक पुलिस ने रोक कर उनके झंडे तथा पताका छीन ली तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हजारों नागरिकों ने भी इन अन्धे छात्रों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की है। सरकार को अन्धे छात्रों की पढ़ाई तथा निवास सम्बन्धी साधारण सुविधा की मांगों के प्रति विशेष सहानुभूति एवं प्राथमिकता का रुख अपना कर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करूंगा कि अपाहिज और अन्धे लोगों के प्रति मानवीय तथा सम्वेदनशील व्यवहार होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों को कार्य सूची में न रखने पर आपत्ति

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है ? यहां पर क्या चीज चल रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक जानकारी दी जा सकती है, अध्यक्ष की अनुमति से। मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री चेतराम गंगवार—

जब आप मन्त्री थे तो यह नहीं होता था।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई विवाद नहीं होता है। केवल जानकारी सदन में दी जा सकती है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इसमें कार्यवाही कैसे होती है ?

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न रखते हैं इस तरह के आदेश मन्त्रियों को दिए जा चुके हैं कि वे इस पर जो कार्यवाही करें सम्बन्धित सदस्य को उसकी सूचना दे दें।

श्री चेतराम गंगवार—

लेकिन सदन नियमों के अनुसार चलता है ?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह की आवश्यक सूचनाओं को सदन में देने के लिये अध्यक्ष नियमों के अनुसार अनुमति दे सकता है।

श्री चेतराम गंगवार—

नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत यह है ?

श्री अध्यक्ष—

नियमों में स्पीकर को यह अधिकार है।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

एजेन्डे में आप देखें जो इस प्रकार है :—

1—प्रश्नोत्तर, 2—सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें, यदि कोई हों। 3—विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना, यदि कोई हो। 4—नियम 315 के खंड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों। 5—मन्त्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों। 6—कार्य-स्थगन प्रस्ताव, यदि कोई हो। 7—वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी। 8—नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें, यदि कोई हों।

तो आप देखें कि इस एजेन्डे में कहीं कोई ऐसा प्राविजन नहीं है कि अध्यक्ष की अनुमति से सदन में इस तरह की सूचनायें दी जायेंगी और उनको अध्यक्ष जी इजाजत

[श्री यशपाल सिंह]

देंगे जब कि वे एजेन्डे में नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि नियमों के अन्तर्गत इस तरह की सूचनाएं स्वीकार करने का अधिकार यदि आपको है तो यह सब एजेन्डे पर आना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद जिसको शून्य प्रहर कहते थे इस को विनियमित करने के उद्देश्य से नियम 313 के अनुसार माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि इस तरह की सूचनायें जो कार्यक्रम में शामिल नहीं होतीं परन्तु प्रश्नों के बाद में सदस्य ख हो जाते है किसी आवश्यक सूचना को देने के लिए उनके लिए, सदस्यगण एक घंटे के भीतर यानी 10 बजे तक उस सम्बन्ध में लिखित सूचना देंगे उनमें 5 तक जिनको अध्यक्ष अधिक महत्व की समझेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे उन सदस्यों को बतला देंगे।

श्री यशपाल सिंह—

एजेन्डे पर आने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

शून्य प्रहर में पहले भी बिना एजेन्डे के खड़े हो जाते थे, अत : इसकी आवश्यकता नहीं है। यह माननीय नेता सदन और सबके परामर्श से तय किया गया। नियम 313 में यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है कि इस तरह के प्रश्नों को वह ले सकता है।

नैनीताल की कालाढूंगी तहसील में दाबका नदी पर बनाया गया काजवे के ध्वस्त होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जिला नैनीताल की कालाढूंगी तहसील के अन्तर्गत दाबका नामक नदी पर अनुमानत : 3 लाख 60 हजार रुपए की लागत से बनाया गया "काजवे" विगत दूसरे सप्ताह के अन्त में उद्घाटन किए जाने के दिन ही नदी में साधारण पानी बढ़ जाने से ध्वस्त हो गया। विगत 21 अगस्त, 1977 को मैंने स्वयं मौके पर जा कर पूरे "काजवे" पर आर-पार पद यात्रा कर उसका निरीक्षण किया और पाया कि "काजवे" के धरातल पर सीमेन्ट का जो ऊपरी लेप किया गया था, वह छिलके की तरह उतर कर पानी में बह गया है। और उत्तर दक्षिण की दोनों दीवारों के बीच में केवल रेत और बजरी भरी हुई शेष रह गई है। काजवे के पूर्वी सिरे के समीप जो लिन्टर डाले गए थे वह उखड़ कर खंडित दशा में नदी में नीचे गिर पड़े थे। उपरोक्त काजवे रामनगर-हल्द्वानी मोटर मार्ग के मध्य पड़ता है, विदित हुआ है कि उपरोक्त निर्माण के लिए जो सीमेन्ट रामनगर तथा हल्द्वानी शहरों से लाया जाता था, उसका बड़ा भाग, सम्बन्धित इन्जीनियर, ओवरसियरों तथा ठेकेदार की मिली भगत से वहीं सस्ते दामों पर बेच दिया गया। इस प्रकार के खोखले निर्माण के उत्तरदायी अधिकारी व ठेकेदार सिर्फ धोखाधड़ी व बेईमानी के ही नहीं बल्कि राष्ट्रदोह के अपराधी हैं। अतएव मेरा अनुरोध है कि उनको डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सरकार द्वारा की जाय। माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, यह वाकई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कि पुल गिर गया। कृपया इसकी जांच कराकर इसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दें।

बस्ती जिले के महिला चिकित्सालय तथा जिला अस्पताल में डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों की लापरवाही से 3 महिलाओं की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं। आपका ध्यान जिला महिला चिकित्सालय तथा जिला अस्पताल, बस्ती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति में परिवार-नियोजन के सिलसिले में जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती में तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई, यह मृत्यु डाक्टरों के देख-भाल न करने के कारण हुई है। जिला अस्पताल में मरीजों के साथ बहुत ही अव्यवहार होता है और मरीजों की दवा नहीं होती है। पैसे के लिए निर्धनों को लूट लिया जाता है, उनको दवा नहीं दी जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वार्डों का निरीक्षण नहीं करते हैं वहां पर 10-15 वर्ष से लगातार बने हुए कर्मचारी मरीजों के हित की उपेक्षा करके पैसे के लोभ में वार्ड छोड़ कर बाहर घूम-घूम कर पैसा उपार्जित करने में लगे रहते हैं। पीड़ित जनता भयभीत होकर जिला महिला चिकित्सालय तथा जिला अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं करती। जब से माननीय जागेश्वर प्रसाद जी, भूतपूर्व उपमन्त्री का दौरा बस्ती जिले में हुआ और चिकित्सालय में कुछ त्रुटियां पाईं और उसका उल्लेख किया और बस्ती से आने के कुछ ही समय बाद माननीय जागेश्वर प्रसाद जी ने उप-स्वास्थ्य मन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया तब से जिला महिला चिकित्सालय तथा जिला चिकित्सालय के डाक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तथा अन्य कर्मचारी तथा महिला चिकित्सालय के डाक्टर एवं कर्मचारी सब मरीजों को धमका कर पैसा लेते हैं और यह कहते हैं कि हम लोगों ने उपमन्त्री का इस्तीफा दिलवा दिया। डाक्टर कर्मचारी, मिडवाइफ हम सब लोग संगठित हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं खत्म कर रहा हूं। अगर कोई मेरे धन उपार्जन में बाधा डालेगा तो जागेश्वर प्रसाद की तरह समाज में बदनाम करके कलंकित करवा दूंगा। इस प्रकार की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में अनाधिकृत रूप से संगठन बनाना जनहित में न्याय संगत नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बहुत गबन, अनियमिततायें, घटिया किस्म की दवायें खरीदकर मरीजों को देकर समाज की हानि की है। महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अवैध सम्बन्ध के कारण सत्य बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखपाल पांडेय]

अत : आपसे अनुरोध है कि जिला महिला चिकित्सालय तथा जिला अस्पताल में जो 6 साल से अधिक कार्यरत डाक्टर या कम्पाउन्डर, मिडवाइफ या अन्य कर्मचारी हों, उनका स्थानान्तरण जिले के अन्य चिकित्सालयों में कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप अब भाषण न करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इस मामले की जांच कराई जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और अस्पताल की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाई जाय।

मथुरा जिले में पुलिस की अकर्मण्यता से कानून व्यवस्था के भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे उत्तर प्रदेश की भांति मथुरा जिले में कानून की व्यवस्था बिल्कुल भंग हो रही है। आये दिन सारे जनपद में राहजनी, लूट, डकैती, हत्यायें होना रोज का कार्य हो गया है। ऐसा लगता है जनपद में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। अभी विगत सप्ताह में जिले के प्रतिष्ठित वकील श्री खचेरमल की हत्या कर दी गयी और पुलिस हत्यारों का पता लगाने में असफल हो रही है। मथुरा के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सारे दिन मौज-मस्ती में घूमते रहते हैं। मथुरा जिले के समस्त विधान सभा सदस्यों ने ऐसे अकर्मण्य पुलिस अधीक्षक को, जिसका स्थानीय पुलिस पर कोई नियन्त्रण नहीं है, जनपद से हटाने की मांग लिखित रूप से की है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: जनपद की सुख शान्ति के लिए सरकार का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करता हूं।

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र न देने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री एवं संसदीय कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न की एक नोटिस मुझको . . .

एक सदस्य—

मैंने भी सूचना दी है, किन्तु मुझे अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

सूचना देने मात्र से नहीं होता है, जिनको मैंने मंजूर किया है, वही पढ़े जा सकते हैं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो वक्तव्य आपने सूचना के लिए दिए थे, उन पिछले सेशन के भी उत्तर अभी तक नहीं आए हैं। इनका उत्तर 15 या 7 दिन में मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना चाहिए । 25-30 वक्तव्य पिछले सेशन के पड़े हुए हैं । इसलिए आप समय निश्चित कर दें कि इतने समय में हमारे पास भेजा जाए या फिर मन्त्री जी के विविध वक्तव्य के अन्तर्गत जो नम्बर 5 पर है, हम लोगों के पास उपस्थित किया जाए, ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो सके। प्रश्न यहां पर माननीय सदस्य करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता है, और समय पर नहीं मिलता है, तो बेकार हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोहन सिंह जी का एक विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसमें आपके प्रश्न का भी समाधान होगा । मोहन सिंह जी ने मुख्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री के विरुद्ध सदन का अवमान करने की सूचना मुझको दी है। उनका कहना है कि 23 जुलाई, को, जब सदन का अन्तिम दिन था, राजनैतिक कारणों से सम्बन्धित सभी मुकदमों की वापसी के लिए सदन का ध्यान आकर्षित किया था, उस समय पीठ से यह आदेश दिया गया था कि सरकार इसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर माननीय सदस्यों को दे दे और यदि सम्भव न हो तो उसकी सूचना दे दे। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 23 तारीख को जब कि यह सदन अनिश्चित-काल के लिए स्थगित किया गया था, यह निर्देश दिया गया था कि 7 दिन में सूचना दी जाए। यदि सूचना देने में कोई दिक्कत हो, तो भी 7 दिन में उसकी सूचना सदस्य को दे दी जाए। अभी श्यामधर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया, जिन प्रश्नों को यहां स्वीकार किया जाता है माननीय मन्त्री जी बताएं कि कितने समय में माननीय सदस्यों को उनकी सूचना दी जा सकती है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न न पैदा हों। विशेषाधिकार की अवहेलना तो मैं इसमें मानता नहीं हूं । लेकिन यह उचित होगा कि निश्चित समय में सम्बन्धित मन्त्रालय उसकी सूचना दे दे और इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व निर्देश के अनुसार पत्र पहले मेरे कार्यालय से भेजा जा चुका है।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 को मैं इसकी सूचना दे दूंगा।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है। जब सदन के जरिए हम लोग कोई महत्व का प्रश्न शासन को देते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उसकी ओर ध्यान देकर हमें सूचना दी जाए, तो शासन का दायित्व है कि अध्यक्ष जी का आदेश मानने का काम किया जाए । यह संसदीय परम्परा और सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस लिए आपने जो व्यवस्था दी है, उसको मैं शिरोधार्य करता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो सूचनाएं हैं, जिन पर अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हैं, उसके बारे में हमें बताया जाय।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी सभी सम्बन्धित मन्त्रियों को इस बात के आदेश दें कि यहां पर माननीय सदस्य जो प्रश्न अध्यक्ष की आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हैं, उसका उत्तर 7 दिन में अवश्य दिया जाना चाहिए और 7 दिन में आना सम्भव न हो तो माननीय सदस्यों को अन्तरिम जवाब अवश्य दे देना चाहिए।

एक सदस्य--

प्रश्नों के समय भी तैयार हो कर आया करें।

श्री राम नरेश यादव--

इस सम्बन्ध में शासन की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीय यशपाल सिंह जी ने जो आपत्ति किया था, माननीय नेता विरोधी दल भी उपस्थित थे, माननीय नेता सदन भी थे। यदि आपकी आपत्ति है तो प्रश्नों के बाद मैं भविष्य में इस प्रकार की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

वह पूछ रहे थे केवल।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अगर आप ऐसा निर्णय ले लेंगे तो बड़ा अन्याय होगा। ना जानकारी की वजह से उठाया है उन्होंने। सर्वसम्मति से नेता सदन, नेता विरोधी दल और लोग थे, आपके कक्ष में जो चीज तय हुई है किसी माननीय सदस्य के कहने पर अगर विपरीत निर्णय ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा हूं। निर्णय आपकी अनुमति से लूंगा।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, बड़ा भ्रम पैदा हो गया। शायद मेरी आपत्ति को आपने यह समझा कि मैं यह चाहता हूं कि इस किस्म के प्रश्नों को यहां पर स्वीकृत न किया जाय। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। मेरी मंशा केवल इतनी थी कि नियमों के अन्तर्गत जिन चीजों का आपको अधिकार है, उसका समावेश एजेन्डा में हो जाय, तो उसमें आपत्ति न हो। और प्रश्नोत्तर के पश्चात् नं0 2 पर एजेन्डे में रख सकते हैं। नियम 313 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की सुचनायें, यदि कोई हों।

श्री अध्यक्ष--

इसको कार्य क्रम में शामिल नहीं किया जा सकता है।

एक सदस्य--

जो परम्परा चल रही है, उसको चलने दिया जाय।

लोक आयुक्त के पद पर श्री विशम्भर दयाल की नियुक्ति की सूचना

*मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कतिपय मामलों में वर्तमान, भूतपूर्व मन्त्रियों, विधायकों, स्थानीय निकायों व प्रमुख सहकारी समितियों के अध्यक्षों, शासन के सचिवों तथा अन्य उच्च

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्तरीय लोक सेवकों के विरुद्ध कुप्रशासन आदि की शिकायतों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के निमित्त लोक आयुक्त कीं नियुक्ति की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम को शासन ने 12 जुलाई, 1977 को उत्तर प्रदेश के असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा 12 जुलाई, 1977 से लागू किया। उसके बाद उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी वह उपधारा के परन्तुक (क) के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा के विरोधी दल के नेता से परामर्श किया गया। तदुपरान्त राज्यपाल महोदय ने न्यायमूर्ति श्री विशम्भर दयाल (सेवा निवृत्त) की नियुक्ति की है। श्री बिशम्भर दयाल की नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1957 में हुई थी। 1969 में वे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा उस पद से सितम्बर, 1972 में सेवा निवृत्त हुए।

लोक आयुक्त के कार्यालय के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गयी है। उनके स्टाफ आदि के लिए औपचारिक स्वीकृति दी गयी है किन्तु अधिकारियों व कर्मचारियों को अन्तिम रूप से नियुक्ति प्राविधानों के अनुसार लोक आयुक्त महोदय के परामर्श से ही की जायगी।

1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के समय विपक्ष को अधिक समय देने की मांग

श्री अध्यक्ष--

1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा अब फिर शुरू होगी।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, एक प्रश्न है। आपसे निवेदन है, मैं आपके, अध्यक्ष के निर्णयों का संकलन जो छपा हुआ है 1952 से 1967 तक उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपका निर्णय घोषित हुआ है कि सरकारी पक्ष के तीन सदस्य जब बोलेंगे तब विरोधी दल का एक बोलेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में आपके पूर्वाध्यक्ष लोगों का जो निर्णय है, पृष्ठ 124 और 133 की तरफ ध्यान दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कौन सा पृष्ठ बतला रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र--

पृष्ठ 124 पहले देखा जाय। आय-व्ययक पर वाद-विवाद में विरोधी पक्ष तथा सरकारी पक्ष को समान समय मिलना चाहिए, आज्ञा हो तो पढ़ दूं। 25 जुलाई, 1957-58 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के समय श्री त्रिलोकी सिंह ने विरोधी दल के सदस्यों को विवाद में अधिक समय देने की प्रार्थना करते हुए कहा --

"एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट के विवाद में और उसकी सारी कार्यवाही में संसदीय प्रथा (पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस) यह रही है कि विरोधी दल का मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्याम धर मिश्र]

हाथ होता है और किसी भी दशा में उसे, जो समय बहुमत दल को दिया जाता है, उससे कम नहीं मिलना चाहिए।" उन्होंने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया था।

इस पर श्री उपाध्यक्ष ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए कहा—"मैं माननीय त्रिलोकी सिंह का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस संसदीय परम्परा की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। मैंने भी इन बातों का अध्ययन किया है। मैं उनसे सहमत हूं कि अन्य देशों की भांति हमारे यहां भी इस संसदीय परम्परा का यदि पालन हो तो बहुत उत्तम है और यथासम्भव चेयर की तरफ से इसी बात का प्रयत्न हुआ है। इसी पुस्तक के पृष्ठ 133 पर है कि आय-व्ययक के अनुदानों पर विवाद में विरोधी दल के सदस्यों को सरकारी पक्ष के सदस्यों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए।" यह बहुत लम्बा है। इसको पढ़ूंगा नहीं। लेकिन यह है कि विरोधी पक्ष वालों को अधिक समय मिलना चाहिए। नीति तो सरकारी दल की होती है। विरोधी दल वालों को अपनी बात कहने और समझाने का अधिक मौका मिलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें और हम लोगों को अधिक समय दें। विरोधी दल की ताकत वही थी जो आज करीब-करीब है। यह न किया जाए किये बहुत संख्या में हो गए हैं। उसी हालत की रूलिंग है।

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुके हैं और उसी के अनुरूप इस सदन का कार्य चलाया गया था। इधर बहुत अधिक राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। सदस्यों के कुछ अपने अधिकार होते हैं और वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जो व्यवस्था आपने दी है, वह उचित है। जो अनुपात है 1: 3 का उससे भी कम है विरोधीदल का अगर अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो शासन पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है आप उनके सुझाव को देख लें और जितना समय उपलब्ध हो उसके अनुसार जो व्यवस्था दें, वह सबको मान्य होगी।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों को अधिक समय मिलना चाहिए जिससे वे अपनी बात को सरकार केसामने रख सकें। सत्ता पक्ष के लोग तो अपनी मीटिंग करके विचार विमर्श कर लेते हैं, लेकिन यह सुविधा विरोधी पक्ष वालों को नहीं प्राप्त है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को अधिक बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर मिश्र जी ने जो आपत्ति की है और मेरा ध्यान तत्कालीन उपाध्यक्ष की व्यवस्था की ओर खींचा है, जब श्री त्रिलोकी सिंह 1946 में विधान सभा के विरोधी दल के नेता थे तो उसमें कहा है कि यह परम्परा रही है कि यथासम्भव समय चेयर की ओर से दिया जाय, इस बात का प्रयत्न रहा है। इसमें कोई विशेष रिजिडिता का प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। विरोध पक्ष को पर्याप्त समय दिया जायगा ताकि दोनों पक्ष अपना-अपना दृष्टिकोण रख सकें। इसमें कोई ज्यादा सख्ती नहीं होगी, विरोधी पक्ष को पर्याप्त समय दिया जायगा।

श्री श्यामधर मिश्र––

मान्यवर, आपने 3 उधर से और 1 इधर से सदस्यों को बोलने की आज्ञा दी है। आपके सदन से चले जाने के उपरान्त वहां पर अधिष्ठाता लोग बैठते हैं। वे लोग भी इन्हीं का पालन करते हैं, कोई डैविएशन उसका नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष––

मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, इस पीठ पर बैठेगा, वह विरोध पक्ष का पूरा ध्यान रखेगा।

1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। बजट में किसानों के लिए छूट, खाद में कुछ रियायतें, आयुर्वेदिक और यूनानी वैद्यों का डाक्टरों के बराबर वेतन-क्रम आदि बहुत ही लाभदायक बातें रखी गई हैं। इस प्रदेश में बुन्देलखंड संभाग एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मैंने देखा कि पूरे बजट भाषण में बुन्देलखंड के लिए कोई लाभदायक योजना नहीं रखी गई है। इस प्रदेश के पिछड़े हुए हिस्से को अन्य जिलों के समकक्ष लाने के लिए इसमें कोई योजना नहीं रखी गई है। इस प्रकार की कोई योजना को बजट के अन्दर न देखकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी में पिछले समय में 440 मैगावाट विद्युत्-गृह बनाने की योजना की घोषणा की गई थी लेकिन इसका कोई जिक्र बजट भाषण में नहीं है। वर्ष 1973 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने ललितपुर में राजघाट बांध का शिलान्यास किया था लेकिन आज 4 वर्ष बीतने पर भी वहां पर कुछ नहीं हुआ है। इस इलाके में ललितपुर का जिला सबसे ज्यादा सूखा और पिछड़ा जिला है जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता है। यह इस क्षेत्र का अन्नदाता है लेकिन उस बांध के बनाए जाने का इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस बांध के बारे में सरकार कोई तत्काल कार्यवाही करे जिससे इस इलाके का सूखा दूर हो सके।

इसके अलावा वहां पुराकलां के पास जामने नदी पर एक पुल के बनने की बात थी। 18 लाख रुपया इसके लिए भारत सरकार ने स्वीकार करने की घोषणा की थी, मिल भी गया था और दोनों प्रदेशों की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, सरकार मिल कर बनाएगी, लेकिन इस पुल के निर्माण का भी बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। इस ललितपुर जिले को अन्य जिलों के समकक्ष लाने के लिए धन की आवश्यकता है। वहां पर एक अस्पताल है, जिसे जिला स्तर का अस्पताल कहने में भी मुझे शर्म लगती है, वह केवल एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के ही समकक्ष है। उस अस्पताल को जिला स्तर का अस्पताल बनाने की योजना पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। जिले का मुख्य केन्द्र ललितपुर है।

---

†29 अगस्त, 1977 की कार्यवाही से।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

इसको जिले के स्तर पर लाने के लिए भी धन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वहां पर सड़के बनाने, सफाई कराने अदि कामों के लिए भी धन की काफी आवश्यकता है। बरसों पहले 13-14 लाख रुपया ड्रेनेज स्कीम के लिए नगरपालिका ने मांगा था, लेकिन आज तक कोई पता नहीं है और इस बजट में भी उस नगर को और जिलों के समकक्ष लाने के लिए कोई योजना नहीं लायी गयी है।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं। बुन्देलखंड के साथ अंग्रेजों ने बहुत उपेक्षा की नीति अपनायी हुई थी, क्योंकि बुन्देलखंड के लोग बड़े लड़ाकू और बहादुर लोग हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उसको टुकड़ों में रखा और यू0 पी0 में, मध्य प्रदेश में और रियासतों में पोलिटिकल एजेन्टों की एक व्यवस्था रखी थी। इसलिए बुन्देलखंड को दबाया गया और वहां की सड़कों आदि के विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस समय भी बुदेलखंड के साथ वही व्यवस्था जारी रही और बुन्देलखंड को दो हिस्सों में रखा गया ——मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आज हमारी कोई भी योजना, राजघाट बांध की योजना हो या पुलों की योजना हो, बिजली की योजना हो या सिंचाई की योजना हो, सारी योजनाएं मध्य प्रदेश से टकराती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार यहां से सिफारिश करे। वहां के पिछड़ेपन की जो स्थिति 30 साल पहले थी, वही स्थिति आज है। प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे कम पर कैपिटा आमदनी बुन्देलखंड में है। सिंचाई की वहां सबसे कम व्यवस्था हैं, बिजली के मामले में भी वह सबसे पीछे है। इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि बुन्देलखंड का पृथक प्रदेश निर्माण करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया है। उस क्षेत्र की जनता को देश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष और उसी स्तर पर लाने के लिए यही रास्ता है कि अलग प्रदेश का निर्माण हो। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 10-11 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश अब रहने वाला नहीं है....(लाल बत्ती जलने पर) अभी दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष——

आपके 8 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी——

तो इसलिए बुन्देलखंड प्रदेश के निर्माण के लिए सिफारिश करें। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ललितपुर जिले में 1970-71 में डेढ़ करोड़ रुपए की सड़कें बनने की योजना थी। उसमें अब तक डेढ़ करोड़ और 85 हजार रुपया खर्चा हो चुका है और सड़कें आधी भी नहीं बनी।

एक सड़क है पालीपुर घाट उसमें 28 लाख रुपया मंजूर था। मैं खुद देख कर आया हूं, आधी नहीं बनी और 31 लाख 5 हजार रुपया खर्च हो चुका है। यह बरबादी देख कर रोना आता है कि कैसे अधिकारी हैं कि 7-8 वर्ष में सड़कों को पूरा नहीं कर पाए हैं और इतना रुपया खर्च हो चुका है।

साथ ही मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक कालेज के अध्यापकों को भी मेडिकल कालेजों के अध्यापकों के समकक्ष वेतन देने की सरकार घोषणा करे। सरकार ने इस डिसीशन

को मान लिया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में भारतीय चिकित्सा पद्धति लागू की जायगी और यही ग्रांट्स कमीशन ने भी रिकमेंड किया है, तो इन अध्यापकों को भी वही वेतन देने का मैं निवेदन करूंगा।

एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार का मतलब यह नहीं है कि हम लोग उच्छृंखल हो जायं, कानून अपने हाथ में ले लें। आज जनता पार्टी के नाम पर बहुत से ऐसे दल और ऐसे गिरोह बन गए हैं जो बाजारों में, सड़कों पर लोगों की पकड़ा-धकड़ी करवाते हैं, बाजारों में दूकानों में घुस कर छापे डलवाते ह । श्रीमन्, कानून के माध्यम से हम अधिकारियों को अपनी बात बतायें और उनके माध्यम से कार्यवाही करें। आज ऐसे कामों के द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जनता पार्टी बदनाम हो रही है, जनता पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति लोगों की आस्था टूट रही है। इसलिए ऐसे बेलगाम लोगों को कुछ लगाम लगाइए और ऐसे आदेश दिए जायं जिला स्तर पर कि जो भी कार्यवाही हो वह कानून के तहत में हो और जिलाधीश और पुलिस के माध्यम से हो अन्यथा इस तरह से हमारी सरकारी इमेज खराब होगी और हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि इतने कम समय में जितनी बुद्धिमानी के साथ यह बजट पेश किया है उससे ज्यादा कोई और बुद्धिमानी हो नहीं सकती थी। मैंने विरोधी सदस्यों के कल भाषण सुने । मैंने सन् 1952 से सन् 1976 तक सारे बजट भाषणों को पढ़ा है इसलिए माननीय विरोधी सदस्यों का कोई तर्क मान नहीं सकता हूं। मेरे हाथ में 1975-76 का बजट भाषण है, जो श्री नारायणदत्त तिवारी ने पेश किया था। उसके बाद 1976-77 का बजट भाषण है। वह भी उन्हीं ने पेश किया था। सन् 1952 से 1976 तक जो कांग्रेस सरकार रही किसी भी वित्त मन्त्री ने ऐसा बजट नहीं पेश किया। सभी वित्त मन्त्रियों ने घाटे के बजट पेश किए और घाटे की पूर्ति के लिए अनाप-शनाप टैक्स लगाए। इसलिए आपका कोई तर्क जमता नहीं है। पहली बार मैं जनता पार्टी की सरकार और वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती के साथ सिद्धान्त के आधार पर एक समाजवादी बजट बना कर पेश किया है जिसमें एक पैसे का भी टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया गया है। मैं समझता हूं इसके लिए तमाम सदन को वित्त मन्त्री और जनता पार्टी की सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहिए।

विरोधी दल के सदस्यों की केवल दो बातें हैं। एक तो यह कि जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से दाम बहुत बढ़ गये हैं। वह भी सारे आंकड़े मैं लाया हूं। इन सब को पढ़ने में वक्त लगेगा। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। दाम की बात जो आप कहते हैं, तो दामों का सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार का सवाल नहीं है, यह सारे विश्व की समस्या है। यह समस्या भारत सरकार तभी हल कर पाएगी जब एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी। स्वर्गीय लोहिया जी ने हमको एक बात सिखायी थी, जब मैं सन् 1948 में समाजवादी पार्टी में भर्ती हुआ कि जब तक कैलाश टूटेगा नहीं तब तक समुद्र नहीं पट सकता। हिमालय पहाड़ टूटेगा तो समुद्र पटेगा। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

हिन्दुस्तान के अन्दर 20-21 घरानों की मालकियत है सारे देश में। वही इन दामों की लूट हमेशा करते रहे हैं। और कांग्रेस की पुरानी सरकार ने हमेशा उनको बढ़ावा दिया और वह बढ़ावा इतना दे दिया कि उनको गिराना आसान नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी दाम कैसे कम हो सकते हैं ? मान्यवर, सन् 1969 में टाटा की सम्पत्ति 605.55 करोड़ थी और 1974 में 5 साल के अन्दर ही 739.35 करोड़ हो गयी। इसी तरह से बिड़ला की सम्पत्ति 1969 में 418.49 करोड़ थी और 1974 में 829.36 हो गयी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह सम्पत्ति नहीं पढ़ रहे हैं, यह तो टर्न ओवर पढ़ रहे हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं सारी बातों की सफाई दूंगा, आप व्यवधान पैदा न करें। बुद्धिमानी की बात यह है कि बुद्धिमानी के साथ सुनें। तो मान्यवर, ज्यों-ज्यों यह सम्पत्ति बढ़ती जायगी और जखीरेबाजों, पूंजीपतियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जायगा तो फिर दामों का ह्रास होगा। यह अर्थशास्त्र का पहला नियम है। इसके लिए में सारे आंकड़े पढ़ना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, हमको डाक्टर लोहिया ने बार-बार पढ़ाया कि चीजों की कीमत तभी कम हो सकती है, जब कि वह जितने पैसे की बने, उससे ड्योढ़े दामों से अधिक दामों में मारकेट में न बिके। अगर यह बात साफ नहीं हो सकती है तो छोटी-मोटी बातों को पकड़ने से काम नहीं चल सकता। इसमें जनता पार्टी की सरकार का किंचित भी दोष नहीं है। जब कभी हमारी तरफ के लोग नहीं जान पाते हैं, तो वे भी बेचारे स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। यह पुराना पाप है जो कांग्रेस सरकार ने 30 सालों तक किया था, अब इसको पाटने में कुछ समय तो लगेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार को कई इसमें साल लग जायेंगे। यह 10—5 साल का सवाल नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में अगर कोई बात करें तो पूरी बातों का विश्लेषण करके बात करें।

मैं सन् 1962 से 67 तक इस विधान सभा का सदस्य रहा था। कभी एक पाई का लगान नहीं छोड़ा गया। कभी कहा कि 20 गुना लिया जायगा। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने पहली बार आप देख लें, मैं तो चाहता था सलाह देना, कि कम से कम सवा 6 एकड़ का लगान माफ किया जाय पर उत्तर प्रदेश के 70 प्रतिशत किसानों को लगान मुक्त किया गया, यह कम धन्यवाद की बात है ? पहली बार यह काम हुआ है। इसी सरकार ने उर्वरक के दाम कम किए हैं। मान्यवर, चौकीदारों की तनख्वाह के लिए कांग्रेस सरकार सोती रही। इस जनता सरकार ने चौकीदारों की तनख्वाह में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस छोटी सी पुस्तिका में सारा मामला समाविष्ट कर दिया।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, थोड़ा सा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राधेश्याम शर्मा––

मान्यवर, 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर ला-ऐंड-आर्डर की बात अक्सर कही जाती है कि ला-ऐण्ड-आर्डर की व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ दी है। मैं यह कह दूं कि यह सारा का सारा ला-ऐण्ड-आर्डर कांग्रेस सरकार ने 30 सालों में बिगाड़ कर इतनी बुरी तरह चकनाचूर कर दिया कि जिसको सम्भालने में वक्त लगेगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जो पाप किया उसका बदला जनता ने चुका दिया है, इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में मैं क्या कहूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि आप पुलिस के आई0जी0 को सतर्क करें। पुलिस को मीटिंग करके कहें कि सभी अपराध सही तरीके से नोट किए जायं और जो दोषी हों उसको सख्त सजा दी जाय और जो नाजायज तरीके से फंसाए जाते हैं उनको बख्शा जाय तो मैं समझता हूं कि ला-ऐण्ड-आर्डर की बात ठीक हो सकती है। अगर यह बातें हो जायेंगी तो सारे प्रदेश की जनता, जनता पार्टी की जय-जयकार करेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं विरोधी दल के लोग सोच-समझ कर किसी बात को कहें। केवल बजट पर बोलना है, आलोचना करनी है, अखबारों में पब्लिसिटी करानी है, इसी दृष्टि से किसी बात को न कहें। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुद्धिमानी के साथ बजट पेश किया है। इसको करोड़ों जनता धन्यवाद देगी इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी का 2 घंटे का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना। श्रीमन्, बजट जो होता है वह सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित करता है। एक आइना कहा जाय तो अति उत्तम होगा। क्योंकि सरकार का मुखारबिन्दु उसमें दिखाई देता है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो 2 घंटे का भाषण प्रस्तुत किया, शब्द जाल, मैं कहना चाहता हूं, लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने जो पुरानी परम्परा थी और जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि लकीर के फकीर और उसी को मुलम्मा चढ़ाकर पेश किया गया है।

श्रीमन्, कुछ चीजें बजट में कही गयी हैं जैसे सवा 3 एकड़ का लगान माफ कर दिया गया है। सवा 6 एकड़ की मांग की गई थी। वह होता तो अति उत्तम था। लेकिन जितनी माफ की गई उसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह माफ पहले भी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने और इस सरकार ने कोई नया काम कर दिया है। श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जो छोटे किसानों को फर्टीलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी गई है यह भी एक अच्छा काम हुआ है। इसके लिए भी मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन श्रीमन्, यह बजट जो आज पेश हुआ है और इसके पहले जो पेश होते रहे हैं वह पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था के बजट हैं। पहले के बजट भी उसी सन्दर्भ में होते रहे और आज का भी बजट जब संकट और गहरा है उसी के दायरे के अन्दर पेश किया गया है। इसमें कोई खास चीज नहीं है और यदि कहा जाय कि इसमें कोई खास बुनियादी परिवर्तन होने वाला है तो वह नहीं होने वाला है।

मैं 2–3 बातों का जिक्र श्रीमन्, करना चाहता हूं। एक तरफ सरकार कहती है उद्योग गांवों में खोले जायेंगे लेकिन उद्योग नीति सरकार की क्या होगी उसकी घोषणा अभी

[श्री ऊदल]

तक नहीं की गयी है। गांवों में लघु उद्योग खोले जायं तो उसका सभी लोग स्वागत करेंगे लेकिन जो पुराने उद्योग हैं वह भी चलने चाहिए। अभी परसों ही उद्योग मन्त्री जी का भाषण कानपुर में हुआ जिसको मैंने पढ़ा तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 50 फीसदी उद्योग लघु उद्योग आज बन्द पड़े हैं या जर्जर हालत में हैं। जो उद्योग चल भी रहे हैं उनकी हालत यह है कि वहां आए दिन छटनी, तालाबन्दी और पूंजीपतियों का दबाव रोज कायम है। श्रीमन्, लघु उद्योगों की चर्चा बहुत है तो मैं वित्त मन्त्री और सरकार से जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा उद्योग हमारे प्रदेश में खेती है, उसके बाद कुछ हैण्डलूम और पावरलूम हैं। आज हैण्डलूम की हालत है कि सूत और रेशम नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा जो कपड़ा तैयार किया गया है आज 10 करोड़ का है। उसका एक स्टाक हो गया है। पावरलूम और हैण्डलूम का जो सूत है उसकी इजारेदारी बिरला के पास है या दूसरे पूंजीपतियों के पास है। तो सरकार की नीति इस बड़े गृह तथा लघु उद्योग के बारे में, जिसमें मेरा ख्याल है कि 40 लाख लोग लगे हैं, क्या है? आज यह उद्योग बरबाद हो रहा है और जिसके कारण लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। क्या सरकार ने कभी विचार किया कि पावर लूम या हैण्डलूम के कपड़े जो तैयार होंगे, भारत सरकार ने पहले तय किया है कि साड़ी तथा कुछ दूसरे किस्मों के कपड़े जो इनसे तैयार होंगे वह बड़ी-बड़ी मिलों को तैयार नहीं करने दिया जाएगा, इस पर अमल करने का सवाल है। सस्ता सूत और फाइनेन्स का सवाल है। तो सरकार की जो उद्योग नीति है मैं समझता हूं कि उसके बारे में आज तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। इसलिए इस बजट में उद्योग नीति का मैं तो कहता हूं कि दिवाला पिट गया है और सरकार को अपनी उद्योग नीति घोषित करना चाहिए।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न श्रम नीति के बारे में वित्त मन्त्री जी ने 5–6 लाईन बजट भाषण में कह दिया। बोनस देने का प्रश्न जब आया तो सरकार ने चुनाव के पहले, इनकी पार्टी ने एलान किया था उसके लिए स्वागत है। लेकिन वित्त मन्त्री जी किफायतशारी वाली बात जो पूंजीपतियों के वकीलों की दलील हैं, कि ज्यादा पैसा यदि मजदूरों को मिलेगा, ज्यादा बोनस मिलेगा तो इससे मुद्रा स्फीति होगी और महंगाई बढ़ेगी। मुद्रा स्फीति आज हमारे देश में बड़े पमाने पर है। उसका एक कारण और भी है। आज माननीय दिघे जी इधर बैठते थे और मैं समझता हूं आज भी उनके दिमाग में होगा कि जो काला धन देश में घूम रहा है, उसके ऊपर कन्ट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से मुद्रा स्फीति है और सिर्फ इतना कह दिया कि तनख्वाह बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है जब कि यह महंगाई पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। मजदूरों का हड़ताल करना जन्म-सिद्ध अधिकार है लेकिन मेरठ में आज उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरकार के हाथ में एक ही हथियार है कि उनके मामले को पंच निर्णय के लिए भेज दिया जाय। कैसे तालाबन्दी रुकेगी, कैसे छटनी बन्द होगी, कैसे उनकी तनख्वाहें समय पर मिलेंगी इसके बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अभी इस सरकार के दो मन्त्रियों ने बयान दिया है। एक मन्त्री का बयान है कि जितने पावर हाउस हैं उनको प्राइवेट लाइसेन्सी के हवाले कर दिया जायगा। क्या वित्त मन्त्री जी नहीं जानते कि सन् 1948 से 1959 तक

कांग्रेस की सरकारों ने प्राइवेट एजेन्सियों जैसे मार्टिन बर्न तथा दूसरों को बिजली के बहाने करोड़ों रुपया देकर उनसे बिजली ली। 1959 के बाद विद्युत् परिषद् बनी, कुछ कायदे-कानून बने। आज सरकार के अन्दर रहने वाले इस तरह सोचें कि पावर हाउस को प्राइवेट एजेन्सी को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति का दिवाला पिट गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

इसी तरह से बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में एक मन्त्री का कथन पड़ा। ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहा है कि इसको भी प्राइवेट एजेन्सी को दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि जो बुनियादी नीतियां हैं कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े और सुखी समृद्धिशाली बने उसको छो कर पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है। और लोगों से तो नहीं कह सकता लेकिन दिघे जी से कह सकता हूं क्योंकि वे समाजवादी हैं और समाजवाद में उनकी आस्था है। जो प्रगतिशील नीतियां हैं उनकी तरफ सरकार को चलना चाहिए।

दूसरी बात कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ फर्टीलाइजर में छूट दे देने से किसानों का भला नहीं होगा। किसानों के लिए पावर की कीमत 15 प्रति हार्स पावर से घटाकर 12 रु0 की गयी है जबकि मांग 10 रु0 प्रति हार्स पावर देने की बात थी। इस पर सरकार मौन है। इसी के साथ किसानों की पैदावार के मूल्य का सवाल है। उनके द्वारा पदा की जाने वाली चीजों का मूल्य निश्चित होना चाहिए।

दूसरा सवाल श्रीमन्, एग्रीकल्चर में काम आने वाली मशीनरी, फर्टीलाइजर या और दूसरे सामान जो किसान खरीदता है उसमें भी मूल्यों में समानता होनी चाहिए। जब तक इनमें समानता नहीं होगी तब तक कृषि क्षेत्र में उपज नहीं बढ़ सकती। एक बात एग्रीकलचर के बारे में और कहना चाहता हूं। फर्टीलाइजर के बारे में आपकी क्या नीति है हमारे प्रदेश में कांग्रेस के जमाने से फर्टीलाइजर के गोली वाली तथा मिक्चर बनाने के बहुत से लाइसेन्स दिये गये प्राइवेट लोगों को। मेरे पास नाम हैं। ग्यारह-ग्यारह, बारह-बारह लाइसेन्सीज हैं जिन्हें रद्दी खाद बनाने के लिए लाइसेन्स दिया गया है और एग्रीकलचर महकमा उनको फर्टीलाइजर सप्लाई करता है और वे कम्पनियां रद्दी और बालू मिल कर आज किसानों को लूट रही हैं। फर्टीलाइजर के बारे में दो एजेंसियां हैं—एक एग्रीकलचर विभाग और दूसरा कोआपरेटिव फेडरेशन। इसलिए सरकार अपनी नीति तय करे। और इन्हीं के द्वारा किसानों को फर्टीलाइजर दिये जायें किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या कम्पनी को लाइसेन्स न दिए जायं, पुराने रद्द किए जायं।

इसी तरह से श्रीमन, कीट-नाशक दवाइयों का सवाल है। इसे भी प्राइवेट एजेन्सियों को बनाने का लाइसेन्स दिया गया है, एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन क्यों नहीं बनाता, मैं जानना चाहता हूं? आज प्राइवेट कम्पनियों से रद्दी, खराब कीट-नाशक दवाइयां आती हैं जिससे कीड़े मकोड़े नहीं मरते और किसान को नुकसान होता है और हमारे कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति कीट-नाशक दवाइयों को बनाने एवं वितरण के सम्बन्ध में निश्चित करे।

श्रीमन्, प्रश्न आता है मूल्य वृद्धि का। जैसा अभी माननीय राधेश्याम जी ने कहा जो अर्थशास्त्री हैं, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मुझे भी इस माननीय सदन में और जनता के बीच में रहने का देखने और सुनने का मौका मिला हैं,। मैं पुरानी बात नहीं

[श्री ऊदल]

कहता। मैंने पहले ही कह दिया कि यह मूल्य वृद्धि पूंजीवादी व्यवस्था की देन ह और उसके ऊपर नियन्त्रण किया जा सकता है और जो लोग इसके जिम्मदार हैं उनको सजा दी जा सकती है। जनवरी को छोड़कर आप जून से ले लें। आपके सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बड़े-बड़े महानुभाव, जिम्मेदार लोग, एच0 एम0 पटेल साहब, जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्र शेखर जी, मोरारजी देसाई साहब, जो हमारे देश के प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मूल्य वृद्धि अगर नहीं रुकी तो हमको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो-तीन महीनों में पांच-सात प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। मैं तो इलजाम लगाना चाहता हूं कि इस सरकार ने चोर बाजारी करने वालों को, जखीरेबाजों को, ब्लैक मारकेट करने वालों को छूट दे रखी ह। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जन-जीवन महंगाई से त्रस्त है। मजदूर या मध्यम वर्ग या आम आदमी श्रीमन, इस महंगाई की पीड़ा से त्रस्त है। अगर सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं करती है और यह कह देना कि कांग्रेस के पाप जो थे उनका फल है, इनसे काम नहीं चलेगा।

एक सदस्य—

उसके भागीदार आप भी हैं।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि जनता पार्टी की सरकार के लोग सही बात को सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस वालों को पापों का फल प्राप्त हो गया और आप लोग सत्ता में आ गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ओझा जी आप सुन लें और माननीय मुख्य मन्त्री जी आप भी सुन लें कि निगेटिव एप्रोच से लेकर और निगेटिव वोट को यह कह देना कि इनकी पाप की वजह से हम प्रत्येक मामलों में दस साल लगा देंगे वह ठीक नहीं है। तो यह जो आपको सफलता मिली है यह उन्हीं के कुकर्म तथा पापों का नतीजा है कि आपको यह सुअवसर मिल गया। लेकिन आपने निगेटिव वोट पाकर सन्तोष कर लिया और सब चीजों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं की तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा। आपको इसलिए ठंडे दिल से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी साम, दाम, दण्ड और विभेद का जिक्र किया है। उस पर आपको अमल करना चाहिए। आज इस देश में सबको स्वतन्त्रता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चोर, डकैत, ब्लैक मार्केटियर, जखीरेबाज सब अपने हिसाब से स्वतन्त्रता की परिभाषा लगाते हैं। इसलिए उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यह शासन का कर्तव्य है और अगर शासन अपने कर्तव्य से विचलित होता है और अपनी जिम्मेदारी से कतराता है तो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहा है। मैं सरकार पर सीधे-सीधे चार्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने चोर बाजारी करने वालों, महंगाई बढ़ाने वालों और इजारेदारों को छूट दे रखी है जिसके लिए कड़ाई की आवश्यकता है तभी महंगाई रुक सकती है। आज कानून और व्यवस्था की हालत खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि दलगत नीति पर इस प्रश्न को उठाया जा रहा है लेकिन मैं इसे दलगत नीति पर नहीं उठा रहा हूं। आज ट्रेनों में डकैतियां और मर्डर हो रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि फ्रांस की एक लड़की और एक लड़का ट्रेन

से सफर कर रहे थे। लड़के की हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी, रुपया छीन लिया गया। आए दिन मर्डर हो रहे हैं। आए दिन प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर आज कल हो रही हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि 50 फीसदी हरिजनों को, जैसा कि ऐलान भी किया गया और भाषण में भी है, जमीन नहीं दी गयी और कब्जा नहीं दिया गया, बटवारा ठीक से नहीं किया गया। मैं इस बात को मान कर चलूं कि 50 फीसदी हरिजनों को भी अगर उनके आवास के लिए, जोतने के लिए जमीन दी गयी है और उनको कब्जा दे दिया गया, पट्टा भी दे दिया गया तो इस सरकार का कर्तव्य है कि सरकार उनके उस कब्जे को बहाल रखे और जो लोग उस पर नाजायज दखल करना चाहते हैं, सताना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे। मेरी इस बात की पुष्टि बाबू जगजीवन राम ने, प्रधान मन्त्री ने, लोक नायक जय प्रकाश ने भी की है और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि इन बातों से ऊब कर ही जय प्रकाश जी ने वर्ग संघर्ष का नारा दे रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक सोचे, यह उत्पीड़न क्यों हो रहा है? आए दिन बेगारी लेने की खबर आप सुनते हैं। कल ही अखबार में था, बस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर में बेगार कराने के नाम पर लोगों को घसीटा गया और मारा गया। तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश में आए दिन हो रही हैं इसका सरकार को निराकरण करना पड़ेगा।

श्रीमन्, जहां तक हमारे देश और और प्रदेश में आयोगों का सवाल है वह बहुत बन चुके हैं। प्रशासनिक आयोग बना, दास साहब की रहनुमाई में जिससे हिम्मत सिंह जी परिचित हैं, कृषि सुधार आयोग भारत सरकार ने बनाया जिसके चेयरमैन आज के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी साहब थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसके चेयरमैन हमारे एक मेम्बर बरेली के थे जो राज्य सभा में चले गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आयोग तो बहुत बन गए हैं। आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा। सभी आयोगों ने अपनी रिपोर्टें दे रखी हैं। आपको अपनी नीतियों में तबदीली करनी है। औद्योगिक नीति के बारे में तबदीली करनी है। इन बातों का सरकार एलान करे। ओझा जी और दूसरे माननीय सदस्य हमें सच्ची बात कहने में भी डराते हैं। स्पष्ट, शिष्ट भाषा में भी बोलने नहीं देते। इनकी चुनौती कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार करती है। यहां पर भी और बाहर भी दोनों जगहों पर इन समस्याओं को लेकर लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी तैयार है और आपकी जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेगी।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह मजबूरी का सन्तुलित एवं जनाभिमुख बजट जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इसे मजबूरी का बजट इसलिए कहता हूं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सापेक्ष न हो। इसलिए जो बजट वित्त मन्त्री जी ने इस बार रखा है वह उन्हीं आधारों पर रखा है जो कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार हमारे प्रदेश में छोड़ गई है। एक करोड़ के लगभग बेकारों की फौज यह विरासत में हमारे लिए छोड़ गई है, 107 करोड़ रु0 का घाटा हम को दे गई है और हमारे प्रदेश को खासतौर से तथा देश को आमतौर से ऐसे जर्जर आर्थिक ढांचे में छोड़ गई है कि हमारा आर्थिक ढांचा केवल 5 प्रतिशत का बन कर रह गया है। यानी अगर 5 प्रतिशत चीज की भी कमी हो

[श्री रमा शकर कौशिक]

जाती है तो हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में हाय-तोबा मच जाती है। किसी चीज की कमी होने पर लोग अगर थोड़ा-थोड़ा भी इकट्ठा करने लगते हैं, अपने खर्चे के लिए, तो सारे देश में हाय-तोबा का वातावरण बन जाता है। तो 5 प्रतिशत आर्थिक ढांचे को कांग्रेस सरकार हमारे लिए छोड़ गई है। ऐसे आर्थिक ढांचे को छोड़ गई है, जिसमें 30 और 40 प्रतिशत काला धन हिन्दुस्तान के बाजारों में पड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र, कल या कारखाना, कोई भी ऐसा मकान या कोई भी उद्योग धन्धा, हिन्दुस्तान में, कांग्रेस के जमाने में नहीं बना जिसमें 30 और 40 प्रतिशत काला धन न लगा हो। काला धन और सफेद धन ढूंढने में ऐसा लगता है, जैसे जंगल में कोई सुई ढूंढे। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने बजट रखा है, मैं समझता हूं, उससे सन्तुलित और जनाभिमुख बजट हो ही नहीं सकता था। इतना ही नहीं हमारे हिन्दुस्तान में जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार छोड़ गई है, जिसमें 2 फीसदी के हिसाब से हमारा विकास हो रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था और हिन्दुस्तान की कांग्रेसी सरकार, जिसके पक्षधर ऊदल जी जैसे लोग थे, 19 प्रतिशत की रफ्तार से नोटों को बढ़ाती रही है, उस स्थिति में यह बजट है।

मैं आपके सामने सन् 1975 के आंकड़े रखना चाहता हूं। जनवरी, 1975 में 18363 करोड़ नोटों का चलन था जो जून, 1975 में 19741 करोड़ हो गया और सितम्बर, 1975 तक इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी होकर, यह 19971 करोड़ रुपया हो गया। यह तो सन् 1975 की ही केवल बात है, किन्तु यह सिलसिला पिछले 30 सालों से बराबर बढ़ता रहा है और बाजारों में नोटों की रफ्तार 19 फीसदी की दर से बढ़ती चली गई है। इस स्थिति में हमारा जो बजट रखा गया है, आम जनता का बजट है और जैसा विरोधी दल के लोग चाहते हैं और कहते हैं, इस आर्थिक ढांचे में और दो महीने के शासन में उत्तर प्रदेश की जनता सरकार कोई ऐसा बजट लाती, जिसमें जितनी हमारी घोषणाएं हैं, संकल्प हैं, उनको हम पूरा कर देते, तो यह असम्भव बात है। आज की जो व्यवस्था है, उसके आधार पर ही यह बजट रखा गया है, यह अवश्य है कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे पास साधन हैं उसके आधार पर हम एक बुनियादी दिशा की ओर बढ़े हैं।

श्रीमन्, जो बजट है उसके बारे में विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि जो हमारी योजना है उसका मकसद क्या है? हिन्दुस्तान की आय में कृषि से हमें 51 प्रतिशत आय प्राप्त होती है, 77 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं उनके प्रति अब तक उपेक्षा हुई है। श्रीमन्, मैं आपके सामने चन्द आंकड़े रखना चाहता हूं, ताकि आप देख पायेंगे कि पिछली सरकार कैसे चलती रही है। पिछले योजनाकारों ने पहली योजना पर कृषि, सिंचाई और ग्रामीण उद्योग पर 32.03 फीसदी खर्च किया, दूसरी योजना में कुल मिलाकर कृषि, सिंचाई और ग्रामीण उद्योग पर 21.04 प्रतिशत खर्च किया गया और तीसरी योजना में 23.7 फीसदी खर्च किया गया और चौथी योजना में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण उद्योग पर कुल मिलाकर 27.7 प्रतिशत खर्च किया गया। इससे आप देखिए जो हमारे वित्त मन्त्री ने बजट रखा है, उसमें 78 फीसदी इस बात के लिए रखा गया है। इससे बिलकुल साफ पता चलता है कि हमारी धारा किधर है। जो पिछले 30 सालों में दबे हुए लोग रहे हैं, जो लघु उद्योग दबे हुए रहे हैं उसकी तरक्की हम करना चाहते हैं। जब तक हम यह नहीं कर पायेंगे, हिन्दुस्तान को तरक्की

की ओर ले जाना सम्भव नहीं है। पिछले 30 सालों में हिन्दुस्तान के योजनाकारों ने जो भी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाईं मिलाई, राउरकेला वगैरह की, उसमें समस्त पूंजी का आधा धन लगाया गया, लेकिन उसको आप जाकर देखें, सबसे ज्यादा गरीबी और अशिक्षा आज वहीं पर मौजूद है। इसलिए यह स्पष्ट बात है कि हिन्दुस्तान की तरक्की तब तक हो नहीं सकती है, जब तक हमारी दिशा गांव की ओर नहीं मुड़ती है।

यहां पर लोगों ने यह कहा कि लगान की माफी से ही क्या होगा ? यह बात सही है कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ पर लगान को खत्म करने से कोई बुनियादी परिवर्तन किसी गरीब की जिन्दगी में नहीं आएगा। यह भी सही बात है कि जो हमने लगान में छूट दी है उसके जरिए यह समझते हों कि कोई बहुत बड़ा सामाजिक न्याय कर लिया, यह बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे सिद्धान्त है। हमारी दिशा क्या है, हम किधर को जाना चाहते हैं, किस ढंग से कर लगाना चाहते हैं ? हम निश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि देश में जो दबे हुए और पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके साधन कम हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाय, उनको छूट दी जाय। इस सिद्धान्त को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जनता पार्टी की नीतियां सब उसी दिशा की ओर जायंगी। अगर हम सिर्फ इस बात को ले लें जो 70 फीसदी काश्तकारों को राहत दे दी है, इसके पीछे एक सिद्धान्त है उसको पकड़ना पड़ेगा वरना लोग कहेंगे कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, सोशलिस्ट पार्टी के लोग, संसोपा के लोग कहते रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको किया। इसके पीछे सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त को मानते हुए जनता पार्टी के इस बजट में स्पष्ट किया गया है जो छोटे काश्तकार हैं, जो सीमान्तक काश्तकार हैं, उनको खाद में सब्सिडी देंगे। इसी सिद्धान्त को आगे ले जाना होगा। मैं अपनी सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस सिद्धान्त के मातहत हमें छोटे लोगों की मदद करनी है और ऐसे उद्योग जो बड़े लोगों के हाथ में हैं, फैशन परस्ती के उद्योग हैं उनके प्रति दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी तो भूमिका ही हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

पांच मिनट दे दीजिए।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का यह जो सिद्धान्त है उसके मातहत जो बड़े उद्योग हैं, जो फैशन परस्ती के उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, जिनमें आदमी की सुविधाओं का ख्याल है, आवश्यकताओं की बात नहीं है उस मामले में हम को सर्व गीण दृष्टि अपनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर निवेदन करूंगा, जैसे हम लोग इस एयर कन्डीशन कमरे में बैठे हैं, इसका बिजली का किराया निश्चित रूप से ज्यादा होना चाहिए, बनिस्बत उन कारखानों के जो आवश्यकता की वस्तु बनाते हैं, बिजली के किराए के बनिस्बत सिंचाई

[श्री राम शंकर कौशिक]

के लिए जो बिजली का किराया लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसी फैक्टरियों की बिजली का किराया जो फैशन की चीज बनाती हैं, ज्यादा होना चाहिए। जिन कारखानों में उत्पादन की वस्तुओं के लिए बिजली का प्रयोग होता है, उसका किराया कम होना चाहिए। इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाते चलेंगे तब जनता पार्टी इन बातों को लेकर तरक्की कर पायेगी।

एक बात मैं वित्त मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। वह सदन में नहीं हैं। 1974–75 में 62 हजार 37 लाख घंटे किलोवाट बिजली पैदा हुई। उसमें से 15 हजार 99 किलोवाट घंटा पानी की बिजली पैदा होती थी। ब ा भारी संकट आता रहता है इस सम्बन्ध में। जनता पार्टी को खासतौर से इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुल उत्पादन की 25 फीसदी बिजली, पानी की बिजली है। बाकी भाप, गैस या तेल के जरिए से है। लेकिन जब पानी नहीं बरसता तब कांग्रेस पार्टी के राज में बिजली का संकट आता रहता था। इस बात को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मशीनरी है जिसके जरिए गांव तक पहुंचा जाता है, बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बजट का स्वागत करते हुए मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि किस हालत में कांग्रेस ने इस प्रदेश को छो ा और किस दुर्दशा के बीच जनता पार्टी को कार्य सम्भालना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने इसको बहुत ही खराब दशा में छोड़ा है।

(इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम धर मिश्र पीठासीन हुए।)

हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग पावरटी की लाइन से नीचे रहते हैं। कांग्रेस लोगों ने प्रदेश को तबाह किया और सरकार का दिवाला निकाल कर चले गए। ऐसी परिस्थिति में जो वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है वह स्वागत के योग्य है। निरक्षरता हमारे यहां व्याप्त है और उसके पीछे षड्यन्त्र यह है कि उन्होंने जानबूझ कर इस देश की जनता को साक्षर करने का इरादा छोड़ दिया था जिससे वे निरन्तर राज्य करते रहें। इस देश की जनता को वे निरक्षर रखना चाहते थे। एक विद्वान ने कहा है कि "Every vote of ignorance is a vote against Democracy" अर्थात् अनभिज्ञता का प्रत्येक मत जनतन्त्र के लिए घातक है। और सरकारी आंक ों के अनुसार आज भी हमारे में 33 करो 60 लाख बालिग लोग निरक्षर विद्यमान हैं। तो इस हालत में जनतन्त्र कैसे चल सकता है। इस देश की जनता अनभिज्ञ थी। दिल्ली में बैठी हुई महारानी को सूझा कि जनता अनभिज्ञ है, कब्जा कर लो। अगर जनता पढ़ी लिखी होती तो यह न होता।

मान्यवर, अगर हम यह चाहते है कि जनतन्त्र अमर रहे तो बुनियादी आवश्यकता यह है कि जनता पार्टी देश की जनता को शिक्षित करे और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करे। 30 साल के अर्से में शिक्षा केवल दिखावे की योजना रही। मान्यवर, हजारों ऐसे स्कूल होंगे जहां पर लड़कों को बैठने के लिए पट्टियां भी नहीं होंगी। एक अरब

27करोड़रुपए के घाटे की बात हमारें सामने रखी है। तो दो महीने में हम सारा काम पूरा कर दें जो कांग्रेस शासन ने 30 वर्ष में नहीं किया यह कैसे सम्भव हो सकता है ? मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कालाडूंगी में एक राजकीय हाई स्कूल है लेकिन आश्चर्य है कि उसके पास अपना भवन तक नहीं है। इसी इलाके में कोटाबाग में एक इण्टरमीडिएट कालेज है जोकि अस्तबल जैसी पुरानी इमारत में चल रहा है। जो दूसरा भवन था उसकी छत टूटी पड़ी है। इसी प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हजारों प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनकी बरसात के दिनों में छतें टूटी पड़ी हैं और उनमें बच्चे या तो तिरपाल लगवाकर पढ़ते हैं या वर्षा के दिनों में अपने घरों को छुट्टी करके चले जाते हैं। हमारी कांग्रेसी सरकार ने ऐसा इसलिए कर रखा था ताकि गरीब जनता के बच्चे आगे न बढ़ सकें। और राजनीति में दखल देने लायक न हो सकें। तो मैं जनता पार्टी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अच्छा ही है कि उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। महात्मा लोकमान्य तिलक ने कहा था कि "स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" और अब हमारा नारा यह है कि "शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।" यदि हम इस नारे को लेकर चलेंगे तो हम अपने प्रदेश की जनता को शिक्षित कर सकेंगे।

अभी माननीय ऊदल जी ने माननीय जय प्रकाश जी की चर्चा की और स्वतन्त्रता की बात कही। मुझे इस समय एक शेर याद आ रहा है जो इस प्रकार से है—

"चिराग बनके जले हैं तुम्हारी महफिल में,
वह जिनके घर में कभी रोशनी नहीं होगी"

आज कम्युनिस्टों के पितृ देश रूस व चीन में जनतन्त्र का नाम नहीं है। और जय प्रकाश जी को गिरफ्तार करने वालों की हिमायत करने वाले कम्युनिस्ट आज उनकी दुहाई दे रहे हैं। आज वह प्रदेश में महंगाई और पूंजीवाद की बात करने लगे हैं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि आप उस समय कहां चले गए थे जब आप एमरजेन्सी में कांग्रेस शासन का खुला साथ दे रहे थे तब पूंजीवाद उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था ? तो संक्षेप में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की बात जो जनता पार्टी की सरकार ने अपने बजट में की है, वह स्वागत योग्य है।

यहां पर यह भी कहा गया कि मजदूरों के लिए इस सरकार की कोई नीति नहीं है और न उसके बारे में बजट में कोई प्राविधान ही किया गया है लेकिन मैं अपने विरोधी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सवा लाख रेल कर्मचारियों को जिन्हें ह ताल में भाग लेने के कारण निकाल दिया गया उनको रिइन्सटेट किया गया है और सवा आठ (8.33) प्रतिशत जो बोनस एमरजेन्सी के दौरान बन्द कर दिया गया था वह जनता पार्टी की सरकार ने दिया है हमारी श्रम नीति कागज पर नहीं अमल से जाहिर है। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं ? इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो अपना भाषण दिया उसको मैंने पूरे गौर से पढ़ा। मान्यवर, आरम्भ में उन्होंने बहुत डिटेल्स में सन् 1951 से 1975 और उससे पहले का भी प्रदेश का एक नक्शा इस माननीय सदन के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। और उसमें उन्होंने यह

[श्री यशपाल सिंह]

स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास की द्योतक जो पर-कैपिटा इन्कम है उसको कुछ विशेष बढ़ा नहीं पाई इन तीन दशकों में। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। 1951 से 1975-76 तक जो पर-कैपिटा इन्कम का रेट आफ ग्रोथ है वह कुछ सन्तोषजनक नहीं है और यही कारण, मैं समझता हूं, या इसके अलावा और भी कारण बहुत से हो सकते है, जैसा कि हमारे माननीय सरकारी पक्ष के बहुत से सदस्य और मन्त्रिगण हम पर इलजाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि सब कुछ दोष, जो कुछ भी है इस प्रदेश में प्रगति के पथ पर न चलने या पिछ पन का, वह सब कांग्रेस सरकार के ऊपर ही है। अगर यह मान भी लिया जाय, जैसा कि पिछले लोक सभा और विधान सभा के चुनाव से स्पष्ट है कि अगर हमारे कुछ कार्य-कलापों से इस प्रदेश की जनता खुश होती तो हमको फिर सरकारी पक्ष में बैठाने का वह प्रयास करती।

हमको तो स्वीकार है, हमने बिलकुल यह माना है और जनता पार्टी की जो सरकार बनी है हम उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस विधान सभा के चुनाव में जनता का विश्वास प्राप्त किया और उस ओर बैठने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन श्रीमन् जो विश्वास जनता ने उनको दिया है उसको कायम रखने का कार्य तो जनता पार्टी की सरकार का ही है। इसमें कांग्रेस के लोग तो कोई विशेष बात पैदा नहीं कर सकते। हम तो केवल एक रचनात्मक सहयोग आपको दे सकते हैं। अगर आप प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है इसकी और जिस प्रकार का बजट आपने प्रस्तुत किया है, क्या वास्तव में उससे इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे ? मैं मान लेता हूं उस बात को जिसको कि वित्त मन्त्री जी ने कहा और 1951 से 1976 तक का नकशा पेश किया उसमें बतलाया है कि 2.2 परसेन्ट से ज्यादा हमारा रेट आफ ग्रोथ परकैपिटा इन्कम का नहीं रह पाया है। परन्तु आपने जो इस वर्ष का बजट रखा है क्या आप दावा करते हैं कि इस वर्ष में रेट आफ ग्रोथ को 2.2 परसेन्ट के बजाय आप 4 परसेन्ट या पांच परसेन्ट या ज्यादा कर देंगे ?

कृषि के उत्पादन में उन्होंने बतलाया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में दाल और तिलहन की पैदावार हमारी कुछ घट गयी। खैर, उन्हें यह फिगर देने की आवश्यकता नहीं कि कृषि का उत्पादन कितना इस प्रदेश में बढ़ा है। उन्होंने घटोत्तरी के आंकड़े जो कांग्रेस के ऊपर लादे जा सकते थे वह लादने की कोशिश की है। लेकिन मैं इस पूरे बजट भाषण को पढ़कर नहीं समझ पाया कि इस क्षेत्र में आप कृषि उत्पादन को इस प्रदेश में कितना आग बढ़ा पायेंगे ? और कौन सी विशेष ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारी जनता पार्टी की सरकार हमारे कृषि के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ?

मान्यवर, मुझे कोई नयी बात नजर नहीं आई। एक बात के लिए जरूर बधाई देना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार को कि उन्होंने कृषि की एक समस्या को समझते हुए जो फर्टीलाइजर की प्राइसे बहुत ज्यादा थीं उनको उसमें 20 परसेंट की सब्सिडी देना स्वीकार की है। लेकिन क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि क्या केवल इस फर्टीलाइजर में सब्सिडी देने से कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है ? नामुमकिन है। एक कृषक होने के नाते मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को और उनके सहयोगियों को यह विश्वास दिलाना चाहता

हूं कि इस प्रदेश के किसान कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे जब तक कि उसको अपने उत्पादन का अच्छा रिटर्न न मिले या उसके विपरीत कृषि उत्पादन में काम आने वाली चीजों के रेट कम न हों। इस बजट भाषण में इस प्रकार का कोई कदम नजर नहीं आया। जिससे मैं यह कह सकूं कि जनता पार्टी की सरकार कृषकों को सहूलियत देने के लिए, उनको इन्सेंटिव देने के लिए कुछ ऐसे विशेष कदम उठा रही है जिससे कृषि की पैदावार बढ़ाने में वह दिलो-जान से लग जायं। वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी, वह अब भी है।

उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में ऐसे तो हमारे माननीय कम्युनिस्ट नेता ऊदल जी ने जैसा स्पष्ट किया कि इस सरकार की कोई उद्योग नीति इस माननीय सदन के समक्ष नहीं आई हैं, मैं भी यही मानता हूं परन्तु ऐसी चर्चा जरूर है कि वह ग्रामोद्योग की तरफ विशेष ध्यान देगी। हम लोगों का विश्वास है कि कृषि के साथ-साथ जब तक देहात के रहने वाले लोगों को रोजगार के जरिए मुहैया नहीं होंगे तब तक इस प्रदेश की तरक्की होना कठिन है और उसके लिए कुटीर उद्योग, जिसकी घोषणा जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं नितान्त आवश्यक समझता हूं। लेकिन कितने ग्रामोद्योगों की तरफ उन्होंने इस बजट में ध्यान दिया है? आप इस बजट भाषण को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि कुल 1,400 यूनिट्स सारे प्रदेश में खोलने के लिए उन्होंने वायदा किया है जिससे वह दावा करते हैं कि 7,200 व्यक्तियों को रोजगार देंगे। क्या इसी से प्रदेश की बेरोजगारी का सोल्यूशन हो गया? 10 करोड़ का इतना बड़ा प्रदेश है। उसमें 7,200 लोगों को रोजगार देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इससे भी ज्यादा हर वर्ष रोजगार मिलता चला आया है।

जनता पार्टी की सरकार से जनता की यह अपेक्षाएं थीं कि जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद हमारा जन-जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह भावना बिल्कुल प्रतिकूल जा रही है और किसी भी व्यक्ति को आज अपने जीवन की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो हमारे सरकारी पक्ष के सदस्य यह कह सकते हैं कि यह भी कांग्रेस सरकार का पाप है, लेकिन जो विचार आपके पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष इस बारे में व्यक्त किए हैं क्या उसमें भी कांग्रेस के ही लोगों का हाथ है?

केन्द्र और प्रदेशों में जनता पार्टी की सरकारें बन जाने के बाद हरिजनों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हर जगह हो रही हैं अगर वह पब्लिक मीटिंग्स में और यहां कही जाती हैं तो हमारे ऊपर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि कांग्रेस के लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा कर इस बात को कह रहे हैं। चलिए, हमारी बात गलत ही मान लीजिए, लेकिन जो आपके पक्ष के लोग इस सदन में भी और लोक सभा में भी व्यक्त करते हैं या जो आपके ही लीडर बाबू जगजीवन राम जी और रामधन वगैरह हरिजनों पर जोर और जुल्म की दास्तां का बयान करते हैं क्या उसमें भी हम कांग्रेस वालों का ही हाथ है? मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज ला-एण्ड-आर्डर की पोजीशन सारे प्रदेश में चिन्ताजनक हो गयी है और सरकार को केवल राजनीतिक उपलब्धियों और जो विपक्ष के लोग हैं उनको समाप्त करने की चिन्ता रहती है जिसके लिए एक योजनाबद्ध तरीका चल रहा है। हमारे वर्कर्स को बुला-बुला कर हवालातों में बन्द किया जा रहा है, हब्स-बेजा में उनको रखा जा रहा है और अधिकारीगण अपना इण्टरेस्ट पूरा कर के उनको छोड़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री यशपाल सिंह—

एक मिनट और लूंगा।

मान्यवर, इस माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं. . .

(लाल बत्ती जलने और कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप सब अभी बैठ जायं। जब ये बैठ जायं, तब आप खड़े हों।

श्री यशपाल सिंह—

इस विधान सभा के चुनाव के बाद और लोक सभा के चुनाव के बाद अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

(श्री श्याम देव का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। कोई नियम होगा, उसके अन्दर आप सूचना देंगे। लेकिन इस समय बोलना होगा, तो उसका तो कोई नियम होगा। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत की संसदीय प्रणाली में हरिजन समस्याओं को हमेशा राजनीतिक मोहरा बनाया गया है और आज 30 वर्ष तक हरिजनों को लालच देकर उन्हें भ्रम में डाला गया और आज हारने के बाद जब उनको कोई आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम अपने पाप को धोने के लिए नहीं मिला तो इस सदन के बाहर हरिजनों का सहारा लेकर अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का आभारी हूं जो उन्होंने मंगलदेव विशारद समिति का उदाहरण दिया है। श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि मंगल देव विशारद समिति में हरिजनों की सही समस्याओं को रखा गया था। मान्यवर, इस 19 महीने में इमरजेंसी लगा कर कांग्रेस सरकार ने जो हरिजनों को जमीनों का आवंटन किया था, वह एक प्रकार से आपस में झगड़ा लगाया गया था।

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, देहातों में वर्ग संघर्ष पैदा किया गया। मान्यवर, मैं जहां से चुनकर आया हूं वह हरिजनों का इलाका है। उस स्थान का नाम चकिया है। वहां पर 300 आवंटन किए गए हरिजन वन वासियों के लिए। मान्यवर, आज हरिजनों की दोहाई देकर प्रदेश की जनता का ध्यान जनता पार्टी की लोक नीतियों से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ करना चाहते हैं। मैं पुनः आप से यह कहना चाहूंगा कि हरिजनों का कोई भी मामला जनता पार्टी की सरकार हल करने के लिए तैयार है। आप समय दीजिए, हम लोग चुन कर आए हैं, हम जाकर देखते हैं, हरिजनों की कोई समस्याएं नहीं हैं।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि मान्यवर, ऊदल जी ने और रियासत हुसैन जी ने अभी मजदूरों के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 19 महीनों में, कांग्रेस के राज्य में उन लोगों पर छुरे चलाए, आज वही गरीबों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको अपने दामन में झांकना चाहिए कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या-क्या किया? इमरजेंसी के दौरान मजदूरों की समस्याओं के बारे में ध्यान दिया गया। लेकिन आज वह अधिकार उनको दे दिया गया। उनको बोनस दिया गया है। दूसरी समस्या मजदूरों की छंटनी के सम्बन्ध में थी। इमरजेंसी के दौरान आप लोगों ने बहुत से मजदूरों को निकाल दिया था। आज जनता पार्टी की सरकार ने उनको फिर से बहाल किया है। बहुत ज्यादा बोलने के बजाए अपने कृत्यों पर आपको पश्चाताप करना चाहिए।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि सन् 1972–73 से लेकर जो बी0टी0 सी0 पास किए हुए बहुत से व्यक्ति थे उनकी ओर आपकी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जनता पार्टी ने आते ही 10 हजार 900 अध्यापकों की भर्ती की घोषणा की। मैं जानता हूं कि यह सरकार इस घोषणा को जल्दी पूरा करेगी। 10–11 हजार बी0टी0सी0 पास किए हुए लोग जो दर-दर भटक रहे थे वह अब जायेंगे और विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देंगे।

इसी प्रकार से सिंचाई के सम्बन्ध में जो बातें इसमें हमारे वित्त मन्त्री जी ने रखी हैं वह सराहनीय है। सिंचाई के सम्बन्ध में, इसके पूर्व जितने बजट आए वह राजनीतिक बजट थे, इस बजट में बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है। पहले कुछ नेताओं की राय पर नहरें, कुलाबे आदि बने हैं। हमारे योग्य सिंचाई मन्त्री इस अवस्था में भी गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को राहत दे रहे हैं। मैं अधिक न कह कर विरोधी दल के नेताओं से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की संसदीय प्रणाली में आज 30 वर्षों के बाद यह जो बजट आया है उसकी आलोचना करने के बजाय उसका समर्थन करें। यह ऐसा बजट है जो मजदूरों को, विद्यार्थियों को, किसानों को, कर्मचारियों को राहत देने वाला है। यह बजट ऐसा है जो काले धन को निकालने वाला है। जो इस प्रकार का काला धन है, जिसको कुछ लोगों ने कारोबार में लगा रखा है, उसका भी पर्दाफाश करने की परिभाषा हमारे बजट में है। जो लोग काले धन के बल पर राजनीति चलाना चाहते थे उनको सावधान रहना चाहिए। जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार ने यह काम शुरू कर दिया है। यह भले है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जरा धैर्य से काम कर रहे हैं लेकिन केन्द्र की सरकार ने यह काम करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने गलत ढंग से काम किया है उनकी पोल खुलने जा रही है। मैं अधिक समय न लेकर माननीय वित्त मन्त्री और जनता पार्टी की

[श्री श्याम देव]

सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस दो महीनों की अवधि में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार काम करके प्रगति के रास्ते पर कदम बढ़ाया है ।

हम जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे विधायक चुनकर आए हैं, जनता पार्टी की नीतियों को अपनाने के लिए और उसको कार्य देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऊदल भाई यहां नहीं हैं। लेकिन केवल वाक जाल की जो बात उन्होंने कही वह अपने से ही इस बारे में पूछें। मैं चाहता हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय अर्थ में और भारतीयता के पक्ष को देखकर भारत को प्रगति पथ पर बढ़ाना है। इतना कहकर मैं वित्त मन्त्री और जनता पार्टी की सरकार को पुनः बधाई देना चाहता हूं, इतने सन्तुलित और जनहित के बजट को लाने के लिए।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर आपने मुझे जो विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैंने उसको समझने की कोशिश की है और वह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा बजट है। डिफीसिट फाइनेंसिंग की जो प्रक्रिया यहां चलती रही है उसके बाद कर भार जनता पर लादा जाता रहा है लेकिन यह पहला अवसर है जबकि घाटे का बजट होने के बावजूद जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया। 30 सालों से जो प्रदेश आर्थिक दृष्टि से दिवालिया होता रहा है उसको मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। जिस समय मुल्क आजाद हुआ उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल जो आऊट-पुट था उसमें हमारा सातवां स्थान था लेकिन जब आज हम उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं तो उसका बाइसवां स्थान रह गया है। यहां की अब यह स्थिति है। जनता के ऊपर 30 सालों म न मालूम कितने अत्याचार हुए हैं। यह अत्याचार इसलिए हुए कि हमारे प्रदेश ने जा प्रधान मन्त्री दिए हैं। एक ही आड़ लेकर और चाहे जिसकी सरकार रही हो जो भी प्रधान मन्त्री रहा है उससे हमारे प्रदेश की उपेक्षा होती रही है। इस सरकार को आए हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं। तो हमने दो महीने में अभी कुछ समझा नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। यह एक सैद्धान्तिक स्तर की बात है। यहां का खजाना खाली था, प्रशासन अस्त-व्यस्त था। तो ऐसी स्थिति में बजट प्रदेश के सामने पेश हुआ जिसमें जनता की उम्मीदें, जनता की इच्छाएं जो थीं और जिसने जनता पार्टी को यहां बिठाया है, उनको पूरा करने के लिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए एक विशेष परिस्थिति में जो यह सरकार कर सकती थी उसको हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट में रखा है। सवा तीन एक का लगान माफ हुआ। अस्पतालों में जो फीस लगती थी वह माफ हुयी। सारी शक्ति जो अभी तक शहरों में लगी रहती उसको एक नई दिशा दी गयी है और ग्रामोन्मुख किया गया। 78 फीसदी गांवों में अब खर्चा होगा।

मान्यवर, हमारे ऊदल जी को बड़ी तकलीफ थी और उनको कष्ट बहुत है। उन्होंने धमकी दी है कि संघर्ष करेंगे। हमने उनकी धमकी का मुकाबला किया है। जब उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता श्री डांगे साहब ने संघर्ष किया था तो हमने उसको देखा था। 1942 में अंग्रेजों के समय में लोगों को पकड़ कर फंसाने का काम किया गया उसको भी हमने देखा है। इमरजेंसी में श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही की बुनियाद को डालने में जो कुछ आपने किया उसका हमने मुकाबला किया। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका और उन की पार्टी का हर स्तर पर मुकाबला जनता पार्टी का मामूली से मामूली कार्यकर्ता करने को तैयार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन जनता पार्टी के लोगों को अहसास होगा कि जो हमने जनता से वायदे किए हैं हम उनको पूरा करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं तो उसके बाद एक दिन भी कुर्सी में बैठने के लिए वह तैयार नहीं होंगे और कुर्सी को छोड़कर चले जायेंगे। इसलिए सवाल चेतावनी का नहीं है बल्कि सवाल वास्तविकता का है। क्या यह सही नहीं है कि हमारी नीयत साफ है? क्या यह सही नहीं है कि विरासत में खाली खजाना मिला था, विरासत में नौकरशाही मिली थी जिसपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? इसलिए आप लोगों को रचनात्मक रूप में आना चाहिए। आप उससे क्यों भागते हैं? आपने मुद्रा-स्फीति की बात की। लेकिन जब उस पर कन्ट्रोल करने की बात आती है तो आप हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं।

मान्यवर, सी0 बी0 आई0 की रिपोर्ट में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि 672 करोड़ रुपए कांग्रेस फंड से मिसएप्रोप्रिएट किए गए। यह पैसा कहां से आया और कहां गया। जब जांच हो रही है तो परेशानी हो रही है। मैंने एक सवाल उठाया था लेकिन उसको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह मारुति से सम्बन्धित है। मान्यवर, मारुति लिमिटेड परिवहन निगम की बसों की बाडी बनाने का ठेका हुआ। 32 हजार में परिवहन निगम की वर्कशाप यह बाडी बनाती है। उत्कल कम्पनी ने साढ़े 33 हजार का टेंडर दिया और मारुति लिमिटेड ने साढ़े 51 हजार का और इस तरह से मारुति लिमिटेड को करोड़ों रुपया चला गया। मान्यवर, शिक्षा विभाग में हमारे यहां एक डाइरेक्टर हैं डा0 मेहरोत्रा जो संजय गांधी के पी0 आर0 ओ0 हैं। सारा खजाना खाली कर दिया इन्दिरा जी की संस्तुति छपवाकर। लाखों रुपया स्कूलों का काट दिया गया और इस तरह कोआपरेटिव से रुपया काटकर अखबारों को दिया गया। सारे खजाने का पैसा येन केन प्रकारेण संजय गांधी को प्रसन्न करने में खाली कर दिया और तोहमत लगा रहे हैं हमारे ऊपर। जहां तक अधिकारियों की बात है वही अधिकारी जो हमारे सीने पर चढ़कर रौंदते थे आज भी बैठे हुए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में जिसने कत्ल करवाया, वह गोरखपुर में बैठा हुआ है। यह सही है कि सरकार नजर रखे हुए है लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन को उदारता की सीमा में ही नहीं रखना चाहिए, कभी-कभी सख्ती और मजबूती की भी जरूरत पड़ती है। सवाल यह है कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की, हमारे मुख्य मन्त्री की और जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत साफ है। प्रतिरोध, प्रतिकार या प्रतिद्वन्दिता की भावना से हम काम नहीं करने जा रहे हैं।

मजदूरों के सम्बन्ध में बात कही गयी। 8.33 प्रतिशत बोनस किसने खत्म कर दिया था और खत्म करने पर मोहर किसने लगाई थी। मोहर लगाई थी हिन्दुस्तान के मजदूरों के सबसे बड़े हिमायती कामरेड डांगे ने। लेकिन हमने उस बोनस को उनको दिया। क्या

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

यह मजदूरों के प्रति इस सरकार के दृष्टिकोण को साफ नहीं करता ? इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में देखें। 10 हजार प्राइमरी शिक्षक बी0 टी0 सी0 बेकार प ुए थे, फ्रावड़ा चला रहे थे जबकि उनको कलम चलाना चाहिए था। हमने उनको नौकरी देने की बात की। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए सोचा है। हां, गाजियाबाद में जो हुआ उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मजदूरों को अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। यह बात साफ है। हमसे ज्यादा मजदूरों की लड़ाई ल ने वाला कोई नहीं है। जो बजट वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है तो उसकी मंशा क्या है, जनता पार्टी की मंशा क्या है वह चाहे कृषि के विषय में हो, सीमान्त कृषक के विषय में हो, सिंचाई के विषय में हो उसमें सारी बात साफ हो गयी है। महंगाई की बात है तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कीमतों में गिरावट हुई है। 40 रुपया कुंतल लोहे की प्राइस डाउन हुई है। खाद्यान्नों की कीमतें भी डाउन हो रही हैं। अगर मुद्रा स्फीति बढ़ी तो उसके लिए जिम्मेदार काला धन है। उसका केवल एक मामला ही सामने आया है।

मान्यवर, लाश बड़ी लम्बी है। उसको जब खींचा जायगा तो ब ी लम्बी नजर आएगी। अरबों, करो ों रुपया का े धन के रूप में देश और विदेश के बैंकों में जमा किया गया है। उसी का यह नतीजा है कि मूल्य वृद्धि हो रही है। इसमें नियन्त्रण लगाने के लिए जनता सरकार कोई कसर नहीं उठा रखेगी। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का, जो ग्रामीणों के लिए है, जनता पार्टी के मेनिफेस्टो के अनुसार समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मित्रों, जो बजट वित्त मन्त्री ने पेश किया है उन्होंने कोई नया कमाल नहीं किया है। जैसी कि इस सदन की परम्परा है कि वित्त मन्त्री जी बजट पेश करते हैं वैसी ही परम्परा निभाई है। मान्यवर, इस बजट के सम्बन्ध में हमारे मित्र डाक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जय प्रकाश नारायण जैसे क्रान्तिकारियों की बात करते हैं जिन्होंने अन्याय के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए संघर्ष किया है। वे लोग आज ब ी लम्बी बातें करते हैं और उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा मुझे तरस आता है।

आपके बजट में हरिजनों की जो बात कही गयी है वह कोई नई बात नहीं है। हरिजनों के सम्बन्ध में भूतपूर्व सरकार लम्बे चौड़े वायदे करती थी और आज की सरकार भी वहीं बात करती है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो लोग जिन्दगी भर मजदूरों, किसानों और हरिजनों के लिए संघर्ष करते थे और जेल गए वे लोग शायद सरकारी कुर्सी पर बैठ कर भूल गए कि हरिजनों पर कोई आतंक नहीं है, उन पर कोई ज्यादती नहीं हो रही है, अन्याय नहीं हो रहा है बल्कि यह आरोप लगाया जाता है कि यह सब स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी ब ी अराजकता फैल रही है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। यह शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की जनता ने सौंपी है, कुछ भी नहीं कर पायी है। 26 तारीख को इसी लखनऊ के अन्दर एक भूतपूर्व मन्त्री को मारा गया और उनको धक्का दिया गया। इस सम्बन्ध में कोई एफ0 आई0 आर0, कोई जांच नहीं करायी गई। माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप पुराने समाजवादी हैं। समाजवादी होने का मतलब यह नहीं होता है कि सत्ता में बैठ कर वे बातें भुला दी जायं जब आप आन्दोलन के लिए मजदूरों को प्रेरित करते थे, किसानों को प्रेरित करते थे।

आज गाजियाबाद में, मेरठ में प्रतिबन्ध लगा है मजदूरों द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन करने पर, किसानों द्वारा प्रदर्शन करने पर। उत्तर प्रदेश की और जिलों की बात छोड़िए इसी विधान भवन के सामने धारा 144 बिना कारण लगा दी गयी है। नौजवानों को, मजदूरों को प्रदर्शन करने का हक नहीं है। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि भूतपूर्व कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व रेल मन्त्री कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के पी0 ए0 सी0 और पुलिस के लोगों को बिना कारण बन्द कर दिया गया था। उनका कोई अपराध नहीं था। हमारे हिन्दुस्तान के उद्योग मन्त्री श्री फर्नान्डिज ने पी0 ए0 सी0 के सम्बन्ध में कहा था कि उन लोगों को बिना कारण बन्द नहीं किया जाय। हमारे भूतपूर्व विरोधी दल के नेता और आजकल के भारत सरकार के गृह मन्त्री ने भी यही कहा था। इस सदन के नेता और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पी0 ए0 सी0 के मामले को समाप्त करने का वायदा किया था लेकिन इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं हो रहा है। सरकार को यह महसूस हुआ है कि आपात्काल में जितनी ज्यादतियां हुई हैं उनके करने वाले किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है। सचिवालय में मुख्य सचिव और राज्यपाल इन्दिरा गांधी के जमाने के ही हैं जिन्होंने 18 महीने गैर कानूनी सरकार का साथ देकर जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, ज्यादतियां की लेकिन उनको हटाया नहीं गया, न बड़े-बड़े अफसरों को ही हटाया गया। आज स्थिति यह है कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में सरकारी सहारा ले कर आर0 एस0 एस0 के लोग लाखों रुपए लोगों से लेकर इकट्ठा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा निवेदन है कि माननीय दीक्षित जी इतनी तेजी से न बोलें कि लिखने वाले न तो लिख सकें और सुनने वाले न सुन सकें। आपकी आवाज इतनी तेज है जिससे सुनाई नहीं पड़ता।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित —

मैं आप से साफ शब्दों में बतलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण छाया हुआ है। बलिया जिले के हरिजन जो अब बाराबंकी की जनपद के खालामारी गांव में रहते हैं उन पर हमला किया गया, उनके खेत काट लिए गए, उनकी मारा गया जिसके लिए एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी लेकिन बजाय कोई कार्यवाही करने के सरकारी अफसर नाजायज दबाव डाल रहे हैं और हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्रान्तिकारी युवक नेता बलवन्त सिंह की थोड़े दिन हुए दर्दनाक हत्या कर दी गयी, लेकिन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता --

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आज पढ़े लिखे लोग बेकारी के शिकार हैं। उनको रोजगार देने की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमेशा यह कहा कि बेकारों को नौकरी दो अथवा बेकारी का भत्ता दो, उसको ले कर उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी इस बात का वायदा किया लेकिन दुख है कि बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। बेकारी को दूर करने का कोई कार्य-क्रम नहीं बनाया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। एक कार्य क्रम की बड़ी दुहाई दी गयी कि सरकार ने जो सवा 3 एकड़ लगान की माफी कर दी मानो बड़ी भारी प्रगति की है जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि बीसियों बार जो प्रस्ताव पास किया गया कि किसान को फ्री बीज, खाद तथा पानी की व्यवस्था की जायगी उसके लिए इस सरकार ने क्या किया? ऐसा अगर यह सरकार करती तो किसान उससे लाभान्वित होता, आपका यह स्वागत करता, अभिनन्दन करता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह बजट तो दिल्ली से बन कर आया है जिसे वित्त मन्त्री जी ने यहां पढ़ दिया है। इसे न मन्त्रि-मन्डल ने बनाया है, न वित्त मन्त्री ने स्वयं बनाया है।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्तुत बजट जो है यह 30 वर्ष के कार्य-काल में पहला बजट है, जो प्रदेश की जनता को कर मुक्त करता है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह क्या कह रही हैं, आपतो हमारे ही साथ बैठती थीं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांत रहें। माननीय सदस्या को बोलने दें।

श्रीमती रामरति देवी--

इसीलिए तो कह रही हूं घाटे का बजट पेश होता था। अधिष्ठाता महोदय, जनता सरकार को अभी आए तीन चार महीने ही हुए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री तथा उनके सहयोगी मन्त्री बराबर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और दौड़े में उनके सामने लोग अपनी समस्यायें ला रहे हैं उनका निराकरण किया जाना है। वह अपनी ईमानदारी तथा परिश्रम के द्वारा निराकरण के लिए कदम उठा रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान 4 विभागों की तरफ मुख्य रूप से दिलाना चाहती हूं। यह कठिनाई बराबर पिछली सरकार के सामने भी बनी रही। कठिनाई यह है कि सहकारी समितियों के द्वारा गरीबों को जो ऋण दिए गए, जो तकावी दी गई, खाद और बीज के लिए जो ऋण दिए गए उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। उसकी अब जो वसूली हो रही है वह उनसे की जा रही है। विशेषरूप से बिजली के जो बिलों की वसूली हुई है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनमें बड़े पैमाने में धांधली हुई है। यह समस्या पिछली सरकार के सामने भी बनी रही। इस चीज को प्रश्नोत्तर काल में सरकार ने स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर गरीबों को परेशानी हुई है। इन्हीं बातों का जिक्र मैं सरकार के सामने करना चाहती हूं। अभी पिछले सेशन के समाप्त होने के बाद जब हम लोग ग्रामीण अंचलों में गए तो भारी संख्या में गरीब लोग हमारे सामने आए और उन्होंने अपना दुख दर्द हमें सुनाया। उनका दुख दर्द इस प्रकार रहा कि इन सहकारी संस्थाओं द्वारा इस तरह की बातें हुई हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी और समाज के ब`-ब` लोगों ने सांठगांठ करके इन संस्थाओं से रुपया निकाला और यही लोग गलत ढंग से बराबर रुपए को खाते रहे और उसे आज गरीबों को देना पड़ रहा है। जो हमारी निरीह जनता है, जो निरक्षर जनता है उनके सामने विशेष रूप से यह कठिनाई आ रही है। ये लोग गरीबों के नाम पर रूपया खा गए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस तरफ सरकार ध्यान दे और इसकी छानबीन कराए। जो भी दोषी आदमी हों, उनको विभाग द्वारा सजा मिलनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस विभाग के द्वारा जो चीनी का वितरण होता है उसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सचमुच में जो पद्धति चल रही है वह दोषपूर्ण है। इससे पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछली सरकार ने थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल किया था एक जी0ओ0 निकला था कि जिससे जो धनी लोग होते थे वह उसका फायदा न उठाएं और उसमें कोटा देने के लिए हरिजनों को भी उसमें शामिल किया गया था। पिछली सरकार ने यह जी0 ओ0 बना दिया था कि जिन नए व्यक्तियों को कोटा दिया जाएगा, उसमें हरिजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। किन्तु इस जी0ओ0 के जरिए वे गरीब लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वही लोग, जिनके पास लम्बी पूंजी है, दिमागी ताकत है, अपनी तिक म और धन के बल पर यह लाभ बराबर अपने हिस्से में ले रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी कदम पिछली सरकार द्वारा उठाया गया है, वह दोषपूर्ण है, उसको समाप्त किया जाय। चीनी के कोटेदार आज राजनीति के पंडित बन रहे हैं, अत: शीघ्र से शीघ्र यह पद्धति खत्म की जाए, चाहे 3 रुपया किलो या 4 रुपया किलो पर उन्हें खरीदना पड़े। लेकिन जनता के लिए जो व्यवस्था की गयी है, वह उन्हें कतई नहीं मिल रही है, इसलिए इस पद्धति को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, 30 वर्षों में गरीबों, विशेषकर हरिजनों के भलाई का ढिंढोरा पीटा जाता रहा है और इस हेतु नियम कानून बनते रहे हैं और आजादी के बाद विशेष रूप से हरिजन विभाग ही खोल दिया गया है। नाम तो है उनकी तरक्की के लिए, लेकिन इसके द्वारा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को छोड़कर जो भी यहां से सुविधायें या अनुदान दिए जा रहे हैं। उन्हें पिछली सरकार इसलिए देती रही है कि यह पिछ ा हुआ वर्ग है। इनको लापरवाही से, चुप रखने के लिए कुछ दिया जाता रहे। अब तक होता यह रहा है विभाग से मुर्गी पालन के लिए 3सौ, बकरी पालन के लिए ढाई सौ रूपया अथवा सायकिल मरम्मत आदि के लिए अनुदान दिए जाते थे। इसका नतीजा यह होता था कि उनसे जो लाभ उन्हें उठाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा था। इतने कम अनुदान से कैसे वह अपना जीवन स्तर उठा सकते हैं। इसलिए मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगी कि वह इन संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर इनके उत्थान की वास्तविक बात सोचे। अब हमारी सरकार ने

[श्रीमती राम रति देवी]

दुधारू जानवर पालने के लिए सुविधा देने की व्यवस्था की है और इसके लिए ढाई तीन हजार का अनुदान देने की व्यवस्था की है। पिछली सरकार ने उनके मकान की व्यवस्था के लिए सन् 1972 में एक इन्तजाम किया था। क्योंकि काफी समय बीत चुका था और सम्पन्न लोगों ने, सामन्त लोगों ने एक-एक और दो-दो बीघा के अपने मकान बना लिए थे, ऐशोआराम की जिन्दगी बिता रहे थे, अत: इन गरीबों के लिए डेढ़ सौ वर्ग गज का टुकड़ा देकर उनको आबाद करने की व्यवस्था की गयी थी। मालूम पड़ता है कि इन सामन्ती लोगों के दिमाग में यह बात थी कि इन लोगों के पास चारपायी नहीं होती है और छोटे मोटे जानवर नहीं होते हैं। इसलिए इन लोगों ने डेढ़ सौ वर्ग गज की कल्पना की थी। इतने पर भी उनके बनाए हुए नियमों पर क्या धांधली हुई है, इसे सभी सम्बन्धित बन्धु अच्छी तरह जानते हैं। चकबन्दी से, सीलिंग से, ग्राम समाज की बचत की भूमि से इतने छोटे-छोटे टुकड़े खेती के लिए देंगे, यह व्यवस्था की गयी थी। इस व्यवस्था को बहुत समझदारी के साथ उनको देने के लिए नम्बर भी लगाया गया। नम्बर में वरीयता दी गयी। उसमें नम्बर 1 पर जो सैनिक शहीद हो चुके हैं, उनको देंगे। दूसरे नम्बर पर जो स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद हैं, उनको दिया जायगा। इसी तरह से छठवें नम्बर पर हरिजनों के लिए व्यवस्था की गयी कि उनको दिया जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि इस व्यवस्था में छठवें नम्बर पर हरिजन को आबादी की जमीन और खेती की जमीन मिल पाती थी। यह केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट लेने के लिए व्यवस्था की गयी थी। हुआ क्या? आज भी गांवों में, पिछला सेशन समाप्त होने के बाद हम लोग गए हैं, स्वयं मेरे सामने, क्षेत्र में जो आबादी स्थल बांटे गए हैं आठ हजार, आए थे जिसमें उन्होंने असमर्थता दिखायी, और कहा कि चाहे कलेक्टर से कह कर, चाहे पुलिस से कह कर कब्जा दिलवा दीजिए। हमको रहने का मकान नहीं मिल रहा है। सारी वितरण की व्यवस्था की गयी हरिजनों के नाम पर, लेकिन गरीबों को जगह मिलना तो दूर रहा। आपस में हरिजन और हरिजन को भिड़ाया गया। उनके हिस्से में गया कुछ नहीं। जहां का तहां गांवों में बना बैठा रहा। मुझे प्रसन्नता है कि जनता सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम इस दिशा में कदम उठायेंगे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगी कि काम बहुत कठिन है लेकिन हमारी सरकार यदि इसमें कुछ भी हिस्सा हरिजनों के पक्ष में, उनको सुविधा दिलाने में कर लेगी तो निश्चित रूप से करोड़ों की संख्या में गरीबों का विश्वास हमारी सरकार को प्राप्त होगा।

श्री अधिष्ठाता--

धन्यवाद, अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती रामरति देवी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनट लूंगी। केवल एक महिला मैं ही बोली हूं।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन एक ही मिनट लीजिए। मैंने बत्ती बुझा दिया है।

श्रीमती रामरति देवी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहती हूं। वह पुरानी परम्परा जो बनायी गयी है पिछली सरकार के द्वारा, दोहरी नीति कायम की गयी है। हम लोग इसी सदन में बराबर पिछली सरकार से एक अनुरोध करते आए हैं, आज भी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस दोषपूर्ण प्रणाली को समाप्त करें। जहां हम एक तरफ नारा देते हैं समाज को बराबरी का दरजा देने के लिए वहां पर हमारे लिए लज्जा की बात है कि समाज में दो विचार-धाराओं के नागरिक पैदा करें। अभी दो तीन दिनों पहले हम लोगों को आंकड़ों की डायरी मिली है। उस डायरी को देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में काफी संख्या में व्यवस्था की गयी है स्कूलों के लिए, इन्टरमीडिएट कालेजों के लिए। हमने देखा कि 4 हजार 2 सौ विद्यालय खुले हैं। इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगी। पिछली सरकार ने इतनी कृपा हरिजनों पर जरूर की कि राजकीय संस्थाओं में उनके संरक्षण के लिए व्यवस्था की। किन्तु हम लोगों की मांग इस सदन में बराबर चलती रही और पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति के नाम पर एक कमेटी भी बनायी थी, उस कमेटी में भी बराबर मांग की गयी और उसने सरकार को लिखा कि जो प्राइवेट इन्टरमीडिएट कालेज हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ? जब हमारी सरकार इतने बड़े पैमाने पर इस खर्चे को बरदाश्त कर रही है, सारे अध्यापक खुश हैं, काम अच्छा चल रहा है तो क्या कारण है कि इन प्राइवेट संस्थाओं में हरिजनों के लिए संरक्षण सारी नौकरियों में क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्रीमती रामरति देवी—

एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पिछली सरकार वहां पर विकास कार्यों के मुंह देखकर कार्य करती आ रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी के समय में यह कार्य न हो। एक मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि कंधरिया माक्षा के नाम से एक स्थान है। बहुत सा रुपया सरकार का यहां पर खर्च होता है और बाढ़ का प्रकोप यहां पर बहुत रहता है। जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट इस सदन में पेश है, उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रदेश का बजट सरकार की तस्वीर होती है और मैं यह देखता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहली बार एक ऐसा बजट आया है जो गांव से शुरू होता है। यह विलेज ओरिएन्टेड है और मैं कह सकता हूं कि अपने प्रदेश की 80 फीसदी जनता इस बजट से लाभान्वित होगी। गांव में रहने वाले आज इससे फायदा उठायेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। इस बजट में लगभग 2 करोड़ का प्राविधान हरिजनों के कुओं के लिए किया गया है। हरिजनों की बस्ती को देखते हुए मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपया बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करते। वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह संकेत दिया है कि 5,350

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

हरिजन बस्तियों में बिजली का प्रकाश किया जाएगा। बड़ी खुशी है और वित्त मन्त्री जी का इरादा बहुत ही अच्छा है। वह चाहते हैं कि हरिजन जन जीवन में खुशहाली आवे। लेकिन मुझे संदेह है कि उनके पास जो कमी है और जो कार्यकर्ता हैं वह इतने थोड़े समय में 5,350 हरिजन बस्तियों में विद्युत् लगा सकेंगे। माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान रखें।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लगभग 45 लाख का प्राविधान इसलिए किया है कि जिससे एडल्ट एजूकेशन का प्रसार हो। बड़ी खुशी की बात है शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। 45 लाख को अच्छी तरह से खर्च किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजनैतिक दांव पेच में खर्च करके राजनीति लड़ी जाये ऐसा नहीं होना चाहिए। वित्त मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। 60 फीसदी जो जनता है वह गरीबी के स्तर के नीचे है। माननीय मन्त्री जी ने 34 लाख का प्राविजन किया है गरीबों के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार देने का। यह 34 लाख रुपया कम है। यह उसी तरह से है जैसे समुन्दर में एक बूंद। जब 60 प्रतिशत गरीबी के नीचे चल रहे हैं तो यह 34 लाख रुपया नहीं के बराबर है इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान हमारी पंचायतों की ओर गया है। हमारे देश में प्राचीन काल से पंचायतों में भाई चारा चलता था लेकिन आज गांवों में विषाक्त वातावरण होने के कारण रहना दूभर हो गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक आयोग बनाने की घोषणा अपने बजट में की है। यदि यह आयोग बन गया और उसने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए तो जो घृणा का वातावरण पैदा हो गया है, वह प्रेम और मुहब्बत में बदल जायगा।

जहां तक भूमिहीन हरिजनों की बात है, उनको जमीन दी गई है लेकिन आज वह उनसे छीनी जा रही है। मुझे दुःख है कि माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया है कि जो जमीन हरिजनों या गरीबों को दी गई थी वह दुबारा उनसे छीनी नहीं जायगी।

हमारे वित्त मन्त्री जी इस वर्ष लगभग 13 सौ ट्यूबवेल्स लगवाने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना उनसे यह है कि इनको उन बस्तियों में लगवायें जहां पर अधिकतर हरिजनों की बस्तियां हैं और जहां पर छोटे-छोटे काश्तकार रह रहे हों। उनका यह भी विचार है कि सारे विकास क्षेत्रों में सहकारिता बैंक की शाखायें खोली जायं। लेकिन मेरा निवेदन है कि अब तक जो कार्य प्रणाली इन बैंको की रही है वह अच्छी नहीं रही है। गरीबों के नाम पर रुपया लिख दिया जाता है, खाद चढ़ा दिया जाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि जब आप विकास क्षेत्रों में इन कोआपरेटिव बैंक्स को खोलने जा रहे हैं तो उनमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या और दूसरे कर्मचारी हैं, उनमें रिजर्वेशन जरूर करा दें जिससे हरिजनों के जन-जीवन में सुधार हो सके और गरीब जनता इन सहकारी बैंकों से लाभ उठा सके।

हर वर्ष प्रदेश के विद्यार्थी चिल्लाते हैं कि उनको बजीफा समय से नहीं मिलता है हालांकि सरकार उनकी मदद कर रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ ऐसा तरीका अपनाए कि इन पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को हर महीने वजीफा मिल जाया करे। जब मैं

इस बजट का समर्थन करता हूं तो यह भी अपेक्षा करता हूं कि मौजूदा सरकार हरिजनों पर होने वाले जुल्मों से उनको निजात दिलवाये।

इस वर्ष हरिजन डाक्टरों का जहां तक प्रश्न है उनमें केवल 18 विद्यार्थियों को ही लिया गया है जबकि कम से कम उनको 144 लेना चाहिए था, मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे। यह भी देखने में आया है कि जहां पर कोई हरिजन लगा है वहां के अधिकारी उनको निकलवाने की फिक्र में लगे रहते हैं। यहीं पर राजकीय अभिलेखाकार में एक जगन्नाथ प्रसाद नाम का लिपिक है। सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी ने जो हरिजन विरोधी हैं डायरेक्टर से कह कर उसको हटवा दिया है। इस बारे में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा है लेकिन उसकी बाबत भी कोई चीज मालूम नहीं हो सकती है कि क्या किया गया है। जिस समय आदरणीय बहुगुणा जी की प्रदेश में सरकार थी उस समय यहां पर लगभग 25 कलेक्टर्स जिलों में काम कर रहे थे। आदरणीय नारायणदत्त तिवारी जी की सरकार आयी तो ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने कलेक्टरों की संख्या घटायी और 15 कर दी। आज कल तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जनता सरकार ने इनकी संख्या और घटा दी है और घटा ही नहीं दी है, ऐसा लगता है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सारे हरिजन अफसरों और कलेक्टरों का लखनऊ में एक म्यूजियम बना दिया है। जितने जिलों में काम कर रहे थे उनको लखनऊ में एक म्यूजियम की शकल में लाकर रख दिया है। म्यूजियम में चीजें देखने के लिए होती हैं। आज हमारे हरिजन योग्य अधिकारी सब लखनऊ में खिंच करके खिलौने मात्र बन कर रह गए हैं और यही कारण है कि प्रदेश में हरिजनों पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है और उनम असंतोष व्याप्त है। पहले हरिजन कलेक्टर और एस0 पी0 लोग जिले में रहते थे तो हरिजनों को कानफिडेन्स रहता था। तो इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज गन्ने के किसानों की हालत बहुत खराब है। आगे सीजन गन्ने का चलने वाला है, उनको अपने गन्ने की कीमत पिछले दो-तीन सालों से नहीं मिल पायी है। तो आज हमारे पास अपने मार्केट में भी नहीं है बाहर भी शकर जा नहीं रही है। तो आज जब हमारे पास शकर का स्टाक करीब 35 लाख टन मौजूद है तो कन्ट्रोल की जरूरत नहीं है। शकर पर से कन्ट्रोल हटना चाहिए, क्योंकि आज तो हमें शकर खाने वालों की जरूरत है न कि कन्ट्रोल करके खाने को कम देने की। इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। यह प्रथम बार जनता बजट कहते हुए कोई हिचक नहीं होती। इसमें ब्योरेवार विवरण दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं यह देखता हूं कि बजट जितने बनाए जाते हैं उनकी आत्मा में वह बात नहीं आती जो जनता पार्टी चाहती है और इसमें भी कुछ कमियां रह गयीं। मैं समझता हूं कि अगर हम देखें और गांधीवादी सुनियोजन के सिद्धान्त की जो पुस्तिका है उस पर दृष्टिपात करें तो उसमें स्पष्टतया इस प्रदेश की आवश्यकता को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेम सिंह चौहान]

देखते हुए जिन चीजों का समावेश किया गया है उनको और अच्छी तरह से किया जा सकता है, यह उनके कार्यान्वियन के समय हम देखेंगे। इसमें जहां भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात कही गयी है और प्रशासनिक सुधार की, इसका सम्बन्ध हमारी मजबूरियों से है। यह पिछले 30 साल के इतिहास का एक दौर जो चला, उसकी देन है कि हम इधर निगाह नहीं ले जा पाते। मान्यवर, मैं आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार की ज मजबूरियों पर बराबर चलती रही है। आज भी यह गरीब जनता और लोग इस आधार पर रिश्वत देते हैं कि उनका काम हो और उनका शोषण जो होता है, उस को दूर करने का उपाय अवश्य ढूंढना चाहिए।

एक इसमें लगान मा फी की बात कही गयी है। मुझे खूब अच्छी तरह से स्मरण आता है कि जब संविद सरकार थी तब भी यही चीज हुई। लेकिन मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री जी से चाहूंगा कि जनता सरकार बनी, किसानों की आकांक्षाएं बढ़ीं और हमने जो वायदे किए थे कि किसानों को राहत मिलेगी, बजट का बहुत बड़ा भाग उन पर खर्च होगा, प्रसन्नता है कि इसमें समायोजन किया गया, उनकी आकांक्षाओं का। लेकिन यह जो लगान माफी है यह समाजवादी स्तर पर सैद्धांतिक रूप से तो कुछ सही दिखती है लेकिन यथार्थता के स्तर पर अगर हम जायं तो गांव का एक भी छोटी होल्डिंग वाला किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो लगान माफी को चाहता हो क्योंकि उसको यह खतरा मालूम होता है कि इससे हमारी जमीन छिन जायेगी चाहे कितनी ही नेकनीयती से हम काम करें। तो मैं यह कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता और यह जो 18 करो ं का लगान छोड़ा है यह प्रदेश के छोटे किसानों के हित में अवश्य व्यय हो सकती थी। अगर इसका कोई रूप बन सके तो मैं आपके समक्ष अपना यह सुझाव रखना चाहूंगा।

जहां तक दक्षता की बात हमने कही है वहां पुलिस की व्यवस्था में आप देखेंगे कि आपने कांस्टेबिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने चौकियां बढ़ाई, पुलिस स्टेशन्स बढ़ा दिए, सब-इन्सपेक्टर्स का रेक्रूटमेंट किया गया लेकिन उसके अनुरूप वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए चौकियों पर कांस्टेबिल्स नहीं हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा जाय और उनकी उचित संख्या बढ़ाने की दिशा में बजट में धन व्यय किया जाय।

यहां मद्य-निषेध की बात आयी है। अपनी कांस्टीटुएंसी, अलीगढ़ में सिकन्दराराऊ में मैंने जिलाधीश महोदय से भी कहा था कि राजपथ और जनपथ पर जहां-जहां बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन हैं या मुख्य मार्गों पर जो शराब की दुकानें बेतहाशा खोल दी गयी हैं उनको बन्द कर दिया जाय। मैंने 15 अगस्त के पावन पर्व पर जिलाधीश महोदय से कहा था कि शराब की दुकान जो स्टेशन के पास है अगर यह न हटी तो मुझे आन्दोलन करना प गा। लेकिन जिस न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के हम हामी हैं उसकी आ ड़ ले कर उस ठेकेदार ने स्थगन आदेश ले लिया, और हमारी मखौल उ ायी। आज शराबबन्दी की बात हम कहते हैं, प्रधान मन्त्री भी चाहते हैं और वर्तमान सरकार भी चाहती है लेकिन आज तक इसका इलाज हम नहीं कर पाए और प्रदेश के लाखों लोगों की मौत शराब में होती है और इस तरह गरीब आदमी का खून पिया जाता है। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक विद्युत् की बात है विद्युत् का चूंकि मेरा अनुभव है, ऐसे स्थान पर रह रहा हूं जहां मैं उससे जुड़ा रहता है, एक बड़ी अजीब स्थिति है। पिछले दिनों में जब विद्युत् का उपयोग कम हो रहा था तो जो कनेक्शन्स दिए जाते थे वह घरों में एक किलोवाट या 2 किलोवाट के हिसाब से दिए जाते थे। आज जब इलेक्ट्रिकल एप्लायेन्सेज इतने बढ़ गए हैं तो भी कनेक्शन्स उसी हिसाब से दिए जाते हैं जिससे विद्युत् का दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें लाइट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, सारा काम पावर कनेक्शन से लेते हैं। हमारे प्रदेश में करोड़ों रुपया बकाया के रूप में आज भी है। और 18 प्रतिशत से अधिक जो लाइन लासेज हैं उसके नाम पर विद्युत् की सारी चोरी होती है। इसके अलावा जो मशीनरी विद्युत् में लगायी जा रही है उसका प्रापर रख रखाव नहीं है। पिछले दिनों में लगातार विद्युत् परिषद् का एक्सपैन्शन हुआ और यह टाप हैवी अरेजमेन्ट रहा। अधिकारियों की बहुत बढ़ोत्तरी की गयी। जहां एक सुपरवाइजर से काम चल सकता था, वहां एस0 ई0 बैठा दिया गया। लेकिन नीचे स्तर पर जो मजदूर वर्ग हैं या जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

मैं मुख्य रूप से शिक्षा से सम्बन्धित हूं। मैं देख रहा हूं कि बजट में शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की गयी है और यह प्रसन्नता का विषय है। लेकिन इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह व्यवस्था ना काफी है। लेकिन फिर भी इसके लिए जितने हमारे अध्यापक हैं या गांव में जहां बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है, जैसे हमारे माननीय सदस्य ने इंगित किया स्कूलों में भवनों की व्यवस्था की जाय। प्रोफेसर हुमायूं का यह विचार रहा है कि इस राजकीय साधनों से सारी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेन्डरी स्कूल तक ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे हरिजनों को प्रोत्साहन मिले और पिछड़ी हुई जनता को लाभ मिल सके।

मान्यवर, जो भूमि आबंटन की बात कही गयी हैं, मैंने अलीगढ़ में इस बात की चुनौती दी थी कि अगर एक भी स्थान पर बता दिया जाय कि कहीं पर भी हरिजन पर अत्याचार हुआ है, तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मान्यवर, अलीगढ़ में सुअर जो हैं वे खुले हुए घूमते हैं। वे देहातों में अन्दर रसोई तक में घुस जाते हैं। मान्यवर, बहुत सी झूठी रिपोर्ट भी लिखी जाती है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, बजट में जो सबसे बड़ी बात होती है, व्यवहारिक रूप से जो सामने यह कोशिश करते हैं कि मार्च तक पूरा पैसा खर्च कर दिया जाय। सारे डिपार्टमेंट में मार्च आती है, अधिकारी लोग ज्यादातर में खर्च करने की होड़ लगती है। वह एक अच्छा पहलू नहीं है और उससे भ्रष्टाचार पनपता है। मैं चाहूंगा कि मेरी सरकार इस बात को देखे कि यह लैप्स न होने पाए। इस पर निगाह रखी जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा धन का सदुपयोग कर सकें। यह जो सारा सामान एक साथ खरीद लिया जाता है यह परिपाटी बन गयी है, जो टेन्डर मांग लिए जाते हैं, यह सही तरीका नहीं है। बाजार में चीजें सस्ती मिलती हैं। डिपार्टमेंट में एक खाना पूरी की जाती है, तो इसकी देखभाल रखी जाय। अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया।

किसानों के लिए जो राहत की बात कही गयी है उस पर पूरा ध्यान रखा जाय। देहातों में जो लिंक रोड हैं, उस पर ध्यान रखा जाय। जो बजट में कटौती की गयी

[श्री नेम सिंह चौहान]

है, वह रुपया इन रोड्स पर व्यय के लिए रख दिया जाय। पेय जल की समुचित व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सुनियोजित ढंग का बजट प्रस्तुत किया।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, उसको देखने से मुझे न जोश आया और न गुस्सा ही आया। लेकिन मुझे देखना यह है कि यह बजट हमें कितना आगे ले जाने वाला है। मान्यवर, जो हमारी गाढ़ी पसीने की कमाई है उसमें कितना खर्च किया है और कितना प्राप्त किया है। इस अर्थ व्यवस्था के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने गांधी फिलासफी को जीवन के ढांचे में रखा। प्लानिंग बाई इन्सेंटिव और प्लानिंग बाई डाइरेक्टिव की उन्होंने रचना की।

बजट तो पहले भी थे और बाद में भी आए। लेकिन उन्होंने जो रचना दी, मिश्रित पालिसी जो उन्होंने अपनाई अपने भारतवर्ष में वह एक बहुत ऊंची चीज उन्होंने रखी। उस वक्त एक बहुत बड़े एकोनामिस्ट की उन्होंने 1952 में एक कमेटी भी बनायी। उन्होंने इसके ऊपर विचार किया कि भारतवर्ष में हमें जो प्लानिंग करनी है उसका तरीका क्या हो, वह कैसी हो। खासकर उद्योग धन्धों, छोटे उद्योग धन्धों को किस तरह से चलाया जाय। उन्होंने जापानीज की एक टीम भी बुलवाई और उसके द्वारा स्टडी की कि जापान में किस तरह घरेलू उद्योग धंधे चलते हैं और उसके आधार पर हम कितना अपने यहां कर सकते हैं। उन चीजों को गांधी फिलासफी के आधार पर पंडित जी ने रखा। जिससे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हुई और कांग्रेस ने अपनी समाजवादी रचना के आधार पर उसको ताकतवर बनाया। इसको यदि आज गलत कहा जाय तो मेरी समझ में नहीं आता। कुछ चीजों में गलती देख सकते हैं, कुछ चीजें हमारी गलत हो गयीं। जो चीजें हमारी गलत हो गयीं उनको हमें हिम्मत से मानना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ पालिसियां एडाप्ट करने में गल्तियां हुयीं उसी कारण से हमसे 30 वर्षों की हुकूमत गई। लेकिन जो रोशनी हमको पंडित जी से मिली उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है।

प्रदेश की प्लानिंग को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला हमारी धरती है। अब सवा 3 एकड़ तक लगान माफ कर दिया गया है। तो इसको मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं और जैसा चौधरी साहब कहते थे, धरती को ताकत देने के लिए काश्तकारों का बोझा हटाना चाहिए। हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं है। उनको क्या दें? सोचा गया कि ग्रामोद्योगों को चला करके मदद की जा सकती है। 1953–54 में हमारे वित्त मन्त्री महसूस करेंगे कि अम्बर चर्खा के आधार पर हमने किसानों और ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब तो मशीनरी युग है। ग्रामों में जो बसे हैं वह कस्बों की ओर देखते हैं, कस्बों में जो बसे हैं वह तहसीलों की ओर देखते हैं और तहसील वाले जनपद की ओर देखते हैं, जनपद वाले लखनऊ और दिल्ली की ओर देखते हैं। इन्सान अब पीछे की तरफ नहीं देखता है। अगर बुनकरों का कपड़ा ही सब जगह कर दें तो अब कोई टेरीलीन छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी अब अपनी सुविधा, इकोनामी को स्वयं पहचानता है, वह जानता है। खादी को ही अगर बात लें तो बताइए कि खादी की मारकेटिंग कहां है ? यह जो बजट पेश हुआ है उसको ज्यों का त्यों रख दिया है । यह घाटे का बजट है, घाटे का बजट बढ़ोत्तरी का बजट होता है । लेकिन इस बजट को ज्यों का त्यों रख दिया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के बारे में। व्यापारियों ने मांग की थी कि सेल्स टैक्स को माफ किया जाय और आपने वायदा भी किया था कि माफ करेंगे। मैं मानता हूं कि इसको खत्म करने में कुछ दिक्कतें भी होंगी क्यों कि कांग्रेस की रिजीम के अन्दर यह डिस्कशन रहा और महसूस करते हैं कि स्कीम को चलाने के लिए सेल्स टैक्स रहे चाहे रूप बदल दें। उसको सरल बनाने के लिए कुछ चीजों पर छोड़ दिया, टैक्स कम किया जो अच्छी चीज है और उसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन आपने सर चार्ज नहीं छोड़ा। दुनिया में एग्रीकल्चर होती है। हमारा प्रदेश एग्रीकल्चर प्रदेश है। आपने कहा कि लघु उद्योग लगायेंगे। लुधियाना में बनियाइनें बनाने के लिए आपने क्या काम किया है। हमारे यहां मेरठ में इम्प्लीमेन्ट्स बनाने के कारखाने हैं उसमें 5 प्रतिशत सेल्स टैक्स है लेकिन पंजाब में बिल्कुल नहीं है तो आपके प्रोड्यूसर किस तरह उनका मुकाबला करेंगे, उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए सेल्स टैक्स यदि हटा लेते तो ठीक था, लेकिन आपने वह काम नहीं किया है।

मुझे आपसे कहना है कि जो बजट पेश करते हुए एक आवाज आप देते हैं कि राम राज्य की ओर जा रहे हैं। तो उसकी कल्पना कांग्रेस ने भी किया था और आपने भी किया। लेकिन राम राज्य का क्या रूप है ? गांधी जी चाहते थे कि इस शक्ति को दिल्ली से हुकूमत प्रदेशों की तरफ जाय और उससे आगे डिस्ट्रिक्ट और उससे ग्रामीण अन्चल में जाय। वह स्वतन्त्र रचना चाहते थे। आपने एक अध्यादेश निकाल कर लोकल बाडी, टाउन एरिया और जिला परिषदों, सबको समाप्त कर दिया। तो यह कौन सा अच्छा विचार है ? आपको जीवन की एक नई लहर पैदा करनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं किया बल्कि एक दर्द दे दिया और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लोकल बाडी का काम करवा रहे हैं। तो यह कोई नई रचना नहीं हुई। जनता चाहती थी कि गवर्नमेंट बदलेगी और वह शान्ति आएगी तथा प्रशासन अच्छा होगा। किसी को बुरा-भला कहने की बात नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या ? शासन में बदतर हालत हो गयी है जितनी कि इमरजेंसी में नहीं थी। आप कहेंगे क्यों ? तो इमरजेंसी में हरिजनों को भूमि दी गयी, आवास का काम किया गया लेकिन इस समय आपने आग लगाकर उनको चौपट कर दिया।

मान्यवर, कीमतों पर आपका कन्ट्रोल क्या है ? उसका नक्शा क्या है ? बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे ऐसा लगे कि इसकी तरफ सरकार का ध्यान गया है। गांव में तो छोड़िए शहरों में खुले बाजार में लोगों को कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर राम राज्य के बजाय रावण राज्य की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो इनको रोकना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हम रचनात्मक कार्यों में कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेंगे लेकिन अगर कमियां हैं तो उनको दुरुस्त किया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार चतुर्मुखी विकास का पहला बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

उत्तर प्रदेश में पहली बार बिना कर लगाए बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है जैसे अस्पतालों में बगैर पर्चे की फीस दिए जनता को राहत दी गयी है, किसानों को फर्टीलाइजर के मामले में 20 प्रतिशत की राहत दी गयी है, चौकीदारों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, थानों को आधुनिक साधनों से सुसज्जित किया गया है और 3.1/8 एकड़ भूमि का लगान माफ किया गया है। बिना जनता पर कर-भार डाले यह सब किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं और साथ-साथ कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देना चाहता हूं।

पहला सुझाव तो यह है कि जितना पानी सिंचाई को उपलब्ध है उसका 30 से 40 परसेन्ट तक खेतों तक पानी ले जाने में जमीन सोख लेती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि नहरों और नलकूपों की नालियां पक्की करा दी जायं जिससे यह वेस्टेज बच सके। दूसरा सुझाव यह है कि जहां नहरों के ज्यादा इलाके हैं जैसे पंजाब है वहां भी राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की गयी है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी भूगर्भशास्त्रियों का विचार है कि काफी पानी जमीन के अन्दर मिलता है जिसको निकाल कर यदि सिंचाई की जाय तो जमीन ज्यादा ताकतवर होगी इसलिए राजकीय नलकूप ज्यादा बड़े पैमाने पर खुदवाने की व्यवस्था की जाय। तीसरा सुझाव यह है कि फसलों का बीमा आरम्भ किया जाय। हमारे यहां सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन तेल की कीमत बढ़ी है मूल्यों के उतार चढ़ाव हैं। इसलिए सरसों में फसल बीमा प्रारम्भ करने का काम किया जाय। चौथी बात एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के बारे में है। यह एक प्रकार से किसानों के शोषण का माध्यम है। सही मायने में इसकी यह मंशा थी कि किसान जो चीज पैदा करता है उससे उद्योग धन्धे पनपाए लेकिन इसे न पनपा कर इस एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने शोषण का कार्य आरम्भ कर दिया है और स्वयं सारा सामान बनाता है जो किसानों को बनाना चाहिए जिससे ग्रामोद्योग हो और किसानों की हालत सुधर सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम से और अमरूद से जो रस निकलता है यदि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन इसे किसानों के बीच ले जाकर उन्हें प्रोत्साहन दे, उनके बेकार घूम रहे बच्चों को इस काम में रुचि पैदा करे, उनकी सहायता करे तो हमारे प्रदेश के किसानों की तरक्की हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि विगत सरकार ने जो इस एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को शोषण का अड्डा बना रखा था इसे किसानों के बीच उतारे ताकि उनकी हालत सुधरे और ग्रामोद्योग पनपें। इसी के साथ साथ में कहना चाहूंगा कि इस में जो आई0ए0एस0 आफिसर पदाधिकारी व सदस्य होते हैं उनके स्थान पर इसमें किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिए जो खेती से सम्बन्धित जानकारी रखता हो।

इसके बाद मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि जो खेती के बीज हैं, फर्टीलाइजर हैं, पेस्टीसाइड वगैरह हैं इनके वितरण की एजेंसी किसानों के बच्चों को दी जाय जो ग्रेजुएट हैं एग्रीक्लचर में, इन्जीनियरिंग में और बेकार पड़े हैं ताकि उनको काम मिल सके और साथ ही साथ इन चीजों का वितरण देहातों में फैल सके।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारा खेती का मामला घाटे की ओर जा रहा है। जब तक इस मुल्क में खेती की अर्थ-व्यवस्था में मुनाफा नहीं होगा तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। खेती और कारखानों की कीमतों के अन्दर सामन्जस्य होना चाहिए।

श्रीमन्, आज नलकूप चल रहे हैं, नहरें चल रही हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के पास निजी नलकूप हैं, निजी पम्पिंग सेट हैं सिंचाई के लिए, मैं चाहूंगा जहां राजकीय नलकूप व नहर की नाली पड़ी है उनको उसे प्रयोग करने की छूट रहनी चाहिए उन्हें उस पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। इस सुझाव के कार्यान्वयन से मुझे आशा है कि हमारी खेती का सुधार होगा।

यहां पर कहा गया कि हम दुग्ध उत्पादन तेजी में ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि क्रास ब्रीडिंग सेन्टर स्थापित किए जायं जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, हिसार आदि से गाएं लाई जायं और उन्हें क्रास ब्रीड कराया जाय ताकि आगे चल कर दस पन्द्रह साल में अच्छी गाय इस देश में हो सकें जो 14–15 किलो दूध दे सकें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फिरोजाबाद में कोई तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं है। वहां पर एक ग्लास टेक्नोलोजी का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय और वहां एक गैस प्लान्ट लगाया जाय जिससे लघु उद्योग उन्नति कर सकें।

शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी तो राजकीय कर्मचारी माने जाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से हटा कर दूसरे स्थानों पर जैसे डी0आई0ओ0एस0 के कार्यालय में कार्य करते हैं उन्हें राजकीय कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। तो कम से कम मैं यह चाहूंगा कि समस्त कर्मचारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत कार्यरत हैं उन्हें राजकीय कर्मचारी माना जाय और इससे बजट पर कोई भार नहीं पड़ेगा। एक निवेदन यह करूंगा कि हमारे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल चल रहे हैं जिनसे हजारों छात्र निकलते हैं जिनके दाखिले की समस्या बाद में होती है। या तो उनको बन्द कराइए या फिर उनको मान्यता दिला दी जाय ताकि छात्रों का जीवन बन सके। अन्त में यह जो चतुर्मुखी विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा बजट है जिसके जरिए विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो इसमें छोटी इकाइयों को प्राथमिकता दी गयी है, जो बहुत अच्छी बात है। इसमें ग्रामोत्थान, पंचायत राज तथा कृषि की छोटी इकाइयों को लेकर प्रदेश की प्रगति को ध्यान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती राम]

रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। जिस परिस्थिति में जनता पार्टी शासन में आई है, जिस बिगड़ ढांचे को लेकर देश व प्रदेश की जनता पार्टी को शासन में बिठाया है इस थोड़े समय में उस ढांचे पर काबू पा लेना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

आज विपक्ष के लोग जो आलोचना करते हैं वे शायद इस बात को जानते होंगे कि जो-जो उन्होंने गलतियां की हैं, जहां-जहां पर उन्होंने इस व्यवस्था को बिगा । है उसकी जानकारी उनको ज्यादा है। यहां के प्रशासकीय ढांचे को जो उन्होंने तीस साल में भ्रष्ट किया है और यहां की प्रशासनिक मशीनरी को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया है उसके कारण जनता पार्टी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार यहां के उद्योगपतियों को अपने राजनीतिक प्रयोग में लाती रही। आज यह प्रत्यक्ष हमारे सामने है कि यहां के पूंजीपति इस सरकार के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। मैं ज्यादा इस विषय में न जाकर एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि जे0 के0 प्रतिष्ठान जो इस देश के चौथे नम्बर का पूंजीपति कहा जाता है आज वह किस तरह से कांग्रेस का जो षडयन्त्रपूर्ण रवैया हैं उससे प्रेरणा पा रहा है और उससे प्रेरित हो कर हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर इस बात के लिए उकसा रहा है कि जनता पार्टी के खिलाफ एक अशान्ति का वातावरण पैदा हो।

हरिजनोत्थान की बहुत बात कही जाती है। पिछले तीस साल में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। उसे उस भूखे शेर की तरह रखा जिसे न इतना कम भोजन दिया जो भूख से मर जाय और न इतना अधिक भोजन दिया जो नाचने से मना कर दे। तीस साल में आपने इस देश और प्रदेश में द्वेष का वातावरण पैदा किया है।

यहां पर रेडियो और अखबारों से प्रचार किया गया लेकिन उनको दिया कुछ नहीं। आपने उसका ढिंढोरा पीटा है। हम यह मानते हैं कि हरिजनों की समस्याएं हैं और दो महीने में आप हमसे उनका निराकरण चाहते हैं। कृपया आप बतायें कि इस देश की आमदनी के क्या-क्या श्रोत हैं ? इस देश के चार श्रोत आमदनी के हैं मोटे तौर पर अगर उनको बांटा जाय तो एक तो प्राकृतिक है जो प्रकृति ने हमको दिए हैं जिसमें जमीन, नदी और पानी आते हैं और दूसरे श्रोत जो हैं वह मनुष्य ने बनाए हैं जिसमें बड़े कारखानों से रिटेल शाप तक आती है और तीसरा नम्बर नौकरियों का है। 70 प्रतिशत जनता जो हैं वह प्राकृतिक श्रोतों पर निर्भर करती है। पिछले 30 सालों में उनके लिए कौन सी सुविधा उद्योगों में दी। यहां के अनुसूचित जाति के लोगों को एक तरफ ताख पर रख दिया गया सर्फ नौकरियों में 18 प्रतिशत का आप ढिंढोरा आप पीटते हैं उसमें भी स्थिति यह है कि ढाई प्रतिशत लोग ही आगे आ पाए हैं। तीस साल में एक राजनीतिक जहर आपने पैदा किया है। इस समस्या का हमें हल करना होगा।

आज से 20 साल पहले यह बात पंडित जवाहर लाल नेहरू के समक्ष पार्लियामेंट में कही गयी थी कि अनुसूचित जातियों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है उसका समाधान राष्ट्रीय समस्या समझकर किया जाना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था यह राष्ट्रीय समस्या नहीं है। यह हमारी एक मामूली समस्या है लेकिन इन तीस सालों

में आपने उसे राष्ट्रीय समस्या बना कर रख दिया है। अगर उस समस्या का समाधान लेकर चले होते तो इस देश और प्रदेश की शक्ल आज दूसरी होती। अनुसूचित जाति का रूप कुछ दूसरा ही होता। आज नौकरियों में क्लास वन में 2 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं और क्लास टू में साढ़े चार प्रतिशत हैं और क्लास थ्री में 9 प्रतिशत यह लोग पहुंचे हैं। हां क्लास फोर में जरूर आपने वृद्धि की है जिसमें मेहतर या दूसरे लोग आते हैं। अच्छा होता दूसरे लोगों को भी उसमें रखे होते तो समानता आ जाती।

जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है किसी भी क्षेत्र में उद्योग से लेकर रिटेल शाप खोलने के लिए कोई सुविधा उनको नहीं दी गयी। अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से और विशेष रूप से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस समस्या का समाधान करना है तो जो आपके उद्योग हैं, रिटेल शाप हैं, कल कारखाने हैं या जो आने वाली योजनाएं हैं उसमें उनका ध्यान रखें। उनका ढिंढोरा कम पीटा जाय। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं। जब मुख्य मन्त्री बहुगुणा जी थे उस वक्त 140 छात्रों की भर्ती हुई थी, लेकिन नारायण दत्त जी की सरकार में वह संख्या घटा कर 90 कर दी गयी और आज पूरी तरह से जनता सरकार ने शासन सम्भाला भी नहीं, कांग्रेस के कुछ लोगों ने अधिकारियों ने मिल कर 7 मेडिकल कालेज में उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी है जो 2 प्रतिशत है। तो इस बदलते हुए रूप में देखें। 7 मेडिकल कालेजेज में केवल 18 आदमियों की भर्ती हुई है। यह दुख का विषय है मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण तो बहुत हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जब बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री थे इस प्रदेश में 16 डी0एम0 और 15 एस0पी0 अनुसूचित जाति के थे। लेकिन नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने यह संख्या क्रम से 4 और तीन कर दी। आज इससे भी असन्तोष है और यह होता इसलिए है कि अगर अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी किसी जिले में तैनात हो जाता है तो वहां के अनुसूचित जाति के लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और सेवाओं के माध्यम से उनको राहत भी मिलती है। तो जिस अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के लोग उनको एक्सप्लाएट करना चाहते हैं, वे अपने दामन में झांक कर खुद देखें। हम तो इसके लिए वचनबद्ध हैं, हम इस देश की जनता को आश्वासन देकर आए हैं कि जो कांग्रेस के पूर्व कुकृत्य हैं उनको हम साफ करेंगे, उनको दूर करेंगे और कुछ समय लेकर उनकी तमाम समस्याओं को सही रूप में दूर करेंगे।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में जो सत्ता पक्ष का बजट प्रस्तुत है, उस को यथास्थितिवादी बजट बताते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट, जिस तरह से जनता पार्टी का जन्म सन् 1947 के बाद सन् 1977 की दूसरी क्रान्ति में हुआ है उस क्रान्तिकारी सरकार का यह बजट कोई क्रान्तिकारी बजट नहीं है और न यह जनता की भावनाओं इच्छा और आशा, मनोकामनाओं के अनुकूल बजट है, बल्कि यह बजट पूंजीवादी बजट है। जिस तरह से इस सरकार का जन्म हुआ है, वैसे ही इसका अन्त भी होना निश्चित है। क्योंकि

[श्री मित्र सेन]

जिस चीज का जैसे जन्म होता है, उनका विनाश भी उसी तरह से होता है। जिस तरह से बरसात में बहुत से कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे अन्धाधुन्ध अनावश्यक रूप से पैदा हो जाते हैं और जा ा आते ही उनका स्वतः नाश हो जाता है। यह सरकार जैसे एक झटके में पैदा हुई है, वैसे ही इसका अन्त भी होगा। यह जनता सरकार बुर्के में छिपी संविद सरकार है। उसका बजट भी उसी तरह का है, इसमें गरीबों के लिए कोई चीज नहीं है।

आज इस देश में 20 प्रतिशत लोग कुल जमीन का 80 प्रतिशत भाग अपने पास दबाए हुए हैं और 80 प्रतिशत लोगों के पास कुल 20 प्रतिशत ही मुश्किल से जमीन है। पिछली सरकार ने कम से कम हरिजनों को आबादी के लिए जमीनें दी थीं लेकिन इस सरकार ने कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं की है। जितने हरिजन और दलित वर्ग के लोगों की आबादी की जमीन दूसरे के खाते में दर्ज है, आज वे उजा ा जा रहे हैं। उनकी आबादी कहीं दर्ज नहीं की गयी है। इन उजाड़े गए किसानों और हरिजनों को बसाने के लिए आपके पास कौन सा बजट है? जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि दिलाने के लिए आपका कौन सा बजट है? जिन किसानों की नहर से जमीन निकाली जा रही है, उनके लिए आप कहते हैं कि उनको वहां जमीन नहीं देंगे, दूसरी जगह बसायेंगे, किन्तु कहां बसायेंगे, कोई निश्चित स्थान नहीं है। आप उनके लिए न कोई रोजगार दे रहे हैं, न जमीन दे रहे हैं। आज बड़े उद्योगपतियों को 1 से 7 पैसे प्रति यूनिट में बिजली दी जाती है और किसानों को 40 से 75 पैसे के रेट पर दी जाती है। क्या यही आपका क्रान्तिकारी बजट है। होना तो यह चाहिए था कि किसानों को 1 से 7 पैसा में और उद्योगों को 40 से 75 पैसे की दर पर बिजली दी जाती। यह क्रान्तिकारी बजट आपका तब मैं समझता, जब लखनऊ से बाराबंकी तक स ड़क के किनारे जो पूंजीपतियों और नौकरशाहों की जमीन और फार्म हैं, जिन्हें उन्होंने तिकड़म करके छिपा रखा है, वे गरीबों को मिलते। आज इन जमीनों की आड़ में तमाम काला धन सफेद किया जा रहा है। अफसर अपने रिश्वत और लूट के काले धन को छिपाने के लिए जमीन खरीद लेते हैं। इस प्रकार से यह जो बजट है इसमें कोई व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने, जिन डिप्लोमा होल्डरों के लिए नौकरियां सुरक्षित की थीं उनके लिए काम देने की कोई गारन्टी नहीं है।

यह हरिजनों के बारे में बात करते हैं। हरिजनों में जो असुरक्षा पैदा हुई है उसके बारे में बताऊं। आज मरी हुई लाशों के पोस्ट-मार्टम के नाम पर पुलिस पैसा वसूल करती है। ऐसे तमाम सबूत उनके सामने मौजूद हैं। हमारे क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। उसमें जितनी धांधली हो रही है उससे ज्यादा और कहीं सबूत नहीं मिल सकता। हजारों लोग ऐसे हैं, जिनको अफसर लोग अपने इलाके से लाकर लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। उस क्षेत्र के लोग, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनको दस पन्द्रह प्रतिशत प्राथमिकता देकर नौकरी दी जाय। लेकिन उनकी क ई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोग यूनिवर्सिटी के कायम होने से बगैर जमीन के हो रहे हैं? उसका मुआविजा नहीं मिल रहा है, न उसके बदले जमीन दी जा रही है, न नौकरियां दी जा रही हैं। गत 14 तारीख को हमारे इलाके में सामन्तों के दो-ढाई सौ लोगों ने दलित वर्ग पर हमला किया। मौके पर दरोगा पहुंचता है। उस घटना को देख कर रिपोर्ट दर्ज करता है। तफ्तीश करता है। तो राज्य सिंचाई मन्त्री, अवधेश प्रताप जी हैं, वह घटनास्थल को देखने

तक नहीं जाते बल्कि विरोधियों की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस पर बेजा असर डालते हैं। जो भी मन्त्री गण जिलों में जा रहे हैं, उनके विभाग के अफसरों से पूछा जाय, न मालूम कितना खर्चा उनको नाजायज देना पड़ रहा है। जनता पार्टी के मन्त्रियों की सादगी की बात की जाती है। इनकी वही गाड़ियां हैं, वही बंगले हैं, वही दफ्तर हैं। वही सड़ी गली नौकरशाही है। यह कौन सी सादगी लायेंगे ?

यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री पहले वकील रहे हैं। सूचना मन्त्री वकील रहे हैं जो दो रुपया से लेकर मामूली मुहर्रिर तक को रिश्वत दिलाते थे। यह नहीं जानते हैं कि कचहरियों में कितना भ्रष्टाचार है ? आज सत्ता में बैठ कर सारी चीजों की सारी असलियत को भूल गए हैं। आज गांवों में जो मेहनत कर रहा है, शहर और गांव की जनता के अन्तर को देखें गांव की जनता को गिरी निगाह से देखा जाता है। आज वही हलवाहा है जो दिन भर नंगे बदन काम करता है खेतों में, श्रम और पसीने से धरती सींचता है और लाखों मन सम्पत्ति पैदा करता है, उनके लिए कोई योजना नहीं है।

आज शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में दो तरह की नीति है। गरीब और अमीर की शिक्षा अलग-अलग है। अगर बुनियादी जीवन में इस तरह का अन्तर है तो गरीब अमीर की खाई कैसे पटेगी ? यह बजट सर्वथा पूंजीवादी है, न यह अन्तोदयी है, न क्रांतिकारी है, न जनता की भावनाओं के अनुकूल है। इस वर्ग विशेष बजट का हम लोग विरोध करते हैं।

*श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एक डेढ़ घंटे तक उठक-बैठक कराने के बाद मुझे अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता––

इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। जो व्यवस्था है उसमें मिल भी पाए वही बहुत है।

श्री राजमंगल तिवारी––

श्रीमन्, मैं इस बजट को जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष से कहा जाता है कि पूंजीवादी बजट है, मैं इसे पूंजीवादी बजट नहीं मानता। लेकिन पूर्ण रूपेण समाजवादी बजट भी इसे नहीं कह सकता।

इस सरकार का समाजवाद की तरफ चलने का कदम है जिससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार समाजवाद की ओर अग्रसर है। इसमें समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने का काफी ध्यान दिया गया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही अपने जिले देवरिया की ओर वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

1952 से विधायक चिल्लाते रहे हैं कि यह जिला बहुत गरीब है। 1962 में पटेल आयोग का गठन भी हुआ लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 20 जुलाई, 1977 को 'आज' में प्रकाशित एक समाचार है जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के 4 पूर्वी जिलों––देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर में विकास की सम्भावनाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल तिवारी]

को देखते हुए, पटेल कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए 2–2 चीनी मिलों, 2 शराब के कारखाने, 4 कागज के कारखाने और लकड़ी के पट्टे बनाने के कारखाने, देवरिया में बड़े पैमाने पर निर्माण संयत्र लगाने की सम्भावना है। अलकोहल पर आधारित रसायनिक उद्योग तथा सूती वस्त्र बनाने की सिफारिश की गयी थी। इस दिशा में यह भी कहा गया कि केन्द्रीय सरकार ने 4 करोड़ रुपए का अनुदान भी राज्य सरकार को दिया है। बजट को देखने से ऐसा लगता है कि उस पर गौर नहीं किया गया है। भाटपार क्षेत्र जो देवरिया जिले के अन्तर्गत है जहां पर 30 वर्ष आजादी बीतने के बाद आज भी रोडवेज की बस नहीं चली। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि छोटी गण्डक पर जो पुल है वह पूरा नहीं हो रहा है। भटनी के पुल के अभाव में सिंचाई और सड़कों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहां पर नलकूप भी नहीं लगे, कुएं भी नहीं बने। विकास का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि देवरिया जिले की ओर विशेष ध्यान दें। साथ ही मुझे अफसोस होता है कि इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें भी पूर्वी जिलों को नजरन्दाज कर दिया गया है। पश्चिमी जिलों में मिलों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है। उद्योग लगाते समय उसका ख्याल किया गया है। पूर्वी जिलों के वित्त मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी हैं तो इसी कारण उनका ध्यान नहीं गया है।

शिक्षा की तरफ जहां पर यह कहा गया है कि बी0 टी0 सी0 के टीचर जो ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं उनको नौकरी दी जाय। देवरिया जिले में बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर भवन नहीं हैं। भवनों की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं विश्वास करता हूं कि वित्त मन्त्री जी इस ओर जरूर ध्यान देंगे। एक चीज और है, न्याय के सम्बन्ध में, सरकारी अधिवक्ता की तनख्वाह बांध दी गयी है लेकिन सहायक अधिवक्ता को दिन भर की फीस दी जायगी। मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से अधिवक्ता को तनख्वाह बांध दी गयी है उसी तरह से सहायक अधिवक्ता की भी तनख्वाह बांध दी जाए तो अच्छा होगा। न्यायालयों की दृष्टि से बहुत से जिले ऐसे हैं, खास कर देवरिया जिला ऐसा है जहां पर जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव को अलग करने की घोषणा तो हो गयी लेकिन आज भी वे एक ही बिल्डिंग में स्थित हैं। इससे जुडिशियरी का जो रूप हम देखना चाहते थे वह धूमिल होता चला जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

हमारे यहां पर आज भी बंगला देश के नाम पर एक टैक्स बहुत समय से चला आता है। वर्ष 1971 में जब लड़ाई आरम्भ हुई थी तब से यह चला आ रहा है। आज जब कि लड़ाई भी समाप्त हो गयी, और दूसरी चीजें भी समाप्त हो गयीं, परन्तु यह टैक्स बराबर, लियाजा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इसको तुरन्त समाप्त होना चाहिए।

अब मैं भटनी और भाटपार के सिलसिले में 2–3 बातें अपने माननीय वित्त मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। भटनी का पुल न होने के कारण उस पार के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जुलाई, 1974 में हमारे साथी श्री कैलाश कुशवाहा

जो उस पार के रहने वाले थे, गोली लगी। उस समय नदी में पानी भरा था, उन्हें नाव से नदी को पार करने में लगभग 1 1/2—2 घंटे का समय लग गया। अगर वहां पर कोई पुल बना होता तो उनको चिकित्सीय सहायता देकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन 1 1/2—2 घंटे का विलम्ब हो गया। उस पार नदी में पानी होने के कारण कोई सरकारी डाक्टर भी न पहुंच पाया। इसलिए ऐसी दशा में मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि भटनी में इसी सत्र में एक पुल बनवाना आवश्यक है।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे पूर्वी जिलों और खासकर देवरिया जिले में आबादी का दबाव खेती पर इस कदर है क्योंकि वहां पर कोई छोटे या बड़े उद्योग धन्धे कायम नहीं किए गए हैं। अगर इस ओर सरकार ने ध्यान न दिया तो दुर्दशा और ही बढ़ती जायगी चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। उद्योग धन्धों के अभाव में देवरिया जिले का विकास होना भी सम्भव न हो सकेगा।

मैं उम्मीद करूंगा कि 20 जुलाई को जो चीजें अखबार में निकली हैं, केन्द्रीय सरकार ने अगर अनुदान दिया है तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं तो भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि देवरिया जिले में जो मिलों की सिफारिश की गयी है, उनका निर्माण अवश्य किया जाय।

इस बजट में जो कारागारों के सम्बन्ध में सुधार करने की बात कही गई है वह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं देवरिया जिले की जेल के बारे में कहना चाहता हूं बहुत से भाई जो जेल में गए थे, उनकी शिकायतों के आधार पर कि देवरिया जिले के कारागार में जो कैदियों के लिए चाहे वे राजनीतिक कैदी हों या अन्य, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। साथ ही उनके खाने की भी व्यवस्था उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। जहां पर आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उनके लिए अस्पताल और सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके भोजन की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। अन्त में मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि गोरखपुर से छपरा जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। गोरखपुर से देवरिया तक के लिए है, फिर देवरिया से मैरवा तक नहीं है। छोटी गण्डक पर भटनी और भाटपुर के बीच में एक रेलवे पुल था, उसको और दूसरी जगह किया गया है। नया पुल बन गया है, लेकिन पुराना पुल जो है उसे अगर सरकार ले ले तो सड़क का काम भी वहां हो जाय और गैरवा तक देवरिया से सीधा रास्ता हो जाय, इसे जोड़ा जाय। नदावर का पुल 7 वर्ष से चला आ रहा है। आज उसकी दुर्दशा यह है कि पाए बनकर तैयार हैं और स्लैब लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि घोड़ा दो पैर पर खड़ा हो, उनको छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिए।

श्री राजमंगल तिवारी—

तो तत्काल उस कार्य को पूरा करें। इस प्रकार मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसका मैं आपके द्वारा स्वागत करता हूं। यह बजट गांव से शुरू हुआ है। ऐसा बजट अभी तक पिछली सरकारों ने कभी नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव की ही वजह से शहर के लोग पलते हैं। आप भी बैठे हुए हैं, पेट में जब भोजन जाता है तो आज यहां बैठे बोल रहे हैं। आप लोगों को भी इस बजट का समर्थन करना चाहिए न कि हाउस में जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करना और हरिजनों की आड़ लेकर बातें करना। क्या यह सामने गांधी जी चित्र लगा हुआ आपको अच्छा नहीं लगता ?

मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सड़क के बारे में पैसा कम दिया है, इसको बढ़ाएं, क्योंकि गांव में जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक कोई उद्योग-धन्धे नहीं हो पायेंगे और उन गरीब लोगों और हरिजनों के जीविका के साधन नहीं बढ़ पायेंगे। मैं निवेदन करूंगा वित्त मन्त्री जी से कि पुलिस को भी कुछ पैसा अधिक बढ़ाया जाय। यहां बड़े-बड़े अफसर मेज पर बैठ कर कमरों में आराम से कलम चलाते हैं और प्रदेश में जाकर पुलिस रक्षा करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस की तरफ भी पैसे का ध्यान दिया जाय।

मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि जब हमारी क्षेत्रीय सड़क के बारे में एक मीटिंग बुलाई गयी तो उसमें हम और क्षेत्रीय विधायक पहुंचे। उसमें मैंने देखा कि उन विभागीय अफसरों ने मनगढंत सड़कों को लाकर हमसे कहा कि इस सड़क के लिए आप क्या कहते हैं ? हमने कहा कि काकोरी ट्रेन डकैती से सम्बन्धित, जो यह सड़क जाती है, पहली सरकार ने उस सड़क को काट रखा था और हर साल वहां शहीदों की याद में, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राम प्रसाद, बिस्मिल के नाम पर हर साल मेला होता है और लोग वहां जाकर उन शहीदों की याद में फूल चढ़ाते हैं, तो उन अधिकारियों को जिन्होंने उस सड़क को काटा है उनकी हिम्मत कैसे पड़ी ? मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों को दंडित किया जाय। काकोरी ट्रेन की डकैती की ही वजह से अंग्रेज थर्राया था और हम और आप आज इस हाउस में बैठे हैं। कल एक हमारे भाई मुस्लिम की बात कह रहे थे। उस दिन उनको याद नहीं आया जब स्वर्गीय डा० फरीदी और हम लोग उस काले कानून के बारे में उस समय के मुख्य मन्त्री के पास गए थे तो डा० फरीदी और राजनारायण जी को जेल में बन्द कर दिया गया था और उसी कारण डा० फरीदी की मृत्यु हो गयी थी।

यही नहीं, बजट के बारे में जो बातें कही गयीं अगर देखा जाय कि पहली सरकार ने जो बजट पेश किए थे उससे यह कहीं बेहतर है। हमारे मुख्य मन्त्री किसान हैं, हमारे वित्त मन्त्री लेबर लीडर हैं। हमारे बलवीर सिंह जी, छोटे लाल जी अथवा सत्य प्रकाश मालवीय जी जनसेवक हैं और जनता द्वारा चुने गए हैं। आपने जो इमरजेंसी लगा कर हरिजनों को जमीनें बंटवाई थीं तो आज तक मेरे क्षेत्र में एक भी जमीन पर किसी हरिजन को कब्जा नहीं मिला क्योंकि आपने ग्राम सभा के प्रधानों से जबरदस्ती लिखवाकर उन जमीनों के पट्टे करवाए जो खलिहान थे, स्कूल थे या शौच की जगह थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। मैंने खुद एस0 पी0 और टकरू साहब से सम्पर्क किया, कि जैसे पहले जिलाधिकारी और उनका अमला गांवों में कैम्प लगाया करते थे वैसे ही कैम्प लगने चाहिए। आज तक उन्होंने यह जुर्रत ही नहीं की कि गांवों में जाकर कैम्प लगायें और किसानों और हरिजनों की समस्या हल करें। अफसर लोग अपनी अफसरशाही भूल जायें। माता प्रसाद ऐसे जिलाधिकारी और भूतपूर्व एस0 एस0पी0, बरेली को मुअत्तिल किया गया है। उनका भी नाम उसी डायरी में नोट किया जायगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे इलाके में सड़कें बहुत कम हैं। मैंने विभागीय मन्त्री को एक बड़ी लम्बी दरख्वास्त दी थी। जो रहीमाबाद से रहटा सड़क जाती है उस का पुल है, मलिहाबाद से माल जो सड़क जाती है उसके पुल का निर्माण होने जा रहा है। इस का नाम रखा है स्वर्गीय राम सागर मिश्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर। दूसरी माल से जाने वाली सड़क मीसा में बन्द किए गए हिदायतुल्ला अन्सारी के नाम पर बनायी जाय। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दो लोग कौन हैं जिनको मीसा में पिछली सरकार ने जेल में बन्द करके मार डाला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम सागर मिश्रा ये हैं, जिन्हें डाक्टर खरे ने मार डाला है। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा एक बात और कहूंगा कि हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल है उसकी मान्यता के लिए मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी को दिया था कि उसे हायर सेकेण्डरी के बजाय इण्टर कालेज कर दिया जाय। अभी तक उस स्कूल को इण्टरमीडिएट तक मान्यता नहीं मिली है। यह सब अफसरशाही और लालफीताशाही का सबूत है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में किसी एक भी स्कूल को इण्टरमीडिएट तक की मान्यता नहीं दी गयी है। इसलिए मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं। धन्यवाद।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977-78 वित्तीय वर्ष का जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस पर दो दिन से चर्चा चल रही है। श्रीमन्, लोक सभा और विधान सभा के चुनाव के समय जो घोषणायें की गयी थीं उसके आधार पर यह आशा की जाती थी कि इस वित्तीय वर्ष का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया जायगा वह कोई बड़ा क्रान्तिकारी बजट होगा। लेकिन बजट को देखने से बड़ी निराशा हुई, विशेष रूप से उस ओर जिसके सम्बन्ध में इस पार्टी के नेताओं ने चुनाव घोषणा-पत्र में बहुत कुछ कहा था।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए श्रीमन्, इस बजट में किसी प्रकार का कोई प्राविधान देखने में नहीं आता है। आज सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की है। वे श्रमिक जो जमीनों पर काम करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। लेकिन जब खेतों का कार्य नहीं होता है, तो न उनके बच्चों को एक समय भी भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। इस बजट में उन श्रमिकों के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे देश में किसान लोग उत्पादन करते हैं, उनको उतना मूल्य अपनी मेहनत का नहीं मिलता है जितनी कि वे मेहनत करते हैं। हम आशा करते थे कि इस बजट में किसानों की सुविधा के लिए कोई गुंजाइश की जायगी और बढ़ती हुई बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक जो बड़ी आशा के साथ कुछ शिक्षा पाकर काम में लगना चाहते हैं उनको बड़ी निराशा हुई है हमको भी निराशा है। ऐसे युवकों से रोजगार का कोई

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

प्राविधान नहीं किया गया है जबकि क्षेत्रीय स्तरों पर कुछ उद्योग धन्धों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नवयुवकों को जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कुछ काम दिया जा सकता था। इस प्रकार से यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। मेरे विचार से इस प्रदेश की प्रगति के लिए यह बजट किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। बड़ी चर्चा इस बात की हुई कि पिछले वर्षों बहुत कुछ खराबियां हुईं, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं अगर यह चर्चायें न हों तो ज्यादा अच्छा है। सन् 1936 से इस प्रदेश में जनता की सरकार आई या कांग्रेस सरकार आई थी। जनता से मेरा मतलब जनता पार्टी से नहीं है। उसके पूर्व इस प्रदेश में श्रीमन्, आपको स्मरण होगा, हमारे बहुत से साथी जो उधर को बैठने लगे हैं उन्हें भी स्मरण होगा कि सन् 1936 में यह स्थिति थी कि प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले बहुत से लोग गोबर में से अनाज निकाल कर खाते थे। मुर्दा जानवरों का मास खाते थे। अपने मकान में चौखट नहीं लगा सकते थे। पक्का मकान नहीं बना सकते थे। उस समय प्रदेश में जो कार्य हुए, किसानों के लिए जो कानून बने। जमींदारी ताल्लुकेदारी की प्रथा का अन्त करके जो प्रगति हुई उसका इतिहास साक्षी है।

श्रीमन्, उसके बाद सन् 1947 में जब इस देश को स्वतन्त्रता मिली तो सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का यह था कि उसके नेताओं ने इस देश को एक सूत्र में बांधा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश बनाया, एक झंडे के नीचे देश को रखा। जो बिघटनकारी तत्व साम्प्रदायिकता पैदा करते थे उनको काबू में किया। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख होता है जब इस 30 वर्षों के कार्यकाल को खराब कहा जाता है सब खराबियां ही हुईं तो हमारे बहुत से साथी यह भूल जाते हैं कि उन खराबियों में इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले बराबर के हिस्सेदार हैं। यदि उस समय इस देश की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही थी, इस देश के वित्त मन्त्री कहां थे? क्या उस समय इस प्रदेश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकसित करने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा था? कितने लोग जो आज उधर हैं क्या उनका योगदान इसमें नहीं था? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी आलोचना को एक सीमा तक रखना चाहिए जिससे देश और प्रदेश को रहने वाली जनता की प्रजातन्त्र पर से आस्था न उठ जाय। यदि हम इस प्रकार के भाषण करेंगे और चर्चायें करेंगें जिससे हमारा निकम्मापन जाहिर होगा चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, देश और प्रदेश की जनता की आस्था प्रजातन्त्र पर से उठ जायगी तो भारतवर्ष के लिए बड़ा दुखदायी दिन होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम आलोचना करें तो इन सारी बातों को देखें। मैं यह नहीं कहता कि उधर के बैठने वाले योग्य नहीं हैं। हमारे बहुत से पुराने साथी जो उधर चले गए हैं इस प्रदेश का कल्याण और इस प्रदेश का विकास चाहते हैं।

श्रीमन्, यह भी सत्य है कि इन लोगों ने सारा समय देश की सेवा के लिए अर्पित किया है। कोई कारण नहीं है कि जोर कार्य जनहित में हो हम उसमें अपना सहयोग न दें। हमारा तो एक ही लक्ष्य है प्रदेश की प्रगति करना, प्रदेश को विषमतायें दूर हों, गरीबी दूर हो, प्रदेश के हरिजनों और अल्प-संख्यकों को संरक्षण मिले और अपने प्रदेश को हम ऐसा बना सकें जो सारे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श बन सके। इसके लिए

सहयोग से कार्य होना चाहिए। सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब सौहार्द हो। कार्य की कटु आलोचनाये न हों। इस प्रकार की चर्चायें न हों जिससे जनता का मनोबल गिरे। मुझे बड़ा दुख होता है जब बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है। अभी मेरे साथी ने कहा कि बहुत से अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। शासन की नीतियां और सिद्धान्त, जो पालिसी हैं उनको कार्यान्वित करना अधिकारियों का काम है किन्तु तमाम सर्विसेज के व्यक्तियों के मनोबल को गिराना इस प्रदेश के कल्याण में न होगा। इसलिए मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से भी विचार किया जाय कि कौन अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में गलत काम किया है। लेकिन चाहे पालिसी आपने बनायी हो या पूर्व सरकार ने बनायी हों यदि उनको कार्यान्वित करने की बात है तो इस प्रकार नुक्ता चीनी करके हर एक को सजा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि उधर के बैठने वाले साथियों से जिन्होंने देश का नेतृत्व संभाला है, गांधी जी की समाधि पर जाकर निश्चय किया है कि गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलेंगे। उनके सिद्धान्तों को सामने रखकर देश में काम करेंगे तो उनमें बदले की भावना क्यों उत्पन्न हुई। बदले की भावना न होकर सहयोग हृदय परिवर्तन की भावना होनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का कल्याण हो और विकास के कार्यों में हमारा दल पूरा सहयोग दें किन्तु एसी आलोचना नहीं होनी चाहिए जिससे देश और प्रदेश की जनता में प्रजातन्त्र की ओर से आस्था उठ जाय और प्रजातन्त्र का उपहास हो तथा पंचायतीराज खतरे में पड़ जाय। इसलिए मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, श्रमिकों के लिए और खासतौर से उन किसानों के लिए जो खेती पर ही निर्भर हैं उनकी फसल के बीमा करने की योजना की ओर ध्यान दिया जाय। अब समय नहीं है लेकिन मुझे आशा है कि सरकार तथा उधर के बैठने वाले साथी मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं जनता सरकार द्वारा वित्त मन्त्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री जी ने ग्रामोन्मुख जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिन बातों पर हमारी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

इस समय और पिछली सरकार के समय में सबसे बड़ी समस्या विधायकों और मन्त्रि-मन्डल के सामने जो रही है, वह ट्रान्सफर की समस्या है। ट्रान्सफर इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि उससे विधायक और मन्त्री सभी परेशान हैं लेकिन फिर भी आए दिन सैकड़ों ट्रान्सफर होते रहते हैं। आखिर इस पर एक निश्चित राय शासन और मन्त्रि-मन्डल को बनानी चाहिए जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। इसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार के प्राय: चार किस्म के कर्मचारी हैं—प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। शासन को इस पर विचार करना चाहिए कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 25 किलोमीटर से अधिक और 50 किलोमीटर के अन्दर

[श्री राम जनम राय]

घर से दूर रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के कर्मकारियों को 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अन्दर। द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के अन्दर और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच रखना चाहिए। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मचारी इतने परेशान होते हैं कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग जोर पकड़ सकती है। इसलिए शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 3 वर्ष एक स्थान पर बने रहना चाहिए और यदि सम्भव हो तो 5 वर्ष तक बने रहना चाहिए। उसके बाद उनकी तीन से पांच स्थानों पर उनकी पूर्व सहमति से ट्रान्सफर करना चाहिए यदि शासन को इसमें स्वेच्छा से कोई अड़चन न हो। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार मेरी बातों को ही माने। लेकिन सदन के सदस्यों की एक समिति इसलिए गठित की जानी चाहिए और उसकी सिफारिशों पर ही शासन आगे आचरण करे। जिससे अधिकारी या छोटे-छोटे कर्मचारी इसमें ज्यादा परेशान न हों और हम विधायकों और मन्त्रियों की भी दुर्गत न हो और आए दिन जो लोग इससे परेशान होते हैं वह इससे बचें।

दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने सिंचाई, सड़क आदि की व्यवस्था लागू की, चकबन्दी की व्यवस्था भी लागू की लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हम नई सरकार से आशा करते हैं कि वह 50 वर्षों के लिए योजना तैयार कराये कि कहां सड़के बनेगी, कहां नहरें निकाली जायेंगी। इस तरह एक प्राविधिक समिति द्वारा सरकार को योजना तैयार कराना चाहिए और जमीन पर बिछा देना चाहिए। फिर उसके अनुसार पुनः चकबन्दी करानी चाहिए। जिससे किसी व्यक्ति विशेष को ही हानि न होगी और चकबन्दी का जो व्यय होगा वह इन्हीं योजनाओं से भुगतान किया जा सकता है। इस तरह से कार्य करने से जनता की परेशानी दूर होगी।

जो पूर्वान्चल में नहरें बन रही हैं वहां बहुत से लोगों के खेत जा रहे हैं। और उनका सही भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार ने बजट में यह किया है कि इस तरह के नहरों के लिए जो भूमि नुकसान होगी उसके बदले में भूमि आबंटन कर इन भूमिहीनों में बांटा जायगा लेकिन उसमें कदाचित जो भ्रष्टाचार होगा वह बाद में पता चलेगा। मेरा यह सुझाव है कि उन स्थानों पर अभी से योजना बना कर पुनः चकबन्दी करानी चाहिए। हम सरकार को यह भी सुझाव देना चाहते हैं कि पिछली सरकारों ने जो योजनाएं स्वीकृत की उनको समय से पूरा नहीं किया गया। पिछले 30 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है कि लगभग यदि एक साल योजना पूरी नहीं हुई तो दूसरे साल 8 प्रतिशत कास्ट बढ़ जाती है। हमारा कहना है कि इसके लिए उन अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए जो उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसी आधार पर उनकी तनुज्जली या तरक्की होनी चाहिए। जब योजनानुसार सरकार पैसा मोहय्या कर देती है तो समय से उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं होता। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी का जवाब तलब होना चाहिए।

अगली बात यह कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो भी योजनायें स्वीकृत कीं उनके कार्यान्वयन की तरफ अधिकारियों का ध्यान कम रहा और योजनाओं से सम्बन्धित सामान की खरीद फरोख्त की ओर ज्यादा ध्यान रहा क्योंकि उसमें उनको कमीशन आदि मिलता है। नतीजा यह होता है कि प्रायः योजना महंगी हो जाती है और समय से पूरी

नहीं होती। ऐसा देखा जाता है कि योजना के कार्यान्वियन पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए वह नहीं हो पाता और योजना के निर्माण पर ही इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि तरह-तरह की परेशानियां सामने आ जाती हैं। अगली बात मुझे यह निवेदन करनी है कि पिछली सरकार ने पालीटेक्निक स्कूलों में जहां कृषि अभियन्त्रण या इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि के विषय खोल दिए उसके लिए मान्यता नहीं दी। बहुत से वहां से डिप्लोमा धारी निकले हैं जिनको सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाता। जो वहां से निकलते हैं उनको कोई प्रार्थना-पत्र देने की अनुमति नहीं मिलती। अगर प्रार्थना-पत्र देते भी हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कि तत्काल इन पोलीटेक्निक संस्थाओं में ऐसे विषयों को जिनका प्रशिक्षण दिया जा चुका है, मान्यता दी जानी चाहिए जिससे कि उन डिप्लोमाधारियों का सरकारी सेवाओं में सदुपयोग किया जा सके।

इसी तरह मान्यवर, मैं अपने गाजीपुर में इमरजेन्सी के पहले तकालीन जिलाधिकारी श्री देवी दयाल के विषय में बताना चाहता हूं। मान्यवर, नक्सलपन्थियों के नाम पर जो कुछ उत्पात वहां पर हुए थे उनको तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने बार-बार हरिजन विवाद और किसान मजदूर विवाद कह कर उनकी समाधान में देर करायी। बाद में सी0 बी0 आई0 के रिपोर्ट के अनुसार जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ थी केन्द्र सरकार ने और तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री ने यह माना कि वहां नक्सलपन्थी समस्या थी। जिसके प्रतिकूल तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन सरकार को गुमराह किया करता था। मैं जनता सरकार से चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करायी जाय। गाजीपुर के बार एसोशिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वहां के जिलाधिकारी के घर डकैत रहते हैं। देव चन्द्र हिन्दुस्तान में कैरो का हत्यारा सूच्चा सिंह जो नेपाल से हवाई जहाज में लाया गया था,के बाद दूसरे नम्बर का डाकू था। जिसे कलकत्ता के हैलीफाप्टर से बनारस लाया गया और फिर गाजीपुर लाया गया। हमने खुद उसे देखा है जिस जेलमें हम बन्द थे वहीं वह भी रखा गया। बड़ा खूंखार था। जिलाधिकारी के बंगले पर उसका आना जाना था। बार एसोशिएशन ने 29 अप्रैल, 1975 को एक प्रताव पास किया था जिसमें इस बात का स्पष्ट आरोप लगाया गया था कि देव चन्द्र देवी दयाल के बंगले पर आता जाता है और उसको उनसे संरक्षण मिलता है।

मान्यवर, इस सारी बात को सामने लाने के कारण ही देवी दयाल हम लोगों से बहुत नाराज थे। मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि 26 जून, 1975 को आपात-स्थिति की घोषणा की गयी। दुर्भाग्यवश मेरा लड़का जो पटना मेडीकल कालेज में पढ़ता था उसी दिन उसका स्कूटर एक्सीडेन्ट हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था। जब मैं पटना अस्पताल में पहुंचा तो देवी दयाल ने मुझे वहां 30 जून को जानबूझ कर मेरे पुत्र की अर्ध बेहोशी के हालत में ही गिरफ्तार करा लिया। गाजीपुर में मुझे दस बजे रात भाषण देता हुआ बतलाया गया और जेल में बन्द कर दिया गया। इसके बाद मुझ पर लगातार आठ मुकदमें जेल प्रवास काल में ही लगाए गए और फिर उसके बाद मीसा आज भी इस प्रकार के अधिकारी जनता सरकार का प्रश्रय पा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिस रफ्तार से कार्यवाही होनी चाहिए नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों की पूरी तरह छानबीन की जाय और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

[श्री राम जनम राय]

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो बाढ़ ग्रस्त एवं बहुत पिछड़ा है। वहां सन् 1947 से सन् 1977 तक एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर सड़कों की विशेष व्यवस्था के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाय। बनारस में एक लाख लीटर की क्षमता की कोआपरेटिव सेक्टर में एक फैक्टरी बनायी गयी है जो 1978 में चालू होने वाली है। चालू होने पर इस फैक्टरी में दूध का क्या इन्तजाम होगा इस पर सरकार को विचार करना होगा नहीं तो करोड़ों रुपया की लागत बेकार होगी।

हमारे यहां नन्दगंज शुगर मिल है। वहां के अधिकारी या एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के आफीसर दूसरे जिलों के लोगों को गाजीपुर में रजिस्ट्रेशन करा कर वहां नियुक्त कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाय कि वहां पर गाजीपुर जनपद के ही लोग नियुक्त किए जायं। जिसके लिए आवश्यक हो तो वहीं का एक प्रतिनिधि चयन समिति में रखा जाय।

एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। ग्रामीण इलाकों में और छोटी या बड़ी फैक्टरियां लगाने की व्यवस्था की जाय जिससे कि गरीब जनता की हालत सुधर सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वित्त मन्त्री जी ने सदन के सामने बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूर्वी जिलों के विकास की एक दम उपेक्षा की गयी है। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि मैं बस्ती जिले से चुनकर आया हूं और यह उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। 30 साल के कांग्रेसी शासन में इस जिले की हमेशा उपेक्षा की गयी और आज भी इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। किसी उद्योग, कल कारखाने, नहर अथवा सड़क का वहां के लिए बजट में जिक्र नहीं किया गया है। सारे उत्तर प्रदेश का घनत्व जहां 328 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है वहां बस्ती जिले का 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। इसी तरह से जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत 25 प्रतिशत है वहां बस्ती जिले का प्रतिशत 14 ही है। इसी तरह से जहां उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 300 रुपए है वहां बस्ती जिले की पर कैपिटा इनकम 212 रु0 है। हर दृष्टि से बस्ती जिला पिछड़ा हुआ है। सड़कों का हाल यह है कि 50, 50 मील के क्षेत्र में इस जिले में कोई सड़क नहीं है। हालत इस जिले की यह थी कि सन् 1950 तक वहां कोई म्युनिसिपैलिटी तक नहीं थी। पूरा जिला गांवों में बसा हुआ था। 50 में 12 गांव मिलाकर बस्ती शहर की म्युनिसिपैलिटी बनाया गया। इस तरह से इस जिले की उपेक्षा की गयी है और शासन की जो स्थिति इस जिले की है उस पर ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि बस्ती जिले में घाघरा नदी है। बाढ़ के समय हर साल इस नदी से 50, 60 गांव कट जाते हैं और वे कट कर फैजाबाद जिले में विलीन हो जाते हैं और इस तरह से इस जिले का चार मील एरिया समाप्त हो चुका है

और अगर शासन ने इसके कटान को रोकने के लिए कोई ठोस हल नहीं निकाला और जिस तरह से अब तक 300, 400 गांव कट चुके हैं इसी तरह उसे कटने दिया तो बस्ती जिला सिकुड़ कर एक चौथाई रह जायगा। मेरा यह निवेदन है कि शासन को बस्ती जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए। 20 जुलाई को मैंने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को एक नोटिस दिया। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उस क्षेत्र में चार महीने तक कोई साइकिल से नहीं चल सकता। सारे देश में ऐसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं होगा जहां 30 वर्ष से कोई सड़क तक नहीं बनी। कप्तानगंज क्षेत्र ऐसा है जहां 30 वर्ष से कोई सड़क नहीं बनी। अगर वहां एक सड़क इस बार नहीं बनाई गयी तो मुझे आमरण अनशन करना होगा। शासन को चाहिए कि इस बजट में कम से कम एक सड़क वहां के लिए अवश्य सम्मिलित कर ले। बस्ती जिले में कचहरी के पास मूढ़घाट है। चार हजार व्यक्ति प्रति दिन उस घाट पर उतरते हैं और प्रति व्यक्ति उसके लिए दो रुपये तक मल्लाही वसूल की जाती है। शासन से बार-बार कहा गया कि मूढ़घाट पर एक पुल बनना चाहिए लेकिन नहीं बनाया गया। 5वीं योजना में उसे शामिल भी किया गया लेकिन बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मूढ़घाट पर पुल तथा हरैया-बमनान सड़क पर तत्काल काम शुरू किया जाय और सड़क को पक्का किया जाय। वहां पर पैदल चलना भी लोगों को मुश्किल हो गया है। वहां पर साढ़े तीन साल से सामान पड़ा हुआ है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हरैय्या-बमनान सड़क की तत्काल मरम्मत हो जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं बेकारी के बारे में कहना चाहता हूं। एक तरफ हमारे यहां बेकारी फैली हुई है और दूसरी तरफ रोडवेज के ए0 जी0 एम0 कम के कम रोजाना 25–30 गाड़ियों को रोक कर लोगों की नौकरी छीन रहे हैं। प्राइवेट बस वालों से मिल कर वह पैसा खाते हैं। वहां पर यात्री छतों में सफर कर रहे हैं। इसके लिए उनको लिखा गया लेकिन कुछ नहीं होता है। वह वहां शराब पीकर दफ्तर में बैठे हते हैं और टैक्सी वालों से मिल कर प्राइवेट बस वालों से मिल कर पैसा लेते हैं। 22 अगस्त को मैं 595 नम्बर की गा ी में चल रहा था उसमें 52 सीटों की जगह पर 104 टिकट दिए गए। लोग छतों में बैठे थे। मैंने पुलिस वालों से कह कर उनको अन्दर बैठाया। यह स्थिति वहां रोडवेज की है। वह बसों को रोक कर लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीज बन्द होनी चाहिए और इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जो जानबूझ कर लोगों की रोटी छीनते हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बस्ती जिले में अस्पतालों की स्थिति भी खराब है। वहां पर 10–15 साल से डाक्टर पड़े हुए हैं? वहां पर मरीज बैठे हुए हैं। अगर वह रुपया नहीं देता है चाहे वह कितना ही गम्भीर बीमार क्यों न हो, डाक्टर उसे नहीं देखता है। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को आशा थी कि सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तन आएगा पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे और इस भ्रष्टाचार को दूर करें। अस्पतालों और कचहरियों में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए।

[श्री ओम प्रकाश]

हमारे यहां कप्तानगंज क्षेत्र में ब्लौक में शासन ने निर्णय लिया था कि एक अस्पताल खोलेंगे लेकिन वह नहीं खुला है। इसी तरह के दौर ब्लौक में, बेलघाट में और चिल्मा बाजार में अस्पताल खोले जाने चाहिए। वहां पर 10 और 15 मील तक जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चिलमा बाजार में एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आज सामान्य विवाद का समय समाप्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1977 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 अगस्त, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

सरकारी गोदामों में गेहूं खराब होने तथा सड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनमें से मैंने श्री शतरुद्ध प्रकाश की सूचना को स्वीकार किया है। वह प्रश्न सरकारी गोदामों में भारी मात्रा में संचित गेहूं की उचित प्रकार से देख-भाल न रखने के कारण हजारों टन गेहूं के खराब होने तथा सड़ने से भारी क्षति के सम्बन्ध में है।

खाद्य मन्त्री (श्री हरिशचन्द)---

उत्तर प्रदेश सरकार के गोदामों में गेहूं रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ है। इसलिए यह सूचना कि प्रदेश के सरकारी गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, इसका भी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं इस पर अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आपने नियम 51 के अन्तर्गत एक चीज स्वीकार कर दी वह सूबे की सरकार का प्रश्न है या नहीं, इस माननीय सदन के समक्ष जब एक चीज आपने स्वीकार कर ली तो मेरे ख्याल से मन्त्री महोदय इसके लिए बाध्य हो जाते हैं कि उस चीज पर वह तफसील के साथ वक्तव्य दें। यह कहना कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मैं समझता हूं, आपके पद का असम्मान है और यह उचित नहीं है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, नियम 51 के उपबन्ध दो में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मन्त्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायगी। तो अध्यक्ष महोदय, जैसा नियमानुसार एक विषय स्वीकार हो गया, तो सरकार की ओर से सम्बन्धित मन्त्री को उस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। और जैसा मन्त्री जी ने बताया उत्तर प्रदेश के गोदामों में गेहूं रखने का कोई प्राविधान नहीं है, यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हालांकि मैं आपका ध्यान 28 अगस्त, 1977 के नेशनल हेराल्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें एक शीर्षक दिया हुआ है "गवर्नमेन्ट व्हीट राटिंग इन यू0 पी0" इसमें खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री जी का वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है—"साइटिंग इन्स्टान्सेस मि0 श्रीवास्तव सेड इन कानपुर, ही सा ए व्हीट गोडाउन इन सच ए बैड कन्डीशन दैट इट वाज अनफिट फार ह्यूमन कन्जम्शन।" तो इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी गोदाम है, कानपुर में कहीं ऐसा ढेर है या स्टाक है, जो मानव मात्र के खाने के लिए नहीं है। जो मैंने सूचना दी है उसमें स्पष्ट कहा है कि सकारी गोदामों में गेहू इस समय बहुत बड़ी मात्रा में सचित करके रखा गया है और लाखों टन गेहूं संचित है इस समय। जिस अवस्था में वह रखा गया है, वह पालीथीन के बैग से केवल ढक दिया गया है, जो कि फट गए हैं। पानी तेज बरस रहा है, जिसके कारण लाखों टन गेहूं सड़ गया है। गेहूं मार्केट में नहीं है सस्ते दाम पर नहीं महंगे दाम पर मिल रहा है . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह आपका प्रश्न है, माननीय मन्त्री जी ने अपनी इस पर असमर्थता प्रकट की है।

श्री रियासत हुसैन—

अभी एक प्रश्न रखा गया . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन—

कोई व्यवस्था की बात हो तो मैं रुक जाऊं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप इस सम्बन्ध में समाप्त करें। आपसे इस प्रश्न पर अभी बहस तो शुरू हुई नहीं। क्योंकि नियम 51 के अनुसार मन्त्री जी या तो वक्तव्य दें या समय ले सकते हैं ? उसके बाद आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी, से कहना चाहता हूं . . . .

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक मिनट मुझे सुन लें। नियम 51 के बारे में माननीय सदस्य ने आपके द्वारा प्रस्ताव दिया। आपने स्वीकार कर लिया। मैंने यह समझा कि आपने खाद्य मन्त्री को इसलिए बुलाया कि इसके बारे में वक्तव्य अभी दे सकते हैं या बाद में टाइम लेंगें कि किस तारीख को देंगे। मैंने यही समझा। हमेशा यही पीठासीन अधिकारी से किया गया है। यही मन्त्रियों से पूछा भी गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने ठीक समझा।

श्री ऊदल—

लेकिन माननीय खाद्य मन्त्री ने जिस तरह से कह दिया हमारे दायरे में नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के, यह गलत है। यह नियम के विपरीत है। इस बात को वह अपने जवाब में जो आज या दूसरे दिन दें, उसमें कहना चाहिए। इसलिए माननीय मन्त्री जी ने नियम के विपरीत बात कही।

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश में वेअर हाउसिग कारपोरेशंस हैं जो केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों के सहयोग से हैं। इसके अतिरिक्त जितना गेहूं खरीदा जाता है वह प्रदेश की एजेन्सी के द्वारा खरीदा जाता है। यह ठीक है। और बीज गोदाम प्रदेश के अन्दर हैं, उनमें भी कुछ हद तक सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार का है। लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि उन गोदामों का अनाज स ; रहा है। इसलिए उचित होगा कि कृपया आप इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी हमारे सूबे में गोदाम हैं उनके बारे में चाहे आप केन्द्रीय सरकार से सहयोग लें, लेकिन इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके उचित समय के अन्दर वक्तव्य दें।

श्री हरिश चन्द्र—

एक बात कहना चाहूंगा। मैंने केवल इतनी बात, जो उसी में लिखा था कि प्रदेश सरकार के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, इसका उत्तर दिया था। इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रदेश सरकार के गोदामों में गेहूं रखने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप अपना स्थान ग्रहण करें। पहले मन्त्री जी अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिश चन्द्र—

मैं आज ही इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी गेहूं खरीदा जाता है वह खरीदने की एजेंसी प्रदेश सरकार की है लेकिन जहां तक भण्डारण का प्रश्न है वह एफ0सी0आई0 के अधीन है। उन्हीं को गेहूं दे दिया जाता है। इसलिए भण्डारन का जहां तक सम्बन्ध है सबका सब एफ0सी0आई0 के पास रहता है। जहां तक वितरण का प्रश्न है। जिन दूकानों से गहूं का वितरण होता है वे सीधे एफ0सी0आई0 के गोदामों से गेहूं क्रय कर लेती हैं। जहां कहीं तहसील में या

उन क्षेत्रों में जहां एफ0सी0आई0 के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं प्रदेश सरकार लेती भी है तो एक महीने से अधिक गेहूं को रखने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वितरण में चला जाता है। मुझे इस सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य देना चाहिए। मैं सदन को स्पष्ट करा दूं, जिस बात का उल्लेख किया गया है, उसमें एफ0सी0आई0 के गोदामों की बात कही गयी होती तो ज्यादा प्रश्न स्पष्ट हो जाता। एफ0सी0आई0 के अधीन गोदामों में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है। मेरे ध्यान में जब बात आई तो मैंने केन्द्र को सारी स्थिति से अवगत कराया। बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है जिसका रख-रखाव ठीक नहीं है क्योंकि कहीं खुले पट्टे पर गेहूं पड़ा है, कहीं गोदाम में पड़ा है। गोदामों की हालत भी ठीक नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया, जो इस समय गेहूं एफ0सी0आई0 का पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, उचित होगा कि आप इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके किसी दिन सदन को पूर्ण जानकारी दे दें, क्योंकि उत्तरदायित्व राज्य का भी है।

एक सदस्य—

मन्त्री जी कह रहे हैं कि उनको जानकारी है।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय मन्त्री को इसी समय तमाम गोदामों की जानकारी है? अगर जानकारी है. . . .

श्री हरिशचन्द्र—

यह जानकारी पूरी है।

श्री अध्यक्ष—

तो आप वक्तव्य दे दीजिए।

श्री हरिशचन्द्र—

एफ0सी0आई0 के गोदामों में इस समय 21 लाख 9 हजार 219 लाख टन गेहूं भंडार में है। इसमें से 18 लाख 1 हजार 924 लाख टन तो बन्द गोदाम में रखने की क्षमता है। एक लाख 49 हजार सात सौ आठ लाख टन खुले पट्टों पर रखा है। मैंने देखा कि उनके रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। मुझे चिन्ता है कि अगर गेहूं इस तरह से पड़ा रह जायगा तो उसे खराब होने की सम्भावना है। मैं इस प्रयत्न में लगा हूं कि रख-रखाव की व्यवस्था ठीक हो और वह वितरण प्रणाली में खप जाए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि सरकारी गोदामों में गेहूं की हालत ठीक नहीं है और उसको समुचित ढंग से जमा करने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस गेहूं के बड़े गोदामों में उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया है। और जो गेहूं सड़ गया है और जो खाने लायक नहीं रह गया है उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा, 28 अगस्त, 1977 को नेशनल हेराल्ड में छपा है कि कानपुर में जो सरकारी गोदाम है उसमें गेहूं की ऐसी दशा हो गयी है जो खाने लायक नहीं रह गया है।

[श्री शतरूद्ध प्रकाश]

फैजाबाद के बारे में माननीय मन्त्री जी ने इशारा किया। वाराणसी में 50 हजार टन गेहूं जमा किया गया और 3 लाख टन गेहूं खाने लायक नहीं रह गया। पोलिथिन के जो बैग हैं उनसे उसको ढक दिया गया है। पोलिथिन के बैग भी फट गए हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दीजिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं सवाल पर आ रहा हूं। क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं के गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण जितना नुकसान हुआ है उसका हिसाब-किताब सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? बड़ी मात्रा में जो गेहूं गोदामों में संचित करके रखा गया है जिसके कारण बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है और गेहूं की कमी आई है उससे छुटकारा देने के लिए खराब गेहूं को वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगें ?

श्री हरिशचन्द्र—

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो गेहूं रखा है वह एफ0सी0आई0 का है वहां से ही फीगर प्राप्त हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि रख-रखाव की जैसी स्थिति है उससे मैं चिन्तित हूं कि उससे यह गेहूं ठीक नहीं रह सकता है और मैंने केन्द्रीय सरकार को इस से अवगत कराया है। मैं इसके लिए सचेष्ट हूं कि यह गेहूं किस तरह से जनता में खपाया जा सके। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से मेरी वार्ता चल रही है। जहां तक बनारस के गोदाम का उल्लेख किया गया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह भी एफ0सी0 आई0 का ही होगा क्योंकि वहां पर गेहूं के संग्रह की बात कही गई है।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, अभी एक वक्तव्य भी होना है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे और बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सरकारी गोदामों में गेहूं के खराब होने तथा सड़ जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि गेहूं सरकारी गोदामों में कहीं नहीं होता है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचलों में गेहूं और चावल सरकारी गोदामों में नहीं रहता है ? और उसकी भी दशा वही होने वाली है जैसा कि अभी माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने बताया। तो क्या वहां पर जो गोदामों की व्यवस्था है, उसको भी दुरुस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

मूल प्रश्न में चावल का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए गेहूं के प्रश्न पर ही बात हो रही थी जिसके बारे में मैंने माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत करा दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके सदन को बता दें ?

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि गेहूं सड़ रहा है, खराब हो रहा है। तो क्या उस गेहूं को दुकानदारों को इश्यू करने से पहले उसकी मेडिकल जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

मैंने कभी नहीं कहा कि गेहूं सड़ रहा है या खराब हो रहा है। भण्डारण की जो स्थिति है उससे अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता है। उसको जनता में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि एफ0सी0आई0 के गोदामों से निकाल कर अपनी वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को दिलाने की व्यवस्था करेंगे और उसे बाजार में जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे ताकि जो भाव बढ़ रहे हैं वे रुक सकें ?

श्री हरिश चन्द्र—

मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूं और केन्द्रीय सरकार से मेरी वार्ता चल रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भण्डारण की स्थिति खराब होने के कारण गेहूं निकासी के सम्बन्ध में उन्होंने क्या सुझाव भेजा है और उस पर कब तक अमल करने की बात हो सकती है ?

श्री हरिशचन्द्र—

केन्द्र का कोई उत्तर आ जाने के बाद ही इस स्थिति के सम्बन्ध में मैं कुछ कह सकूंगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि एफ0सी0आई0 के भण्डारों की हालत खराब है, वहां पर गेहूं सड़ रहा है। जिस प्रकार से एफ0सी0आई0 के गोदामों में गेहूं रखा है उसी प्रकार से जिलों में मार्केटिंग विभाग के माध्यम से गेहूं कच्चे गोदामों में जमा है उस गेहूं की भी हालत वैसी ही है। आपके मार्केटिंग विभाग वाले पैसा लेकर सड़ा गेहूं न देकर अच्छा गेहूं देते हैं। तो क्या आप आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि आपके अधिकारी पैसा लेकर अच्छा गेहूं न दें ? और एक ऐसा भी आदेश जारी करेंगे कि उस सड़े हुए गल्ले की दूकान से पैसा लेकर गल्ला न बेचा जाय ?

श्री हरिशचन्द्र—

जितने भी भण्डार उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत से ऐसे गोदाम हैं जिनकी हालत बहुत खराब है और यह 30 साल का कूड़ा अगर चाहें कि 4 दिन में साफ हो जाय, मुश्किल है। लेकिन यह जो भण्डारों की हालत है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बनारस सप्लाई आफिस की यह हालत है, मैं सप्लाई आफिस का कार्यालय देख कर आया हूं। मैं नहीं समझता हूं कि 25 साल से कैसे आफिस चलाया गया है, जहां टी0बी0 हुए बिना कोई बच नहीं सकता। वहां छाता लेकर कुर्सी पर लोग बैठते हैं और काम करते हैं। जो काम करने के कमरे हैं उस पर प्लास्टिक के कवर लगे हुए हैं। जो छतें हैं उन पर खर और सरपत डालकर लोग अपनी रक्षा करते हैं। मैंने आदेश किया है कि 15 दिन के अन्दर सप्लाई आफिस को नए भवन में ले जाया जाय। मैंने पहले कहा कि गोदामों की हालत खराब है, लेकिन दुखड़ा यह है कि मुझे वित्त को निपटना है, मुझे पुराने जी0ओ0 आदेश को निरस्त कराना है। अनेक जगह मोरचा लेना है स्थिति को बदलने के लिए अधिक तर गोदामों की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

श्री मैनेजर सिंह ने प्रश्न किया कि यह आपका उत्तरदायित्व है कि आपके उपभोक्ताओं को अनाज खराब न मिले, इसकी क्या व्यवस्था करेंगे, यह आप बताइए।

श्री हरिशचन्द्र—

मैं दो शब्द कहूंगा। मैंने जी0ओ0 भेजा है, ऐसे जितने गोदाम हैं सभी के रख-रखाव की क्षमता की पूरी रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि उन भण्डारों की स्थिति को ठीक कराने के काम में तेजी लाई जायगी। सार्वजनिक रूप से घोषित किया है कि अगली बरसात आने के पहले सभी उत्तर प्रदेश के गोदामों को ठीक करा दिया जायगा।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)

हुजूर वाला, यह नगीने के अन्दर और रामपुर के अन्दर रेलवे स्टेशन पर जो गोदाम बने हुए हैं और टप्पल बने हुए हैं वह 30 साला गोदाम हैं? जो बिलारी में गल्ला सड़ रहा है, उसे नहीं उठवाया गया क्या उसको उठवाने का प्रबन्ध किया जायगा? जो परचेजिंग सेन्टर बना था और जो गल्ला खरीदा गया है और पेड़ों के नीचे त्रिपाल फैले हुए हैं और वह वहां पड़ा हुआ है वह क्या पिछली हुकूमत के दौरान वाला मामला है, उसे क्यों नहीं उठाया गया? मैंने खुद देखा है, रेलवे स्टेशन, रामपुर में गल्ला पड़ा है, डिपो पर गल्ला जाता है उसकी क्या हालत है और जो गेहूं का आटा मिलता है उसकी क्या हालत है, तो लखनऊ का गल्ला मंगाकर देख लें कि कौन सा गल्ला मिलता है? मैंने वहां देखा है, बिलारी के अन्दर गेहूं पेड़ों के नीचे रखा है, बोरियां जमीन में उपज आई हैं, ऐसी हालत है 3,055 बोरियों की और मैंने पत्र लिखा था।

श्री अध्यक्ष—

इनसे जो आप सूचना चाहते हैं वह मांगिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुकीमुर्रहमान--

जो कर्मचारी गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए। इसमें शासन और मन्त्री की गलती नहीं है बल्कि कर्मचारियों की गलती है। उन्हें दण्ड देना चाहिए।

श्री हरिशचन्द्र--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के गोदामों के सम्बन्ध में माननीय मैनेजर सिंह ने जो प्रश्न किया था उसको मैंने स्पष्ट किया। अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, मैंने पहले ही कहा कि 21 लाख टन से अधिक गेहूं जो एफ0सी0आई0 का है उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि खुले पट्टों में ढक कर रखते हैं। जहां मैंने यह कहा कि प्रदेश के गोदाम अगली बरसात आने से पहले ठीक हो जायेंगे वहीं मैं केन्द्र को भी लिख रहा हूं कि एफ0 सी0 आई0 के गोदामों की स्थिति ठीक की जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मन्त्री जी ने एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में कितना गेहूं है, यह तो बता दिया। अब स्टेट वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में कितना गेहूं भरा है यह भी जरा बता दें ?

श्री हरिशचन्द्र--

इसके लिए मुझे सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसीलिए तो वक्तव्य बाद में देते तो सारी सूचना मिल जाती।

श्री अध्यक्ष--

प्राप्त कर के देंगे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

उत्तर प्रदेश में गेहूं सड़ रहा है और गेहूं एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस एसेंशियल कमोडिटी को जो बरबाद करें उनके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत, एफ0 सी0 आई0 के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र--

मैंने सड़ने की बात कहीं नहीं कही। मैंने इतना ही कहा कि रख-रखाव की स्थिति ठीक नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

सड़ने की बात भी उन्होंने कही।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहस की बात है। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

केन्द्रीय कारागार, बरेली में कैदियों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

केन्द्रीय कारागार, बरेली के कुछ बन्दियों ने 19 अगस्त, 1977 की शाम से भूख हड़ताल प्रारम्भ करी। बन्दियों ने हड़ताल शुरू करने के पहले न कोई सूचना दिया, न मांग-पत्र प्रस्तुत किया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह विदित हुआ है कि इन बन्दियों की संख्या आरम्भ में लगभग 892 थी और वे कारागार के मुख्यत: दो सर्किलों में निरुद्ध थे। कालान्तर में जेल एवं जिला अधिकारियों के प्रयासों से धीरे-धीरे करके इनमें से कई बन्दियों ने भूख हड़ताल तोड़ दी। भूख हड़ताल तोड़ने वाले बन्दी द्वितीय सर्किल के थे जिन्होंने पहले तरल पदार्थ और बाद में सामान्य खुराक लेनी प्रारम्भ कर दी। अन्तिम सूचना के अनुसार 587 बन्दी हड़ताल पर थे जिनमें कि अधिकांश प्रथम सर्किल के हैं। इनके बारे में भी प्रयास जारी है।

2—हड़ताली बन्दियों के स्वास्थ्य आदि की कारागार एवं जिला चिकित्सकों द्वारा बराबर जांच की जा रही है। इनमें से कुछ वृद्ध बन्दी थे जिनकी दशा देखते हुए और उनकी उचित प्रकार से देख-रेख सुनिश्चित करने के लिए इन्हें कारागार अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके अलावा 12 अन्य हड़तालियों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

3—भूख हड़ताल करने वाले बन्दियों से अधिकारियों ने व्यक्तिगत सम्पर्क कर यह जानने का प्रयास करा कि इनकी वास्तविक मांगें क्या हैं? किसी भी बन्दी अथवा उनके कथित अगुओं ने कोई मांग-पत्र नहीं प्रस्तुत करा यद्यपि इस बारे में अधिकारियों ने उनसे बारम्बार कहा। यह अवश्य स्पष्ट हुआ कि बन्दियों को न तो केन्द्रीय कारागार, बरेली के प्रशासन एवं व्यवस्था, न ही उस कारागार के किसी कर्मचारी के बारे में कोई शिकायत थी जिसके कारण उन्होंने यह हड़ताल आरम्भ करी हो। अधिकारियों द्वारा बन्दियों से बातचीत के दौरान खोद-खोद कर पूछे जाने पर यह विदित हुआ कि वे बन्दी निम्न मुख्य नीति-विषयक बातें चाहते हैं—

(1) आजीवन कारावास की सजा पाने वाले बन्दियों को एक निश्चित अवधि के बाद स्वत: मुक्त कर दिया जाया करें। अभी जो प्रशासनिक प्रणाली है उसके द्वारा ऐसे बन्दियों के मामले प्रोबेशन बोर्ड अथवा शासन के सम्मुख जाते हैं।

(2) गत स्वतन्त्रता दिवस के दिन जो विशेष परिहार शासन द्वारा आदेशित करें गए वें इनमें से कुछ बन्दियों की प्रत्याशा से कम हैं और वे चाहते हैं कि इस आदेश का क्षेत्र बढ़ा कर अन्य बन्दियों को भी यह विशेष परिहार उपलब्ध हो।

4—जहां तक उपरोक्त दोनों विषयों का प्रश्न है, प्रथम मांग के बारे में स्थिति यह है कि आजीवन कारावास की सजा यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सम्पूर्ण जीवन की सजा के लिए होती है, परन्तु जेल नियमानुसार यह 20 वर्ष मानी गई है। इस श्रेणी में आने वाले बन्दियों में से भीषण भयंकर तथा अभ्यस्त अपराधियों को छोड़कर शेष अपराधी यदि सपरिहार 10 वर्ष की सजा पूरी कर लेते हैं और उनका कारागार में उत्तम आचरण रहा है तो शासन द्वारा गठित प्रोबेशन बोर्ड के सम्मुख उनका मामला प्रस्तुत होता

है। प्रोबेशन बोर्ड की, जिसकी बैठकें सामान्यतः हर माह होती हैं, संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे बन्दियों को नियमानुसार मुक्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्राविधान है कि अन्य आजीवन कारावास प्राप्त बन्दी जब 20 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी कर लेते हैं और उनका जेल में पूर्वाचरण/आचरण सन्तोषजनक पाया जाता है तो उस स्थिति में भी समय-समय पर विचार कर, शासन द्वारा उन्हें नियमानुसार मुक्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार हर मामले के गुणावगुण पर विचार करके ही शासन निर्णय लेता है। यह जनहित में नहीं होगा कि सभी प्रकार के आजीवन कारावास प्राप्त बन्दियों को, चाहे उनका आचरण ठीक रहा हो या नहीं, या वे अभ्यस्त अपराधी हों, या नहीं, सब के बारे में एक ही प्रकार की नीति अपनाते हुए किसी निर्धारित अवधि के बाद उन्हें स्वतः मुक्त कर दिया जाय।

5—जहां तक दूसरी मांग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष स्वाधीनता की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के बन्दियों को विशेष परिहार दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। यह परिहार निम्न थे :—

(1)	उन बन्दियों को जिनकी सजा 10 वर्ष से अधिक हो	विशेष परिहार (एक वर्ष)
(2)	उन बन्दियों को जिनकी सजा 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक हो।	विशेष परिहार (छः माह)
(3)	उन बन्दियों को जिनकी सजा 3 वर्ष से अधिक और 5वर्ष तक हो।	विशेष परिहार (तीन माह)
(4)	उन बन्दियों को जिनकी सजा एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक हो।	विशेष परिहार (चौदह दिन)

इसके अतिरिक्त इसी अवसर पर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बन्दियों को जो अपंग या अशक्त हों तथा जिन्होंने पांच वर्ष या अधिक अवधि की अपरिहार सजा पूरी कर ली हो, जेल से मुक्ति के आदेश भी जारी किए गए थे।

प्रथम विशेष परिहार का लाभ कुछ श्रेणी के बन्दियों को नहीं दिया गया था। इन बन्दियों में अभ्यस्त अपराधी डकैत व खूनी शामिल हैं। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि इस प्रकार के बन्दियों को मुक्त करना किसी भी दशा में उचित न होता, विशेषकर ऐसे समय पर जबकि राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था को कायम रखना शासन का परम कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति डाकू है अथवा उसने खून किया है या उसने महिलाओं पर हमला करने या उनके शील भंग करने के लिए बल प्रयोग करा, और इसके लिए दंडित हुआ तो उसे किसी प्रकार का विशेष दयाभाव दिखाना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। विशेष परिहार से वंचित बन्दियों में दो और श्रेणी के अपराधी भी हैं जिन्होंने समाज के प्रति अपराध करा—एक तो वे जो अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत दंडित हुए हैं और दूसरे वे जो प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट में दण्ड भोग रहे हैं। शासन की अस्पृश्यता निवारण एवं स्वच्छ प्रशासन स्थापित करने की घोषित नीतियों के सन्दर्भ में इस प्रकार के बन्दियों को भी दया भाव दिखाना उचित न होता।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

6—जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, केन्द्रीय कारागार, बरेली के उन गुमराह बन्दियों द्वारा हड़ताल करने का कोई भी औचित्य नहीं है। शासन ने अब तक इस मामले में बहुत धैर्य दिखाया है और कारागार एवं जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि यथा-सम्भव शान्तिपूर्ण प्रयत्नों से ही यह हड़ताल समाप्त कराई जाय। इसमें इन अधिकारियों को बहुत हद तक सफलता मिली है। यह प्रयास कारागार महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, एवं उप महानिरीक्षक द्वारा करे गए हैं जो मेरे आदेशों पर, अपने मुख्यालय से इस आशय हेतु बरेली भेजे गए। इसके अलावा जिलाधिकारी, बरेली भी, अपने अधीनस्थ कुछ अधिकारियों सहित, इस ओर प्रयत्नशील रहे हैं।

7—कारागार के नियमों के अनुसार बन्दियों द्वारा भूख हड़ताल करना जेल मैनुअल के प्रस्तर 742 अन्तर्गत स्वयं एक दण्डनीय जेल अपराध है। आशा है कि जो अवशेष बन्दी इस समय हड़ताल पर हैं वे भी सद्बुद्धि दिखा कर अपनी हड़ताल शीघ्र समाप्त कर देंगे और शासन को इस बात के लिए विवश नहीं करेंगे कि इस हेतु कोई सख्त कदम अपनाए जायं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मुझे एक प्रश्न की सूचना और देनी है कि आज प्रातः बरेली से अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक ने टेलीफोन पर बताया है कि सभी, दोनों सर्किल के सभी बन्दियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इस तरह से जो हड़ताल चल रही थी, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी के स्टेटमेंट को सुना, बड़ा भ्रामक लगा है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें 892 कैदी हैं वह हड़ताल करें और फिर अपने ही वक्तव्य में माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उनसे वजह खोद-खोद कर निकाली गयी। 892 कैदी हड़ताल करें और उनकी कोई मांग ही न हो तो इसी से पता चलता है कि यह स्टेटमेंट भ्रामक है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह हड़ताल अधिकारियों के विरुद्ध उनकी भ्रष्ट लूटपाट के खिलाफ हुई है। यह बड़ी अभूतपूर्व घटना है। श्रीमन्, आप भी जेल में रहे हैं और मैं भी रहा हूं। दोनों को जेलों की तिकड़म भी मालूम है। तो जो वहां के अधिकारियों ने भ्रष्ट वातावरण बना रखा है उनकी लूट के खिलाफ यह हड़ताल हुई है। मैं मन्त्री जी से यह कहूंगा कि वह अपने वक्तव्य को शुद्ध करें।

श्री अध्यक्ष—

आपने मन्त्री जी से कोई सूचना तो मांगी नहीं, सूचना दी है। माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में देख लें कि आपके आरोप कहां तक सत्य हैं।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इंडियन एक्सप्रेस जो एक बड़ा समाचार-पत्र है उसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भूख हड़ताल चल रही है उस सम्बन्ध में, जब मन्त्री महोदय बरेली जेल के अन्दर बन्द थे तो उन्होंने वहां के कैदियों को छूट देने के लिए कुछ आश्वासन दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी जो छूट मिली है वह उनके आश्वासन के अनुरूप नहीं है। तो माननीय मन्त्री जी ने क्या आश्वासन दिए थे ? नम्बर दो--माननीय मन्त्री जी जब बरेली जेल में बन्द थे तो मैं भी उनके साथ जेल में था।

मान्यवर, वहां के कैदियों ने मेरी, तथा माननीय मन्त्री जी की बड़ी सेवा की थी। मान्यवर, जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर भी अपने बन्दी साथियों से मिलने पटियाला जेल गए थे। माननीय चौधरी चरण सिंह जो हिन्दुस्तान के गृह मन्त्री हैं वह खुद जाकर अपने बन्दी साथियों से तिहाड़ जेल में मिले और उन्होंने 2-2 वर्ष का परिहार दिया। तो क्या यह आवश्यक नहीं था कि जिस जेल में माननीय मन्त्री जी रहे हैं और जहां के वन्दियों ने उनकी सेवा की है तो क्या खुद मन्त्री जी वहां जाकर नहीं देख सकते थे ? जब हम लोग जेल में थे तो मन्त्री जी खुद बिला नोटिस के अक्सर हड़ताल कर देते थे और अर्जुन सिंह भदौरिया तो हर क्षण हड़ताल करते थे। तो न्याय संगत यह था कि उनको मांगों की तरफ ध्यान दिया जाता। यह हमारे 3 सवाल हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न तो आपने पूछा नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो हड़ताल अभी खत्म हुई है वह किन शर्तों पर हुई है ? उन लोगों से क्या तय हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न थ कि वह हड़ताल अपनी वापस ले लें। इसी बात के लिए हमारे अधिकारी परसू कर रहे थे और हड़ताल भी बिना शर्त वापस हुई।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी क्या अनुभव करते हैं कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है उससे स्पष्ट है कि यह वक्तव्य उनका नहीं है, अक्षर-अक्षर उनके अधिकारियों का है ? मैंने जो भाषा जानने का प्रयास किया तो यह अतिरिक्त महानिरीक्षक का वक्तव्य है जिस को आपने पढ़ दिया। जैसा कि मोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्वयं जाकर या समिति बनाकर जो वहां जाय और जेल की दुर्व्यवस्था की जांच करे, कैदियों की मांग की जांच करे और जो भय से अनशन भंग कराया गया है उसकी जांच करें और अपनी रिपोर्ट से सदन को अवगत कराए। क्या मन्त्री जी ऐसी समिति बनाने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य से तो यह प्रश्न निकलता नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज जो वक्तव्य आया है उसमें 800 कई कैदी बरेली जेल में भूख हड़ताल पर गये और इस प्रकार की अनहोनी घटना जेल में हो रही है। क्या मन्त्री जी इस सदन के और बिधान परिषद् के कुछ सदस्यों की एक समिति बनायेंगे जो पूरे प्रदेश के कैदियों की स्थिति को जानने का प्रयास करे ताकि जेल मैनुअल में कुछ तब्दीली करके कैदियों को और सुविधा दी जाय या सामाजिक मान्यता के अनुकूल जेल मैनुअल में परिवर्तन किया जा सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, प्रश्न प्रदेश के सभी कारागारों से सम्बन्धित है। जहां तक जेलों की परिस्थिति में सुधार का प्रश्न है तो उधर के बैठे लोग चाहे महसूस न करे लेकिन इधर के लोग जेल की पीड़ा को महसूस करते हैं। इसलिए जेल मे सुधार के लिए मैनुअल का आमूल रूप से, अपने सदस्यों और अन्य लोगों के सुझाव से, परिवर्तन करने के लिए हमने अपने विभाग में एक नया जेल बना दिया है और माननीय सदस्यों को एक पत्र लिखा है जिसको पीजन होल में रखवा कर प्रार्थना की है कि कारागारों के सुधार हेतु आप लोग मैनुअल में क्या सुधार हो इस हेतु सुझाव दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जब वह बरेली जेल में थे तो कैदियों को क्या आश्वासन दिए थे और उन आश्वासनों में से कितने आश्वासन पूरे हो गए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

क्या मन्त्री जी आपने कुछ वायदे किए थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जब मैं बरेली जेल में था तो उस समय आपात्कालीन स्थिति की काली छाया छाई हुई थी। यह पता नहीं था कि हम लोग जेल के बाहर कभी जायेंगे और यदि जायेंगे तो विधान सभा के चुनाव पुनः होंगे या नहीं इसका पता नहीं था। यदि चुनाव होगा तो चुने जायेंगे या नहीं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हम माननीय मन्त्री जी का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। श्री रियासत हुसैन जी ने स्पष्ट प्रश्न किया है कि जेल में जब आप थे तब क्या आश्वासन दिए थे और उनमें से कितने पूरे हुए ? मैं स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

वह वहां पहले मन्त्री नहीं थे बल्कि कैदी थे. . .

श्री अध्यक्ष --

आप बैठें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

जैसा मन्त्री जी ने बताया कि हड़ताल समाप्त हो गयी है तो खुशी की बात है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता। यह वक्तव्य में दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी कोई मांग नहीं थी और उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली। आप जबरदस्ती उनके मुंह से दूसरी बात नहीं कहलवा सकते।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 12 भूख हड़ताली जिला अस्पताल भेजे गए उनमें कितनों की हालत खराब है, मरणासन्न हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

एक भी नहीं। जिस समय भेजे गए थे उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी कि मरणासन्न हो। औरों की अपेक्षा कमजोर थे इसलिए भेजे गए।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनकी कोई मांग नहीं थी और बिना शर्त हड़ताल वापस कर ली। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उनकी मांग नहीं थी तो हड़ताल क्यों की ? क्या यह था कि रमजान आ रहे हैं तो रोजे रख लें या जन्माष्टमीं का व्रत रख लें ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने स्पष्ट तो नहीं कहा लेकिन यह कहा है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले बन्दियों को एक निश्चित अवधि के बाद स्वत : मुक्त कर दिया जाया करे।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने यह पता लगाया कि जो कोई ज्ञापन या प्रार्थना-पत्र कैदियों ने अधिकारियों को दिया था तो वह उनके पास तक आया ? क्योंकि अनुभव यह है कि जो भी मांग पत्र या शिकायत अधिकारियों की जाती है वह वहीं रोक ली जाती है, ऊपर नहीं भेजी जाती ? तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो मांगपत्र दिया था या शिकायत भेजी थी क्या वह मन्त्री जी को प्राप्त हो गयी थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि कोई भी लिखित मांग-पत्र उन्होंने नहीं दिया और न सूचना दी है जेल अधिकारियों को। दूसरी बात यह है कि अगर माननीय सदस्यों को निश्चित जानकारी है कि कोई मांग-पत्र दिया गया है तो वह बतला देंगे तो हम उच्च अधिकारियों से पुन : जांच करा लेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी को यह विश्वास है कि उन कैदियों ने अपना कोई मांग-पत्र या मेमोरेन्डम जेल अधिकारियों को नहीं दिया होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, हमें अपने अधिकारियों पर अविश्वास भी नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति डाकू है अथवा उसने खून किया है या उसने महिलाओं पर हमला करने या उनके शील भंग करने के लिए बल प्रयोग करा, और उसके लिए दन्डित हुआ तो उसे किसी प्रकार का विशेष दयाभाव दिखाना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट है कि उन बन्दियों की जिनकी सजा दस वर्ष से अधिक हो उनको एक वर्ष का विशेष परिहार दिया जायगा तो क्या इसका कारण यह है कि उनकी अवधि लम्बी है।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली केन्द्रीय कारागार में जिन्होंने भूख हड़ताल की उनसे जिलाधिकारी ने कहा कि आप सामूहिक मांग पत्र नहीं दे सकते। हर कैदी अलग मांग-पत्र दे और मांग-पत्र देने के लिए उन्हें कागज पत्र और अन्य सुविधा नहीं दी गयी जिससे वे लिखित रूप में मांग-पत्र जिलाधिकारियों को दे सकें। क्या यह सही है? क्या इस प्रकार उनकी मांग को दबाया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि केवल जिलाधिकारी ही नहीं जेल के अन्य अधिकारी जैसे अतिरिक्त कारागार निरीक्षक, महा निरीक्षक, जिलाधिकारी, जेल के पुलिस के अधिकारी सब ने कैदियों से बात की। अगर जिलाधिकारी मांग को दबाते तो इन लोगों की भी रिपोर्ट में यह कहा गया होता। इसके साथ ही यदि माननीय सदस्य को बड़ी विश्वस्त सूचना है तो लिख कर दे दें उस पर जांच करायी जायगी।

श्री मनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, इस सदन में जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है इससे माननीय सदस्यों में क्लीयर कट डिवीजन है। एक तरफ माननीय मन्त्री जी कहते हैं दूसरी तरफ सदन के सदस्यों को भ्रम है। क्या मन्त्री जी सदन की एक कमेटी बनायेंगे जो बरेली जा कर तुरन्त इनक्वायरी करें?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, पहले पता तो चले कि जो मांग की है उसमें गम्भीर आरोप हैं तभी समिति बनायी जा सकती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन से भूख हड़ताल चली और 12 दिन तक रही इस बीच आपको कोई सूचना मिली या आप खुद वहां गए। कोई एम0 एल0 ए0 या जन-प्रतिनिधि कमेटी ने इसकी जांच की?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं नहीं गया। अगर कोई मांग-पत्र अधिकारियों के व्यवहार या कार्य के विरुद्ध होता तो मैं जरूर जाता।

(व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 12 दिन ह ताल चली। मत्री जी वहां नहीं गए। क्या माननीय मैनेजर सिंह और माननीय कल्पनाथ सिंह यदि वहां जाने के लिए तैयार हों तो उन्हें वहां जाने का अवसर देकर कैदियों की मांग पर जांच की रिपोर्ट करने दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी सूचना है कि कैदियों ने लिखित रूप के अलावा मौखिक रूप से कोई शिकायत जिलाधिकारी या उच्च अधिकारियों से की थी ? यदि ऐसी बात नहीं है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आप से अनुरोध करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की समिति इस मामले की जांच के लिए आप अपनी तरफ से बना दें ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने आपको सूचना दी है कि अगर आप अपनी सूचना के आधार पर मन्त्री जी को लिख कर दें तब इसमें विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

आप बैठें ? जब तक इस प्रकार कोई प्रस्ताव न आए इस तरह की कमेटी का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या कैदियों से बात करने का मौका दिया जावेगा ताकि सही स्थिति का पता चल सके ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि किसी की हालत खराब नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा कि 19 अगस्त से भूख हड़ताल हो रही है और उनमें जो 12 बहुत बुड्ढे कैदी हैं उनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो क्या यह सच है कि भूख हड़ताल करने से और इतने दिन तक अन्न न खाने की वजह से उनकी हालत खराब है इसकी माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे और यह पता लगायेंगे कि किसी की हालत खराब नहीं है ? इस तरह की घटना इस प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई कि कैदियों ने सामूहिक रूप से भूख हड़ताल की हो।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न समाप्त हुआ।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री कृष्ण स्वरूप—

आपातकाल में एक जी0 ओ0 निकाला गया था कि कोई विधायक अथवा विजिटर जेल में जाकर कैदियों की विजिट नहीं कर सकता। उसके फलस्वरूप कोई भी बिधायक जेल में जा कर कैदियों की स्थिति नहीं देख सकता। क्या मामनीय मन्त्री इस जी0 ओ0 को वापस लेंगे ताकि विधायकों को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वे जेल में जा कर कैदियों को देख सकें और सही स्थिति का पता लगा सके ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
30 अगस्त, 1977।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 192 पर)

कारागार विभाग की आवश्यकता के लिए वर्ष 1976-77 में लगभग 3133 कुन्तल लाही जिसका मूल्य रु0 7.10 लाख तथा वर्ष 1977-78 के लिए करीब 2751 कुन्तल लाही खरीदी गई जिसका मूल्य 14-14 लाख है।

लाही के क्रय करने के लिए निविदायें माह अप्रैल में आमन्त्रित की जाती है। वर्ष 1976-77 में निविदा प्रथमवार दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को आमन्त्रित की गई तथा 6 मई, 1976 को खोली गई। चूंकि इन निविदाओं में सबसे कम निविदा भी बाजार भाव से ऊपर थी अत: क्रय समिति ने निर्णय लिया कि दुबारा निविदायें आमन्त्रित की जायं। अत: 11 मई, 1976 को निवि ायें पुन: आमन्त्रित की गई और 26 मई, 1976 को खोली गई। वर्ष 1977-78 में भी लाही की सप्लाई के लिए निविदायें प्रथमबार दिनांक 7 अप्रैल, 1977 को मांगी गई और 12 मई, 1977 को खोली गई परन्तु उपयुक्त न पाए जाने के कारण 13 मई, 1977 को पुन: मांगी गयी और 1 जून, 1977 को खोली गयी।

1976-77 में जितनी लाही क्रय की गई थी, उसमें से अभी तक लगभग 484 कुन्तल लाही का पेरा जाना बाकी है। अत: जब तक कुल लाही पिर न जाय तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि कुल लाही में से कितना प्रतिशत तेल निकला। पिछले वर्ष खरीदी गई जितनी लाही अब तक पेरी जा चुकी है उससे 33.69 प्रतिशत तेल निकला। कारागार महानिरीक्षक को आदेश दिये जा रहे हैं कि वह बाकी लाही को भी पेरने का प्रबन्ध तुरन्त करें।

1977-78 में खरीदी गई लाही का पेरना अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

पी0एस0यू0पी0—एल0 212 वि0 सभा (511)—1977—840